



वैश्विकता की ओर

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

विषय वस्तु

01-10

निगमित अवलोकन

- 01 निगमित सूचना
- 02 हमारे मूल्य
- 04 हमारे बारे में
- 06 अध्यक्षीय भाषण
- 08 निदेशक मंडल
- 10 नेतृत्व दल

11-34

सांविधिक रिपोर्ट

- 11 निदेशकों की रिपोर्ट
- 24 निगमित शासन पर रिपोर्ट
- 30 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

35-100

वित्तीय विवरण

- 35 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
- 47 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ
- 48 तुलन पत्र
- 49 लाभ और हानि का विवरण
- 50 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- 51 नकदी प्रवाह का विवरण
- 53 वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

101-109

सूचना



अस्वीकरण

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में दूरदेशी बयान शामिल हो सकते हैं। हमने इन दूरदेशी बयानों को हमारे वर्तमान विश्वासों, अपेक्षाओं और इरादों के आधार पर तथ्यों, कार्यों और घटनाओं पर आधारित किया है जो भविष्य में घटित होंगे या हो सकते हैं। ऐसे बयानों की पहचान आम तौर पर दूरदेशी शब्दों से की जाती है, जैसे 'विश्वास', 'योजना', 'अनुमानित', 'जारी', 'अनुमान हो सकता है, होगा या इसी तरह के अन्य शब्द। दूरदेशी बयान में मान्यताओं का बयान और दूरदेशी बयान का मुख्य आधार शामिल हो सकता है। हमने इन मान्यताओं या आधार को अच्छे विश्वास में चुना है, और हम मानते हैं कि वे सभी वस्तुगत मामलों में उचित हैं। हालांकि हम आपको सावधान करते हैं कि दूरदेशी बयान और कल्पित तथ्य या आधार लगभग हमेशा वास्तविक परिणामों से भिन्न होते हैं, और दूरदेशी बयानों और कल्पित तथ्यों या आधारों से निहित परिणामों के बीच अंतर, परिस्थितियों के आधार पर वस्तुगत रूप से परिवर्तित हो सकते हैं।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष

श्री बिजोय भास्कर
गैर- कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे
गैर- कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री नीलकण्ठन ए एन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री राजेश गोपालकृष्णन
गैर-कार्यकारी निदेशक

कंपनी सचिव

श्री अश्विन शर्मा एम

नेतृत्व दल

श्री हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

मुख्य कार्मिक

श्री अंबलवनन एम
उप महाप्रबंधक (प्रचालन)

श्री राम मोहन बालिगा के वी
सहायक महाप्रबंधक (व्यापार विकास एवं योजना)

श्री बिल्लु सी राजन
सहायक महाप्रबंधक (उपयोगिताएं, एचएसई व क्यूसी)

श्री सोणी क्लेमेंट टी एम
सहायक महाप्रबंधक (सामग्री और अनुबंध कक्ष)

श्री एल के प्रभाकर
सहायक महाप्रबंधक (हल, आउटफिटिंग व पेंटिंग)

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603 116

सीआईएन: U27209TN1984GOI010994

सुविधाएं

उडुपी, कर्नाटक
चेंगलपेट, तमिलनाडु

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स शब्बीर एवं गणेश
सनदी लेखाकार
बालकृष्णा टाअर, प्रथम तल
कुंजीबेट्टु दूसरा क्रोस, उडुप्पी मणिपाल रोड
मांडवी गोकुल के पास, उडुप्पी - 576102

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसईपी एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव
बिल्डिंग सं. सी.सी. 56/172
के सी एन्नहाम मास्टर रोड,
पर्निल्ली नगर, कोच्ची - 682 036

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



हमारे मूल्य



दूरदर्शिता

- विश्वस्तरीय टग नौकाओं, गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण जलयानों, अपतटीय आपूर्ति जलयानों और 80 मीटर लंबाई तक के विशेष प्रयोजन पोतों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिमन्य शिपयार्डों में से एक के रूप में उभरें।
- भारतीय मत्स्य ग्रहण बेड़े को इंजीनियर्ड मत्स्य ग्रहण नाव में बदलने का नेतृत्व करना, जिसका उद्देश्य देश के मछुआरों का संपूर्ण विकास करना है।
- देश में एल्युमीनियम हल निर्माण में बाज़ार अग्रणी के रूप में उभरें।
- हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान और हमारे मूल्यवान ग्राहकों द्वारा हमारी सेवा उत्कृष्टता के लिए भरोसा किया जाना।



लक्ष्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 80 मीटर तक लंबी टग नौकाओं, विशेष मत्स्य ग्रहण पोतों और विशेष प्रयोजन पोतों का निर्माण और मरम्मत करना तथा मूल्यवर्धित गुणवत्तावली इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करना, प्रतिस्पर्धी माहौल में कॉर्पोरेट विकास को बनाए रखना और एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने की दिशा में प्रथाओं को ग्रहण करना और अपनाना।



उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के माध्यम से पोत निर्माण और विशेष इंजीनियरिंग सेवाओं को बनाए रखना और बढ़ाना।
- कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में कंपनी की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए शिपयार्ड की गतिविधियों का विस्तार/ विविधता लाने के लिए लगातार प्रयास करना।
- पोत निर्माण प्रक्रियाओं में मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास हेतु मूल संगठन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ काम करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग की ओर बढ़ने के लिए, भारत में अपनाए जानेवाले सर्वोत्तम पोत निर्माण मानकों के साथ बेंचमार्क।
- बेहतर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करना।
- स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना।
- क्षमता को अधिकतम करने के लिए आक्रामक बोली और सुरक्षित आदेश के साथ अवसरों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना।

- सकारात्मक ग्राहक-उन्मुख पहल सुनिश्चित करना।
- सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों के अनुपालन के माध्यम से एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना।



हमारे बारे में

यूसीएसएल ने देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर बड़े एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जलयानों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है और गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए पोत निर्माण उद्योग में एक जाना माना नाम रहा है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) को दिनांक 09 जुलाई 1984 को एक निजी गैर-सरकारी कंपनी के रूप में 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद, कंपनी सार्वजनिक हो गई और इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया।

सितंबर 2018 में, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कंपनी की अक्षमता के कारण, कंपनी को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में भर्ती कराया गया था। सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुपालन में, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने कंपनी का अधिग्रहण किया और सितंबर 2020 में इसका प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक सरकारी कंपनी बन गई। इसके बाद, अप्रैल 22, 2022 को कंपनी का नाम टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया।

कंपनी ने स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर बड़े एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जलयानों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण किया है और अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए पोत निर्माण उद्योग में एक जाना माना नाम रहा है। कंपनी वर्ष 2004 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के सहयोग से अपतटीय उद्योग में भी एक प्रमुख खिलाड़ी रही है, जिसके तहत कंपनी ने सीएसएल, कोच्ची में 8 प्लेटफॉर्म सप्लाय वेसल और 4 एंकर हैंडलिंग टग का निर्माण किया। कंपनी ने एक प्रमुख पोत निर्माता होने के साथ-साथ भारत में पोत निर्माण व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सितंबर 2020 में आईबीसी प्रक्रिया से बाहर आने के बाद से कंपनी ने विभिन्न प्रमुख देशी और अंतर्राष्ट्रीय आदेश हासिल किए हैं और सुचारू रूप से काम कर रही है।

यूसीएसएल में दो सुविधाएं हैं : एक उडुपी, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट, तमिलनाडु में। उडुपी में कंपनी की सुविधा में एक समान रूप से आधुनिक स्टील फैब्रिकेशन यूनिट सहित एक उच्च अंत बुनियादी ढांचा है जिसे मध्यम आकार के शिपयार्ड के बीच देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है।

खंड

टग और तटीय जलयान

विशिष्ट जलयान/ फैक्टरी जलयान- यूरोप के लिए

रक्षा के लिए मध्यम आकार के सहायक जलयान

छोटे मछली ग्रहण जलयान - भारतीय मत्स्य ग्रहण समुदाय के लिए तैयारशुदा जलयान के रूप में 'उत्पादीकृत मोड' पर।

मध्यम आकार के वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण जलयान- मध्यम पूर्व और यूरोपीय बाजारों के लिए

मध्यम आकार के वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण पालन जलयान- मध्यम पूर्व और यूरोपीय बाजारों के लिए



अध्यक्षीय भाषण



प्रिय शेयरधारक,

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) की 39 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रारंभ में मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि कंपनी वैश्विक हो रही है और हाल ही में उसे अतिरिक्त आठ जलयानों के विकल्प के साथ छह नई पीढ़ी के डीज़ल इलेक्ट्रिक 3800 डीडब्ल्यूटी जनरल कार्गो जलयानों के निर्माण के लिए मेसर्स विल्सन ग्रुप, नॉर्वे से आदेश मिला है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मैं इस अवसर पर यूसीएसएल/सीएसएल टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने उक्त आदेश को सुरक्षित रखने के लिए अथक प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है कि इस अनुबंध के निष्पादन के साथ आशाजनक यूरोपीय लघु समुद्र जलयान खंड से अधिक आदेश आएंगे।

दिवाला प्रक्रिया से बाहर आने और महामारी के बाद, कंपनी का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कृष्ट रहा। कंपनी को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड, मुंबई के लिए दो 70 टन बोलाड पुल टग सहित विभिन्न प्रमुख आदेश प्राप्त हुए और इसने महत्वपूर्ण प्रचालन उपलब्धि भी हासिल किए हैं, जैसे ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 62 टन बोलाड पुल टग की स्टील कटिंग और कोल लगाना और पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड आदि के लिए अनुबंधित दो 70 टन बोलाड की स्टील कटिंग आदि। कंपनी ने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए सीएसएल को सात हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल जलयान सहित विभिन्न जलयानों की सुपुर्दगी भी पूरी कर ली है। कंपनी ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के एसबीएम की ड्राई-डॉकिंग और मरम्मत को सफलतापूर्वक पूरा करके पोत मरम्मत व्यवसाय में भी कदम रखा।

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि, वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के मजबूत प्रचालन निष्पादन के परिणामस्वरूप कुल आय में उल्लेखनीय

सुधार हुआ और यह पिछले वर्ष 2021-22 के 10.08 करोड़ रुपए की तुलना में 47.81 करोड़ रुपए हो गई। परिणामस्वरूप, कंपनी अपने घाटे को पिछले वर्ष 2021-22 के 12.94 करोड़ रुपए के मुकाबले 33% कम करके 8.67 करोड़ रुपए कर सकती है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने मुख्य रूप से कैपेक्स/पुनरुद्धार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होल्डिंग कंपनी, सीएसएल से इक्विटी पूंजी के माध्यम से 25 करोड़ रुपए की धनराशि भी जुटाई।

मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कंपनी को कोचीन शिपयार्ड समूह में शामिल करने के परिणामस्वरूप 22 अप्रैल, 2022 से कंपनी का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर दिया गया है। मुझे यह जानकर भी खुशी हो रही है कि नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत उडुपी में कंपनी की सुविधाओं के आसपास की जाने वाली परियोजनाओं की पहचान की है जो उडुपी में स्थानीय समुदाय के समग्र विकास में योगदान देने के सीएसएल समूह के इरादे को दर्शाता है।

कंपनी अनुबंधित कार्य के निष्पादन में उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और कंपनी को विकास की ओर ले जाने के लिए लोगों के सही मिश्रण को नियोजित करने का प्रयास करती है। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि कंपनी का कार्यबल समयबद्ध तरीके से वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा और उचित एचएसई प्रथाओं का भी पालन किया जो वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में जरूरी है।

यूसीएसएल के पास मजबूत ऑर्डर बुक स्थिति है जिसमें टग, गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण नौकाएं, सामान्य मालवाहक जलयान आदि शामिल

हैं और वह सक्रिय रूप से आगे के ऑर्डर की तलाश में है। यूसीएसएल देशी और अंतरराष्ट्रीय दोनों ग्राहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ गुणवत्ता वाले जलयान उपलब्ध कराकर छोटे और मध्यम जलयान के क्षेत्र में बाजार में अग्रणी बनने की इच्छा रखता है। कंपनी का लक्ष्य भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड', 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' आदि जैसी पहलों में भाग लेकर देश की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देना है। जैसा कि दुनिया सभी प्रकार के टिकाऊ समाधानों की तलाश में है, कंपनी टिकाऊ छोटे और मध्यम जलयानों की आवश्यकता वाले ग्राहकों को पूरा करने के लिए तैयार है। मेसर्स विल्सन ग्रुप, नॉर्वे का हालिया ऑर्डर हरित जलयानों बनाने की कंपनी की क्षमता का प्रमाण और मान्यता है। कंपनी वर्तमान ऑर्डरों को समय पर निष्पादित करने के लिए तत्पर है और जहां भी संभव हो उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए समुद्री क्षेत्र में लगातार बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं पर नज़र रखती है।

दिनांक 08 जुलाई 2014 को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ संख्या 18(8)/2005-जीएम के अनुसार, कंपनी, जो अपना परिचालन शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में थी, को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन से छूट दी गई थी। उडुपी में इसकी प्रमुख सुविधाओं के संचालन के परिणामस्वरूप दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किए गए हैं। कंपनी जहां भी संभव हो सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और कॉर्पोरेट प्रशासन पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कंपनी इस संबंध में डीपीई की अनुशंसा के अनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

को निगमित शासन पर अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई निगमित शासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में शामिल है।

मैं माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, कर्नाटक सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन और मेरे साथी बोर्ड सदस्य के समर्थन के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस अवसर पर कंपनी की सबसे मूल्यवान परिसंपत्तियों, हमारे कर्मचारियों और नेतृत्व टीम अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को कंपनी को विकास की ओर ले जाने में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और एक साथ मिलकर अधिक मूल्य बनाने के लिए उनके निरंतर समर्थन की उम्मीद करता हूँ।

धन्यवाद

जय हिन्द

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

निदेशक मंडल



श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष

श्री मधु शंकुण्णी नायर सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक है। श्री मधु शंकुण्णी नायर दिनांक 01 जनवरी 2016 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोचीन विश्व विद्यालय, भारत से नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण में प्रौद्योगिकी स्नातक उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किया है। वे कुरे, जापान से आईएचआई शिपयार्ड में पोत निर्माण प्रणाली में प्रशिक्षित हैं और समुद्री व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (ओवीटीए), टोकियो और ओसाका अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र, ओसाका जापान में जेआईसीए विशेषीकृत प्रशिक्षण और जापान के ओसाका

विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर के दौरान जॉइनिंग और वेलिंग अनुसंधान में शोध किया। वे दि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स, यू के (आरआईएनए) और भारत के इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्चर्स के अध्यक्षता है और वर्तमान में इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स केरल (आईएनजेएसीके) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। उनको पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में लगभग 35 वर्ष का कार्य अनुभव है। उनके बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, सीयूएसएटी प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार 2022, समुद्र मंथन प्रोफेसर के आर भंडारकर पुरस्कार 2022, रोटरी आइकन 2023 पुरस्कार, प्राइड ऑफ केएमए पुरस्कार, इनमें से कुछ हैं। वह सीएसएल की दूसरी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।



श्री विजय भास्कर
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री विजय भास्कर, सितंबर 2020 में वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक है। वे 05 अप्रैल 2018 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (तकनीकी) है। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) उपाधि ली है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) डिग्री भी रखते हैं। उन्होंने

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा कर लिया। उन्हें वर्ष 2014 में केरल प्रबंधन एसोसिएशन द्वारा 'वर्ष का प्रबंधक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको पोत डिजाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 35 वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री जोस वी जे
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री जोस वी जे वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण के लिए सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक हैं। वे अगस्त, 2019 से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है।

उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 32 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।



श्री श्रीजित के नारायणन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री श्रीजित के नारायणन को दिनांक 03 मई, 2022 से यूसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निदेशक (प्रचालन) थे। उन्होंने क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कालिकट से प्रौद्योगिकी (मेकानिकल) में स्नातक उपाधि और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, कोचीन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की है। उन्हें पोत निर्माण, पोत डिजाइन और पोत मरम्मत के क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है।



श्री नीलकण्ठन ए एन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री नीलकण्ठन ए एन को दिनांक 03 मई, 2022 से यूसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (योजना व परियोजना प्रबंधन) हैं। उनके पास कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी (कुसाट) से नौवास्तुविद् और पोत निर्माण में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी की डिग्री और व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि दोनों हैं। उन्होंने जापान सरकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के तहत जापान इंटरनेशनल कॉऑपरेशन एजेंसी

द्वारा आयोजित इशिकावाजिमा हरीमा हेवी इंडस्ट्रीज ओवरसीज वोकेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशन के पोत निर्माण- आउटफिटिंग में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था। उन्हें पोत मरम्मत, पोत निर्माण, पोत डिजाइन, परियोजना प्रबंधन, सामग्री प्रापण, आधारिक संरचना विकास, उपयोगिता व अनुरक्षण और योजना के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का कार्य अनुभव है।



श्री राजेश गोपालकृष्णन
गैर-कार्यकारी निदेशक

श्री राजेश गोपालकृष्णन को दिनांक 03 मई, 2022 से यूसीएसएल के बोर्ड में शामिल किया गया था। वे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मुख्य महाप्रबंधक (पोत मरम्मत) हैं। उनके पास मेकानिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि है। उन्हें पोत निर्माण, पोत मरम्मत और

रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है, जिसमें व्यापार कार्यनीति, व्यापार निर्माण, आकलन, अनुबंध प्रबंधन, प्रापण, योजना, परियोजना प्रबंधन, इन्वॉइसिंग, आफ्टर सेल्स व कस्टमर रिलेशन से लेकर पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया गया है। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पहले सीईओ भी थे, जो सीएसएल की अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

नेतृत्व दल



शुी हरलकुडुडु ए
डुखु कुुीनुकरुी अधलकरुी (सी ई ओ)

शुी हरलकुडुडु ए ने कुनुवरुी 28, 2021 कुु कडुनी के डुखु कुुीनुकरुी अधलकरुी के रूडु डु कुुीनुडु संडुडुलल। शुी हरलकुडुडु ए उतुडुडुन इंकुीनुडुडुडुडु डु सुनलतक हूँ और उनुडे डुडुत नलरुडुण और डुडुत डुडुडुडुत संकललन और डुडुडुडुडुनल डुडुडुडुन डु तूीन दशकुु से अधलक कल अनुडुडुव हूँ। उनुडुने सरुवरुणकुनलक कुुेत्र के सलथ-सलथ नलकुी कुुेत्र दुुनुु डु वलडुडुन डुडुडुखु शलषुडुडुडु के सलथ कलडुडु हूँ और डुडुडुडुडुडु डुडुडुडुडु डुडुडुडुडुन दलडुडु हूँ। वल इंसुीतुडुशुन ऑडु इंकुीनुडुडुडु (इंडलडुडु) और इंसुीतुडुऑ ऑडु डुडुडुन इंकुीनुडुडुडु (इंडलडुडु) के अधुडुतल हूँ।



शुी शंकुडु नतुरलकु
डुखु वलतुीय अधलकरुी (सीएडुओ)

शुी शंकुडु नतुरलकु ने दलनलंक 25 नवडुडुडु 2022 कुु कडुनी के डुखु वलतुीय अधलकरुी के रूडु डु कुुीनुडु संडुडुलल। वल डुडुडुडुडुडु सनदुी लेखलकलर संसुथलन के सदसुडु हूँ और उनके डुडुडु सेडु सेवलडुडुडुस कुुलकुेज, कुुलकुलतल से वलणलकुडु डु सुनलतक उडुलडु डु हूँ। उनके डुडुडु डुखु रूडु से सीडुडुडु, डुडुडुडुडुडुडुडुडुडुस और लुऑलकुलसुतकुस कुुेत्रु डु वलडुडुन नलकुी कुुेत्र कुुी कडुनलडुडु डु डुडुडु वलतुीय डुडुडुडुन, डुकुडुीय नलडुडुनुरण, ललगत, वलणलकुडुडु और सलडुडुडुडु डुडुडुडुन आदल के कुुेत्र डु ललगतडुडु 32 वषुु कल कुुीनुडुडुव हूँ। उनुडे डुडुडु सरकलर के कुुुडुडुडुडु डुडुडुडुडु डु डुडुडुडुडु डु तलहत डुडुडुडुडु कुुुडुडुडुडु डुडुडुडुडु डु सुवतुनुर नलदुशक के डुडुडुडुडु डु डु सुकुीडुडुडु कलडुडु डुडु हूँ।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय हितधारकों,

- आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की अडतीस वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

प्रचालन

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां आगे बढ़ीं और कंपनी को विभिन्न प्रमुख आदेश मिले और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए विभिन्न जलयानों की सुपुर्दगी भी की गई। वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पोत निर्माण आदेश प्राप्त हुए:

- मत्स्य पालन में ऊष्मायन और व्यावसायिक प्रशिक्षण निदेशालय, रामनाथपुरम, तमिलनाडु डॉ जे जयललिता मत्स्य पालन विश्वविद्यालय के लिए एक प्रशिक्षण पोत।
- जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के लिए एक पर्स सीनर डीप सी फिशिंग बोट।
- पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड, मुंबई के लिए दो 70 टन बोलाड पुल टग, और
- केरल राज्य के लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पांच ट्यूना लॉन्गलाइनर सह गिलनेटर मत्स्य ग्रहण नाव।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त जलयानों के निर्माण, आउटफिटिंग और मशीनरी स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को कुल सात हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्यूमिनियम कैटामरन हल जलयानों की सुपुर्दगी की। कंपनी ने आंध्र प्रदेश राज्य के लाभार्थी को पीएमएमएसवाई के तहत एक ट्यूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर मत्स्य ग्रहण नाव और मत्स्य पालन निदेशालय, रामनाथपुरम, तमिलनाडु डॉ जे जयललिता मत्स्य पालन विश्वविद्यालय को एक प्रशिक्षण पोत भी वितरित किया। इसके अलावा, कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल किए, जैसे ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 62 टन बोलाड पुल टग की स्टील कटिंग और कील लगाना, पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 70 टन बोलाड पुल टग की स्टील कटिंग, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के एसबीएम की ड्राई-डॉकिंग और मरम्मत को सफलतापूर्वक पूरा करना, आर्क ऑफशोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टग चंद्र नेपच्यून की मरम्मत आदि।

- दिनांक 31 मार्च 2023 को कंपनी की आदेश बही स्थिति नीचे दी गई है:

आदेश विवरण / जलयान प्रकार	क्रम सं.
ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए 62 टन बोलाड पुल टग का निर्माण और वितरण	02
जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पर्स सीनर गहरे समुद्र मत्स्य ग्रहण नाव "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के तहत आंध्र प्रदेश के लाभार्थी के लिए ट्यूना लॉन्गलाइनर सह गिलनेटर फिशिंग बोट का निर्माण और वितरण	01
पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए 70 टन बोलाड पुल टग का निर्माण और वितरण	02

- इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान, कंपनी को अतिरिक्त आठ ऐसे जलयानों के विकल्प के साथ छह नई पीढी के डीज़ल इलेक्ट्रिक 3800 डीडब्ल्यूटी जनरल कार्गो जलयानों के डिज़ाइन और निर्माण के लिए मेसर्स विल्सन ग्रूप, नॉर्वे से एक अंतर्राष्ट्रीय आदेश मिला। साथ ही, कंपनी को केरल राज्य के लाभार्थियों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 2 और ट्यूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर मत्स्य ग्रहण नाव के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं और कंपनी को ऐसे 3 और जलयानों के लिए और आदेश मिलने की उम्मीद है। कंपनी हरितोन्मुख 5000 डीडब्ल्यूटी जलयानों के निर्माण के लिए आदेश प्राप्त करने के उन्नत चरण में है, यूरोप में स्थित एक विदेशी ग्राहक के लिए ऐसे दो अन्य जलयानों के आदेश प्राप्त होने की प्रबल संभावना है।
- अप्रैल 2023 में, कंपनी ने केरल राज्य के लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पांच ट्यूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेटर मत्स्य ग्रहण नावों के लिए सुपुर्दगी संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और मई 2023 में जलयानों को हरी झंडी दिखाई गई।

वित्तीय निष्पादन

- मज़बूत पोत निर्माण आदेशों के आधार पर, आपकी कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 4780.96 लाख रुपये की कुल आय दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह 1008.06 लाख रुपये थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के 641.98 लाख रुपये की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 3917.45 लाख रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण, कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 के 1294.13 लाख रुपये के मुकाबले अपना घाटा 33% कम करके 866.54 लाख रुपये कर सकती है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
(i)	कुल आय	4780.96	1008.06
(ii)	लाभ / (हानि) वित्त लागत, मूल्यहास और कर से पूर्व	29.63	(128.83)
(iii)	वित्त कीमत	95.49	53.45
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1083.02	1322.03
(v)	कर पूर्व लाभ / (हानि)	(1148.88)	(1504.31)
(vi)	कर	(282.34)	(485.33)
(vii)	असाधारण मदें	-	(275.15)
(viii)	निवल लाभ / (हानि)	(866.54)	(1294.13)
(ix)	निवल मूल्य	14065.61	12431.53

शेयर पूंजी

8. दिनांक 31 मार्च 2023 तक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 215,00,00,000 (केवल दो सौ और पंद्रह करोड़ रुपए) है, जो 10 रुपए के प्रत्येक 9,00,00,000 (केवल नौ करोड़) के इक्विटी शेयरों और 10 रुपए के प्रत्येक 12,50,00,000 (केवल बारह करोड़ पचास लाख) वरीयता शेयरों में विभाजित है। कंपनी के इश्यू किए, सब्सक्राइब और पेड-अप शेयर पूंजी 90,00,00,000 रुपए (केवल नब्बे करोड़ रुपए) है, जो 10 रुपए के 9,00,00,000 (केवल नौ करोड़) इक्विटी शेयरों में विभाजित है। वर्ष के दौरान कंपनी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 10 रुपए अंकित मूल्य के 2,50,00,000 (केवल दो करोड़ पचास लाख) इक्विटी शेयर 10 रुपए के निर्गम मूल्य पर नकद के सही आधार पर जारी किए थे, जो कुल मिलाकर प्रति इक्विटी शेयर 25,00,00,000 (केवल पच्चीस करोड़ रुपए) थे।

ऋणपत्र

9. दिनांक 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास 1,00,000 रुपए (मात्र एक लाख) असुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (डिबेंचर) का अंकित मूल्य 1,000 रुपए (मात्र एक हजार रुपए) है। ऋणपत्र नवंबर 2021 के महीने में 84 महीने के कार्यकाल के साथ 6.00% प्रति वर्ष की कूपन दर पर सीएसएल को 10,00,00,000 रुपए (मात्र दस करोड़ रुपए) की राशि के लिए जारी किए गए थे। ऋणपत्र नवंबर 2028 में विमोचन हेतु देय है।

नाम का परिवर्तन

10. कंपनी को धारक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) से अधिक उचित रूप से संबंधित करने हेतु कंपनी का नाम दिनांक 22 अप्रैल 2022 से 'टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड' से बदलकर 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' कर दिया गया है।

लाभांश


11. विभाज्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण किसी लाभांश की अनुशांसा नहीं की जाती है।

आरक्षित निधि में अंतरण

12. चूंकि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान घाटा हुआ है, कंपनी किसी भी राशि को आरक्षित निधि में अंतरित करने में असमर्थ है।

श्रमशक्ति की स्थिति

13. दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी में 93 कर्मचारी हैं, जिनमें 39 कार्यपालक, 14 पर्यवेक्षक और 40 कामगार शामिल हैं। कंपनी ने अपने प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 6 प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया है। उपरोक्त के अलावा, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारी भी अस्थायी विशेष नियुक्ति के आधार पर कार्यरत हैं।



औद्योगिक संबंध

14. कंपनी ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे और श्रमिक अशांति या हड़ताल के कारण कोई भी कार्य समय बर्बाद नहीं हुआ।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित प्रकटीकरण

15. कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

16. कंपनी ने सतत विकास में विश्वास करती है और व्यवसाय के संचालन में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जहां भी संभव हो, कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और संचालन में नवीनतम उपलब्ध तकनीक को अपनाने का भी प्रयास करती है। ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक विवरण अनुबंध 1 में दिए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन

17. कंपनी ने 13 जुलाई 2022 को आयोजित अपनी 14वीं बैठक (सीआईआरपी के पश्चात्) में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जोखिम

प्रबंधन नीति अपनाई है। नीति का उद्देश्य एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है जिसमें जोखिम प्रबंधन की एक निर्धारित प्रक्रिया और जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग की पद्धति शामिल है। यह नीति प्रबंधन और निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि प्रमुख जोखिमों की उचित पहचान की जा रही है और प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है।

18. नीति के अनुसार, शीर्ष बोर्ड द्वारा कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करेगा। बोर्ड समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करके जोखिम निरीक्षण की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। कंपनी ने नीति को लागू करने के लिए जोखिम प्रबंधन संचालन समिति और कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियों का भी गठन किया है। समितियां और निदेशक मंडल समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की समीक्षा करते हैं। कंपनी ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी को भी नियुक्त किया है जो पूरी कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन गतिविधि का समन्वयक होगा।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

19. कंपनी कार्यबल के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा जिस वातावरण में काम किया जा रहा है, उसे अत्यधिक महत्व देती है। कंपनी पूरे संगठन में सकारात्मक स्वास्थ्य और सुरक्षा संस्कृतियों के लिए उच्च मानक स्थापित करने और बनाए रखने का प्रयास करती है। इसके लिए, कंपनी जहां भी आवश्यक हो, कार्यबल और उपयुक्त एचएसई प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर एचएसई जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करती है। कंपनी ने कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सुरक्षा अधिकारी भी नियुक्त किया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी का एचएसई निष्पादन संतोषजनक रहा है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

20. दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी में 6 निदेशक थे, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक और 3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अर्थात् सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव थे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष
2.	श्री विजोय भास्कर	08103825	निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	निदेशक
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	निदेशक
5.	श्री नीलकंठन ए एन	09578936	निदेशक
6.	श्री राजेश गोपालकृष्णन	09576336	निदेशक
7.	श्री हरिकुमार ए	लागू नहीं	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	श्री शंकर नटराज	लागू नहीं	मुख्य वित्तीय अधिकारी
9.	श्री अश्विन शर्मा एम	लागू नहीं	कंपनी सचिव

21. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), श्री नीलकंठन ए एन (डीआईएन: 09578936) और श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336) को मई 03, 2022 में सीएसएल के नामांकित व्यक्ति के रूप में कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।
22. श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798), जिनका निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था और योग्य होने के कारण 19 सितंबर 2022 को आयोजित 38वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया था।
23. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, श्री शंकर नटराज को 25 नवंबर 2022 से श्री शिवु जॉण के स्थान पर कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
24. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में कोई अन्य परिवर्तन नहीं थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

25. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गई हैं और दो बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं है। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	तारीख	बोर्ड संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	मई 03, 2022	3	3
2.	जुलाई 13, 2022	6	6
3.	अगस्त 04, 2022	6	6
4.	नवंबर 03, 2022	6	6
5.	नवंबर 24, 2022	6	6
6.	जनवरी 30, 2023	6	6

26. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति का रिकॉर्ड नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	नाम	डीआईएन	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	6/6
2.	श्री विजोय भास्कर	08103825	6/6
3.	श्री जोस वी जे	08444440	6/6
4.	श्री श्रीजित के नारायणन*	09543968	5/5
5.	श्री नीलकंठन ए एन*	09578936	5/5
6.	श्री राजेश गोपालकृष्णन*	09576336	5/5

* श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), श्री नीलकंठन ए एन (डीआईएन: 09578936), श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336) को 03 मई 2022 को सीएसएल के नामांकित व्यक्ति के रूप में कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

बोर्ड की समितियां

27. कंपनी, पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन से मुक्त है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, कंपनी को अन्य वैधानिक समितियों जैसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की कोई वैधानिक समिति गठित नहीं की गई है। हालांकि, 25 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू

के अनुसार इक्विटी शेयरों को आर्बांटाइट करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड की एक बार समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष और श्री जोस वी जे, निदेशक शामिल थे। समिति की बैठक 07 फरवरी 2023 को हुई और बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

28. कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सीपीएसई की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक

05 जून 2015 की अधिसूचना जीएसआर 463 (ई) के तहत सरकारी कंपनियों को औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से छूट दी गई है। इसके अलावा, उक्त छूट अधिसूचना, सरकारी कंपनियों को निदेशकों की नियुक्ति, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप-धारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट देती है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

29. कंपनी के बोर्ड में अभी तक कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। कंपनी पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

निदेशकों की जिम्मेदारी वक्तव्य

30. आपके निदेशक कहते हैं कि:

- क. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री निकास से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी की हानि का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;
- ग. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखरेख किया था;
- घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार था;
- ङ. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

31. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध/व्यवस्था का विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134

(3) (एच) के तहत आवश्यक फॉर्म एओसी-2 में अनुबंध ॥ में रखा गया है। जैसा कि उसमें कहा गया है, को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा कोई संबंधित पार्टी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। इसके अलावा, आपके निदेशक नोट 43 के वित्तीय विवरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के खुलासे निर्धारित करते हैं।

निगमित शासन

32. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निगमित शासन पर रिपोर्ट, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई, वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

33. डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक अलग खंड में प्रस्तुत की जाती है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

34. कंपनी ने अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और समय पर तैयारी और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने हेतु मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

आईसीएसआई के सचिवीय मानक

35. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को निदेशक मंडल (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) की बैठकों पर सचिवीय मानकों को अधिसूचित किया है जो दिनांक जुलाई 01, 2015 से प्रभावी होगा। कंपनी उसीका अनुपालन कर रही है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

36. मेसर्स शब्बीर और गणेश (फर्म पंजीकरण सं. 009033एस)/ सनदी लेखाकर, उडुप्पी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

37. मेसर्स शब्बीर और गणेश, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अप्रैल 28, 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे बाद में दिनांक 13 जुलाई 2023 की उनकी रिपोर्ट के अनुसार संशोधित किया गया था। सीएंडएजी की टिप्पणियां और उक्त रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा

38. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) ने कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, इंडियन ऑयल भवन, 139, नुंगमबाक्कम हाई रोड, चेन्नई-600034 को सौंपी है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

39. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षक

40. मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स (आईसीएसआई यूनिट कोड: P2019KE075600), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

41. मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स, सचिवीय लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक मई 15, 2023 को प्रस्तुत की थी, जिसे इस रिपोर्ट के अनुबंध III में रखा गया है। रिपोर्ट में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

42. मेसर्स एएमएनएस एवं एसोसिएट्स (फर्म पंजीकरण सं. 018825 एस), सनदी लेखाकार, कोच्ची को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की स्थिति

43. कंपनी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व.)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

सतर्कता

44. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कोई भी सतर्कता मामला लंबित/निपटाया नहीं गया था

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

45. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

सतर्कता तंत्र

46. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) के प्रावधानों और उसके नियमों के तहत नहीं आ रही है, जो एक सतर्कता तंत्र की स्थापना को अनिवार्य करता है। हालांकि, नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की मुखबिर नीति और धोखाधड़ी रोकथाम नीति कंपनी पर लागू होती है और यूसीएसएल के सतर्क तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध है।

वार्षिक विवरणी

47. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसार कंपनी के वार्षिक विवरणी की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध है।

लागत रिकॉर्ड का रखरखाव

48. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

49. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है। हालांकि, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत उडुपी में कंपनी की सुविधाओं के आसपास और उसके आसपास कुछ परियोजनाओं की पहचान की है और जल्द ही निष्पादित होने की उम्मीद है।

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों का विवरण

50. कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं है।

धारा 143 के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी का विवरण

51. शून्य।

वस्तुगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

52. कंपनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करनेवाले कोई वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

53. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

- क. किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है;
- ख. किसी अन्य कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध कोई गारी या प्रतिभूति नहीं प्रदान किया गया है; और
- ग. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित हो, सदस्यता, खरीद या अन्य था अन्यथा के माध्यम से किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट की प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं किया गया।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

54. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आया है।

निक्षेप

55. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय v के तहत कंपनी ने जनता से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

56. नियामकों या किसी न्यायालय या न्यायाधिकारण द्वारा कंपनी की चालू संस्था की स्थिति को प्रभावित करने और इसके प्रचालन को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण और सामग्री आदेश पारित नहीं किए गए थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

57. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई मामला दर्ज / निपटया नहीं गया है।

58. कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

अभिस्वीकृति

59. बोर्ड माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और सीएसएल के सभी अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता है। बोर्ड भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, विभिन्न स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों, कानूनी सलाहकारों, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त समर्थन के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है। बोर्ड सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की भी सराहना करना चाहता है, जो कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

स्थान : कोची

दिनांक: जुलाई 27, 2023

अनुलग्नक I

(क) ऊर्जा का संरक्षण

(i) वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	उठाए गए कदम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी सुविधाओं को पुनर्जीवित और चालू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। हालांकि, परिचालन सुव्यवस्थित होने के बाद कंपनी इस दिशा में सभी गंभीर प्रयास करेगी। प्रभाव शून्य
(ii) ऊर्जा क वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	शून्य
(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	कंपनी के प्रमुख आदेशों में से एक विभिन्न क्षमताओं के बोलाई पुल टग का निर्माण है और इसके लिए कंपनी ने रॉबर्ट एलन लिमिटेड, कनाडा से टग डिज़ाइन खरीदे हैं, जो टग, अंतर्देशीय जलयान, हार्वर क्राफ्ट और अन्य विशिष्ट जलयान डिज़ाइन करनेवाली दुनिया की अग्रणी कंपनी है। इसके अलावा, कंपनी ने यार्ड में चालू परियोजनाओं के लिए, जहां भी संभव हो, भारत में निर्मित उत्पादों का विकल्प चुना है ताकि स्टोर/स्पेयर/उपकरण आदि के आयात को कम किया जा सके।
(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए	व्यवसाय में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक से खरीदे गए टग डिज़ाइन से कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही घरेलू टग पोत बाज़ार को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के एक विशेष उत्पाद विकसित करने में काफी हद तक मदद मिलने की उम्मीद है। इससे निर्यात में भी वृद्धि होगी और आयात में कमी आएगी क्योंकि खरीदारों के पास उच्च गुणवत्तावाले मेड इन इंडिया टग खरीदने का विकल्प होगा जो अन्यथा विदेशी शिपयार्ड से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, यार्ड में चालू परियोजनाओं के लिए, जहां भी संभव हो, भारत में निर्मित उत्पादों को चुनने से स्टोर/स्पेयर/उपकरण आदि के आयात में कमी आई है।
(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)	
(क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	62 टन और 70 टन बोलाई पुल टग के लिए मूल डिज़ाइन।
(ख) आयात का वर्ष	2022-23
(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से लिया गया है	60 टन बोलाई पुल टग के लिए बेसिक डिज़ाइन का अवशोषण पूरा हो चुका है और 70 टन बोलाई पुल टग के लिए बेसिक डिज़ाइन का अवशोषण जारी है।
(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और उसके कारण	70 टन बोलाई पुल टग के लिए बेसिक डिज़ाइन का अवशोषण अंतिम चरण में है और जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।
(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय	शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	2022-23	2021-22
विदेशी मुद्रा में कमाई		
पोत निर्माण से	-	-
पोत मरम्मत से	-	-
कुल	-	-
विदेशी मुद्रा में व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	1122.93	13.96
डिज़ाइन एवं दस्तावेज़ीकरण	296.30	-
सेवा शुल्क एवं अन्य	7.48	1.38
कुल	1426.71	15.34

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

कोच्ची

जुलाई 27, 2023

अनुलग्नक II

फॉर्म सं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच)
 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेनदेन शामिल हैं।

1. बिना निष्पक्ष आधार पर, अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण

क.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) नियंत्रक कंपनी
ख.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	यूसीएसएल में सीएसएल एसएपी एस/4हाना की ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन, केवल
ग.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण एसएपी कार्यान्वयन लागत और लाइसेंस शुल्क के साथ,
घ.	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	यूसीएसएल की ओर से सीएसएल द्वारा कुल मिलाकर 44.14 लाख रुपए वहन किया जाएगा।
ङ.	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	यह व्यवस्था केवल प्रारंभिक वर्ष के लिए है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यूसीएसएल अपने प्रचालन के शुरुआती चरण में है और नकद व्यय कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही एसएपी ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन से प्रणाली द्वारा दी जानेवाली सुविधाओं पर विचार करते हुए समग्र रूप से सीएसएल समूह को लाभ होगा। इसके अलावा, यूसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है, इसलिए तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर समेकन के लिए वित्तीय विवरण सीएसएल को दिया जाना है और एक समान प्रणाली आसान और सुविधाजनक समेकन की सुविधा प्रदान करेगी।
च.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीखें	अप्रैल 28, 2023
छ.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	शून्य
ज.	वह तारीख जब धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत अपेक्षित सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था	लागू नहीं

2. निष्पक्ष आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण

क.	संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	शून्य
ग.	अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	लागू नहीं
घ.	अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य भी शामिल है, यदि कोई हो	लागू नहीं
ङ.	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो	लागू नहीं
च.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

जुलाई 27, 2023

अनुलग्नक III

फार्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में ,

सभी सदस्य

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

एस सं. 377, पषमत्तुर ग्राम

पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

हमने **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन : U27209TN1984GOI010994)** (बाद में 'कंपनी' कहा जाता है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि हमें निगमित आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने और उसपर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा बनाए रखे कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हमें दिए गए स्पष्टीकरण और व्याख्याओं और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है जो उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन और जांच की:

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम;

(i) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित पर अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं;

क. कारखाना अधिनियम, 1948;

ख. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

ग. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;

घ. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981;

ड. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, प्रबंधन और सीमा पर संचलन) नियम, 2008;

च. विद्युत अधिनियम, 2003 और केन्द्रीय विद्युत विनियम 2010 और

छ. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक 1 और 2;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त सूचितानुसार अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशक के उचित संतुलन से विधिवत् गठित किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची के विस्तृत नोट पहले ही भेज दिए गए थे और बैठक से पहले कार्यसूची मद पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

जैसा कि बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, बोर्ड के किसी भी निर्णय पर कोई असहमतिपूर्ण विचार नहीं थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने राइट इश्यू के रूप में 2,50,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए हैं, जिनकी कुल 25 करोड़ रुपए है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, को छोड़कर, इसके कोई उदाहरण नहीं थे :

- सार्वजनिक/अधिकार/शेयरों के अधिमाम्य निर्गम सहित प्रतिभूतियों के निर्गमन।
- प्रतिभूतियों का प्रतिदान/ वापसी खरीद।

iii. विदेशी तकनीकी सहयोग।

iv. विलय/समामेलन/निर्माण आदि।

इस रिपोर्ट को सम तारीख के अनुलग्नक क के साथ पढ़ा जाना है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

इसके अलावा हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने दिनांक 18.04.2022 को कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के बाद दिनांक 22.04.2022 को केंद्र सरकार के अनुमोदन पर अपना नाम टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड से **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** में बदल दिया है।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स

कंपनी सचिव

(समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. : 2763/2022)

सी एस पुष्पनकरा शिवकुमार

प्रबंध साझेदार

दिनांक : 15.05.2023

स्थान : कोच्ची

एफसीएस : F3050, सीओपी सं.2210

यूडीआईएन: F003050E000307893

सम तिथि की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

सेवा में ,

सभी सदस्य

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

एस सं. 377, पषमत्तुर ग्राम

पुकातुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603116

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पठा जाना है।

1. **उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाता है) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के उद्देश्य से नमूना जांच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
2. लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि जहां आवश्यक हो वहां स्पष्टीकरण के साथ कंपनी द्वारा हमें बनाए गए और हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
3. लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय और अन्य अभिलेखों, कानूनी अनुपालन तंत्र और निगमित आचरण की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हम मानते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।
4. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया गया है।
5. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का प्रचालन किया है।
6. अनुपालन पर एक राय बनाते समय और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने दिनांक 31 मार्च 2023 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।

हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन के रूप में माना है, जहां कहीं भी कई व्याख्याओं की गुंजाइश थी।

कृते एसईपी एवं एसोसियेट्स

कंपनी सचिव

(समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं. : 2763/2022)

सी एस पुष्पनकरा शिवकुमार

प्रबंध साझेदार

एफसीएस : F3050, सीओपी सं.2210

यूडीआईएन: F003050E000307893

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन : 07376798

दिनांक : 15.05.2023

स्थान : कोच्ची

कोच्ची

जुलाई 27, 2023

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी का सिद्धांत

- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ("यूसीएसएल"/"कंपनी"), एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अपनी सभी गतिविधियों में निगमित शासन मूल्य प्रणाली को एकीकृत करने का प्रयास करती है। प्रबंधन अच्छी निगमित शासन प्रथाओं को स्थापित करने का प्रयास करता है और इसका उद्देश्य व्यापार का संचालन करते समय पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेही और हितधारक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। निगमित शासन पर यह रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में तैयार की गई है।

निदेशक मंडल

- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पहले पोत परिवहन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था), भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, सीएसएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अध्यक्ष होंगे और बोर्ड के अन्य निदेशक सीएमडी, सीएसएल द्वारा सीएसएल के पूर्णकालिक निदेशकों और अधिकारियों में से जो कि महाप्रबंधक के पद से नीचे न होंगे, पदेन आधार पर अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किए जाएंगे।
- मार्च 31, 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में छह गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। कंपनी का एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष है। दिनांक मार्च 31, 2023 को बोर्ड की संरचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	गैर-कार्यकारी निदेशक
3.	श्री जोस वी जे	08444440	गैर-कार्यकारी निदेशक
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	09543968	गैर-कार्यकारी निदेशक
5.	श्री नीलकंठन ए एन	09578936	गैर-कार्यकारी निदेशक
6.	श्री राजेश गोपालकृष्णन	09576336	गैर-कार्यकारी निदेशक

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), श्री नीलकंठन ए एन (डीआईएन: 09578936) और श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336) को दिनांक 03 मई 2022 को सीएसएल के नामिती के रूप में कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।
- श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन: 07376798), जिनका निदेशक के रूप में कार्यालय रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी था और योग्य होने के कारण 19 सितंबर, 2022 को आयोजित 38 वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किए गए थे।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं हुआ।
- इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी के बोर्ड में शामिल निदेशकों की रूपरेखा, जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति शामिल है, उसे वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दी गई है। मार्च 31, 2023 तक इन निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों और समिति पदों का विवरण नीचे निदेशक और समिति की स्थिति शीर्षक के तहत प्रदान किया गया है।
- आपस में निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटीकरण: शून्य

बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

9. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की छह बैठकें हो चुकी हैं और दोनों बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था। कंपनी की 38 वीं एजीएम सितंबर 19, 2022 को आयोजित की गई थी। उक्त बोर्ड की बैठकों और एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक						एजीएम
	2022					2023	सितंबर 19, 2022
	मई 03	जुलाई 13	अगस्त 04	नवंबर 03	नवंबर 24	जनवरी 30	
श्री मधु शंकुण्णी नायर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री बिजोय भास्कर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री जोस वी जे	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री श्रीजित के नारायणन*	लागू नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री नीलकंठन ए एन*	लागू नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
श्री राजेश गोपालकृष्णन	लागू नहीं	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

* श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 09543968), श्री नीलकंठन ए एन (डीआईएन: 09578936) और श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336) को 03 मई, 2022 को सीएसएल के नामिती के रूप में कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

निदेशक पद और समिति की स्थिति

10. मार्च 31, 2023 को निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों/ अध्यक्षता की कुल संख्या और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सहित समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता के पद नीचे दिए गए हैं :

निदेशक का नाम	निदेशक पद की संख्या		बोर्ड समितियां	
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य
श्री मधु शंकुण्णी नायर	3	3	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	3	-	1
श्री जोस वी जे	-	3	-	1
श्री श्रीजित के नारायणन	-	3	-	-
श्री नीलकंठन ए एन	-	1	-	-
श्री राजेश गोपालकृष्णन	-	1	-	-

- जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निदेशकों द्वारा धारित निदेशकों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनियों में वैकल्पिक निदेशक पद और निदेशक पद शामिल नहीं है।
- सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों और सरकारी कंपनियों की केवल लेखा परीक्षा समितियों और हितधारक संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

बोर्ड समितियां

11. कंपनी, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी होने के नाते, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से मुक्त है। कंपनी को अन्य वैधानिक समितियों जैसे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और हितधारक संबंध समिति का गठन करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य के मद्देनजर कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की कोई वैधानिक समिति गठित नहीं की गई है। हालाँकि, 25 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू के अनुसार इक्विटी शेयरों को आर्बिट्र करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड की एक बार समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष और श्री जोस वी जे, निदेशक शामिल थे। समिति

की बैठक 07 फरवरी, 2023 को हुई और बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे। (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 (2) के साथ पठित कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार, कंपनी के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के कारण, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

आम बैठक

12. पिछली तीन वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि, समय और स्थान नीचे दिया गया है :

वर्ष	दिनांक और समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2019-20*	दिसंबर 17, 2020 – 10.50 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682 015	जी नहीं
2020-21	सितंबर 15, 2021 – 11.20 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682 015	जी नहीं
2021-22	सितंबर 19, 2022 – 10.30 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।	जी नहीं

*चूंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की कोई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) पूर्ववर्ती प्रबंधन/आरपी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, नए निदेशक मंडल ने दिसंबर 17, 2020 को उक्त वर्षों के लिए एलजीएम बुलाई ताकि कंपनी के लंबित कंपनी अधिनियम के अनुपालन को सीएसएल द्वारा अधिग्रहण से पहले, जहां तक संभव हो, नियमित किया जा सके।

13. इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक आसाधारण आम बैठक (ईजीएम) भी आयोजित की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तिथि एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया
अप्रैल 18, 2022 – 11.00 बजे	सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682 015	जी हां।

* कंपनी का नाम बदलने और संस्थापन प्रलेख, संस्था के अंतर्नियम, सामान्य मुद्रा और कंपनी के अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों/कागजातों में परिणामी संशोधन के लिए विशेष प्रस्ताव उक्त ईजीएम में पारित किया गया था।

14. कंपनी की 39 वीं एजीएम सितंबर 19, 2023, 11:15 बजे बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682015 पर आयोजित होनेवाली है।

आचार संहिता

15. बोर्ड ने निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता ('संहिता') निर्धारित की है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने मार्च 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस संबंध में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा नीचे दी गई है:

निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने मार्च 31, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(ह/-)

हरिकुमार ए
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशकों को पारिश्रमिक

16. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक हैं, जिन्हें पदेन आधार पर गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, निदेशकों को कार्य-निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों सहित कोई पारिश्रमिक देय नहीं है। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निदेशकों और कंपनी के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

अन्य प्रकटीकरण

(i) संबंधित पार्टी लेनदेन

17. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संघर्ष कर सकता है या हो सकता है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध/व्यवस्था का विवरण निदेशक रिपोर्ट के अनुलग्नक II में दिया गया है। इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) 24 के अनुसार संबंधित पार्टी के खुलासे कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट 43 में दिए गए हैं।

(ii) कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन

18. कंपनी द्वारा गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं था और कंपनी पर किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर, कंपनी के इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस पूरा होने के बाद की अवधि के दौरान कोई दंड/ प्रतिबंध नहीं लगाई गई थी।

(iii) मुखबिर नीति

19. कंपनी की एक प्रभावी मुखबिर नीति है, जो हितधारकों को अवैध या अनैतिक प्रथाओं, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन जैसे मामलों को प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी द्वारा अपनाई गई मुखबिर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति, कंपनी पर लागू होती है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे पहले टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की मुखबिर नीति /सतर्कता तंत्र के रूप में कार्य करती है। उक्त नीति को को कंपनी की वेबसाइट www.udupicst.com पर होस्ट किया गया है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक को सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

(iv) निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन

20. कंपनी ने भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां भी लागू हो, निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है। इस संबंध में एक कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र अनुलग्नक I में दिया गया है।

(v) वर्ष के दौरान और पिछले तीन वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और उनके अनुपालन का विवरण।

21. वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), एक सीपीएसई, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (जो पूर्व पोत परिवहन मंत्रालय के नाम से जाना जाता था), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में तहत सितंबर 2020 में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में, जहां कहीं लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का संकलन कर रही है।

(vi) लेखा बहियों में डेबिट किए गए व्यय की वस्तुएं, जो व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए नहीं हैं।

शून्य

(vii) वे व्यय जो स्वरूप से व्यक्तिगत हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

शून्य

(viii) वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 14.11% (पिछले वर्ष 11.78 %) था। वित्तीय व्यय वर्ष 2022-23 के कुल व्यय का 1.61% (पिछले वर्ष 2.12 %) था।

(ix) परिणामों के संचार का माध्यम

22. चूंकि कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, इसलिए तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक परिणाम प्रकाशित करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के समेकित वित्तीय परिणाम (तिमाही/छमाही/वार्षिक), नियंत्रक कंपनी जो कंपनी के वित्तीय परिणामों को भी ध्यान में रखती है, सेबी (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के

अनुसार प्रकाशित की जाती है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और आधिकारिक समाचार विज्ञापित कंपनी की वेबसाइट www.udupicsl.com पर उपलब्ध हैं। आगे, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को सीएसएल की वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर भी प्रकाशित किया जाता है।

(x) लेखा परीक्षा शर्त

23. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों, मेसर्स शब्बीर और गणेश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई योग्यता/प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है।

(xi) बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

24. कंपनी के निदेशक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), नियंत्रक कंपनी के कार्यात्मक निदेशक हैं, और शिक्षा, उद्योग, रक्षा, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रों में बहुत विशाल, विस्तृत और

विविध अनुभव रखते हैं। सीएसएल, जहां आवश्यक समझा जाता है, निदेशकों/ मुख्य महाप्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में एक नीति भी अपनाई है।

पत्राचार हेतु पता:

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(पहले टेबमा शिपयार्ड्स के नाम से जाना जाता था)

क्रमांक 377, पषमाथुर गांव

पुकाथुरै पोस्ट, मदुरंतकम तालुक

कांचीपुरम- 603 116

ईमेल: secretary.tsl@cochinshipyard.in

वेबसाइट : www.udupicsl.com

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष

डीआईएन: 07376798

कोच्ची

जुलाई 27, 2023

अनुलग्नक I

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए
निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित है)

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के

सदस्यों के लिए

हमने दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित शासन के शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रासंगिक रिकॉर्ड और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों की हमारी जांच के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नंस की शर्तों, जहां भी लागू हो, का अनुपालन किया है, जैसा कि उपर्युक्त दिशानिर्देश में निर्धारित किया गया है।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते एसईपी और एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

(समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 2763/2022)

सी एस पुष्करा शिवकुमार

प्रबंध साझेदार

एफसीएस: एफ 3050, सीओपी संख्या 2210

यूडीआईएन:F003050E000307244

दिनांक: 15.05.2023

स्थान: कोच्ची

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

दूरदेशी बयान

1. इस प्रबंधन चर्चा में विवरण और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कंपनी के संचालन के परिणाम, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों के अंतर्गत दूरदेशी हो सकते हैं। दूरदेशी बयान भविष्य की घटनाओं की कुछ मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। कंपनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सही हैं या उन्हें साकार किया जाएगा। कंपनी किसी भी बाद के घटनाक्रम, सूचना या घटनाओं के आधार पर दूरदेशी बयानों को सार्वजनिक रूप से संशोधित करने, आशोधित करने या परिशोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम बयान में व्यक्त किए गए परिणामों से वास्तव में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारकों में नौसैनिक प्लेट फॉर्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में बदलाव, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यह कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधान अनुसार है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुपालन में है। उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ('यूसीएसएल' या 'कंपनी') के प्रबंधन ने विवेकपूर्ण और उचित आधार पर वर्ष के लिए मामलों की स्थिति सहित वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमानों और निर्णयों का उपयोग किया है, ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हों।
2. हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन बयानों की टिप्पणी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां 'हम', 'हमें', 'हमारी', 'कंपनी', 'यूसीएसएल', 'ग्रुप' के सभी संदर्भ उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पहले टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और इसकी स्वामित्व कंपनी के संबंध में हैं।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. हाल ही के वर्षों में, वैश्विक समुद्री उद्योग में निश्चितता की कमी रही है। नौभार परेषक, उत्पादक और वाहक सभी को तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ा है, जिसमें कोविड के अवशिष्ट प्रभावों से लेकर भू-राजनीतिक संकट तक शामिल हैं। कोविड महामारी के परिणामस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लगने के बाद, उम्मीदें अधिक थीं कि 2022 में सामान्य स्थिति की वापसी होगी। यह परिप्रेक्ष्य उस वर्ष की शुरुआत में टूट गया जब रूस और यूक्रेन एक बड़े संघर्ष में उलझ गए। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों, साथ ही यूक्रेन के साथ व्यापार में चुनौतियों ने दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण व्यापार प्रवाह को बदल दिया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक ऊर्जा लागत में भारी वृद्धि और यूरोपीय ऊर्जा आयात के एक बड़े हिस्से का नुकसान है, जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है और गंभीर मुद्रास्फीति का खतरा फिर से पैदा हो गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगे अप्रत्याशित झटकों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है और वैश्विक नौवहन बेड़े की उत्पादकता को कम कर दिया है। कुछ प्रभाव अस्थायी साबित हुए, लेकिन ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन लंबे समय तक चलने वाले होने की संभावना है।
4. पोत निर्माण उद्योग एक दशक से अधिक समय से क्षमता को मजबूत कर रहा है। यादों का एक समूह नए ऑर्डर आकर्षित करने में काफी बेहतर ट्रेक रिकॉर्ड दिखाने लगा है। ऑर्डर पर लगभग 80% जलयान कम यार्ड के समूह में बनाए जाते हैं, जिनकी वैश्विक यार्ड क्षमता में संयुक्त हिस्सेदारी 63% है। अपेक्षाकृत कुछ शिपयार्डों के बीच वितरित मजबूत अनुबंध गतिविधि ने नए निर्माण की कीमतों को तेजी से बढ़ा दिया।
5. नौवहन में अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में अभियान हाल ही के वर्षों में गति पकड़ रहा है, जो न केवल कानून में बल्कि वाहक आदेश बही में भी दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने 2030 तक सभी पोतों की कार्बन तीव्रता को 40% तक कम करने के उद्देश्य से नए नियम पेश किए हैं। यह उद्योग बदलाव नए जलयानों के लिए आदेश बही में भी स्पष्ट है, नए आदेश के बढ़ते अनुपात के लिए अधिक टिकाऊ दोहरे ईंधन वाले पोत जिम्मेदार हैं। दोहरे ईंधन पोत आदेश के अनुपात में 2023 में वृद्धि जारी रहने और भविष्य में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि वाहक अधिक टिकाऊ ईंधन स्रोतों की तलाश में हैं।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग

6. भारत में 12 प्रमुख पत्तनों और 200+ गैर-प्रमुख पत्तनों के साथ लगभग 7500 किलोमीटर की दुनिया की सबसे व्यापक तटरेखाओं में से एक है जो समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। समुद्र में जाने वाले जलयानों के माध्यम से तटीय और विदेशी माल की आवाजाही प्रभावित होती है। इसके अलावा, छोटे जलयान/शिल्प भी अंतर्देशीय जलमार्गों और नहरों पर चलते हैं। नौगम्य जलमार्गों के विशाल नेटवर्क, आर्थिक विकास, बाजार की मांग और मानव संसाधन क्षमता के साथ व्यापक समुद्र तट को ध्यान में रखते हुए, भारत पोत निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है।
7. नौवहन उद्योग की जबरदस्त क्षमता को पहचानते हुए, भारत सरकार ने देश को वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करने के लिए पोत निर्माण को शीर्ष दस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना है, और देशी पोत निर्माण को मजबूत करने के लिए कई पहल लागू की हैं।
 - (क) पोत निर्माण पर वित्तीय सहायता नीति (2016),
 - (ख) बुनियादी ढांचे की स्थिति का अनुदान (2016),
 - (ग) आत्मनिर्भर भारत नीति (2020 में संशोधित),
 - (घ) टगों की खरीद/चार्टरिंग के लिए एसओपी (2020), तथा
 - (ङ) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (2020)
8. पोत निर्माण का भविष्य हरित प्रौद्योगिकी, स्वायत्त जलयानों लागत-कुशल प्रौद्योगिकियों आदि द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। भारत के पास छोटे समुद्री जलयान खंड में स्तर बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत सरकार ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता का प्रस्ताव दिया है और हरित टग संक्रमण कार्यक्रम के तहत टग खरीदने की अपनी योजना की भी घोषणा की है। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जल्द मिलने की उम्मीद है।
9. इसके अलावा, भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप और पोत निर्माण और समृद्ध प्रौद्योगिकी के विकास में रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से, रक्षा परियोजनाएं भी भारतीय यादों को सौंपी जाती हैं जो देशी पोत निर्माण और एमएसएमई सहित संबद्ध उद्योगों के रूप में भी बढ़ावा देती हैं।
10. भारत ने खुद को वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इसे प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। हालाँकि, इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सभी स्तरों से अधिक त्वरित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है और कंपनी इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक है।

पोत मरम्मत उद्योग

भारत और वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

11. वैश्विक पोत मरम्मत बाजार लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। चीन, सिंगापुर, बहरीन, दुबई और मध्य पूर्व के शिपयाडों की इस बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। इन स्थानों ने अन्य एशियाई देशों की तुलना में पोत मरम्मत सेवाओं की उच्च लागत के बावजूद एक प्रमुख स्थान हासिल किया है, जिसका मुख्य कारण कुशल कार्यबल की उपलब्धता और नवीनतम तकनीक है जो इन शिपयाडों को भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे अन्य कम लागत वाले स्थानों से मांग आकर्षित करने की अनुमति देती है। पोत मरम्मत और अनुरक्षण सेवा के वैश्विक बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में विकास के समर्थन से 2030 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंच जाएगा।
12. हालाँकि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है, लेकिन देश की स्थिति अनुकूल है क्योंकि वैश्विक व्यापार का 7 से 9% समुद्र तट के 300 एनएम के भीतर गुजरता है। इसके अतिरिक्त, भारत हिंद महासागर और अरब सागर में भारतीय नौसेना और सहयोगी अमेरिकी नौसेना के 5 वें और 7 वें बेड़े को मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह तैयार है। इसके अलावा, भारत के पास वाणिज्यिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों में जहाजों का पर्याप्त बेड़ा है।
13. भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का श्रेय प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यादों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यादों की क्षमता के अंतर को दिया जा सकता है। लागत में कमी के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और पोत मरम्मत निष्पादन चक्र के समय में वृद्धि करने वाले प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे शामिल हैं।
14. भारत ने खुद को एक पोत मरम्मत केंद्र में बदलने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएँ निर्धारित की हैं, जिसके लिए विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, कार्यबल को कुशल बनाना, यार्ड क्षमता को बढ़ाना, सहायक उद्योगों को विकसित करना, कम लागत वाले वित्तपोषण आदि की आवश्यकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं, जैसे, आत्मनिर्भर भारत पीपीपी प्रावधानों और आरओएफआर नियमों का कुशलतापूर्वक लाभ उठाने हुए भारतीय पोत मरम्मत की घरेलू मांग को व्यवस्थित करना, पोत मरम्मत समूहों और फ्लोटिंग ड्राईडॉक्स का विकास, मुक्त व्यापार डिपो के आसान मानदंड, भारत में पोत मरम्मत के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना आदि।
15. मुंबई, कोलकाता और ए एंड एन द्वीप समूह में पोत मरम्मत इकाइयाँ स्थापित की हैं। यूसीएसएल का मुख्य ध्यान पोत निर्माण पर है, लेकिन वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कुछ जलयानों की सफलतापूर्वक मरम्मत भी की है। पोत मरम्मत बाजार में भारी संभावनाओं को देखते हुए, कंपनी इस क्षेत्र में आदेश स्वीकार करने को तैयार

हे और उसे विश्वास है कि वह पोत मरम्मत उद्योग में अग्रणी कुीकीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के मार्गदर्शन और समर्थन से पोत मरम्मत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है।

प्रचालन

16. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियाँ आगे बढ़ीं और कंपनी को विभिन्न प्रमुख आदेश मिले और ग्राहकों की संतुष्टि के लिए विभिन्न जलयानों की सुपदंगी भी की गई। वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित पोत निर्माण आदेश प्राप्त हुए:

- मत्स्य पालन में ऀभयान और व्यावसायिक प्रशिक्षण निदेशालय, रामनाथपुरम, तमिलनाडु, डॉ जे जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए एक प्रशिक्षण पोत,
- जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के लिए एक पर्स सेनर गहरे समुद्र मत्स्य ग्रहण नाव; तथा
- पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड, मुंबई के लिए दो 70 टन बोलाई पुल टग; और

- केरल राज्य के लाभार्थियों के लिए 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)' के तहत पांच टूना लॉन्गलाइनर सह गिलनेट्टर मत्स्य ग्रहण नावे।

17. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उक्त जलयानों के निर्माण, आउटफिटिंग और मशीनरी स्थापना को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए कुीकीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) को कुल सात हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एल्यूमिनियम कैटामारन हल जलयानों वितरित किए। कंपनी ने आंध्र प्रदेश राज्य के लाभार्थी को 'पीएमएमएसवाई' के तहत एक ट्यूना लॉन्गलाइनर कम गिलनेट्टर मत्स्य ग्रहण की नाव और मत्स्य पालन निदेशालय, रामनाथपुरम, तमिलनाडु डॉ. जे. जयललिता मत्स्य पालन विश्वविद्यालय को एक प्रशिक्षण पोत भी वितरित किया। इसके अलावा, कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल किया, जैसे ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 62 टन बोलाई पुल टग्स की स्टील कटिंग और कील बिछाना, पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड के लिए अनुबंधित दो 70 टन बोलाई पुल टग्स की स्टील कटिंग, ड्राई-डॉकिंग और मरम्मत को सफलतापूर्वक पूरा करना। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के एसबीएम, आर्क ऑफशोर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के टग 'चंद्र नेप्ट्यून' की मरम्मत आदि।

18. मजबूत पोत निर्माण आदेशों के आधार पर, आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 4780.96 लाख रुपए की कुल आय दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह 1008.06 लाख रुपए थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के 641.98 लाख रुपए की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 3917.45 लाख रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़ी हुई गतिविधियों के कारण, कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 के 1294.13 रुपए के मुकाबले अपना घाटा 33% कम करके 866.54 लाख रुपए कर सकती है। समीक्षाधीन अवधि के लिए वित्तीय मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	कुल आय	4780.96	1008.06
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यहास एवं कर पूर्व लाभ/ (हानि)	29.63	(128.83)
(iii)	वित्तीय लागत	95.49	53.45
(iv)	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1083.02	1322.03
(v)	कर पूर्व लाभ/ (हानि)	(1148.88)	(1504.31)
(vi)	कर	(282.34)	(485.33)
(vii)	असाधारण मदे	-	(275.15)
(viii)	कुल लाभ/ (हानि)	(866.54)	(1294.13)
(ix)	निवल मूल्य	14065.61	12431.53

प्रस्तावित लाभांश

19. विभाज्य लाभ की अनुपलब्धता के कारण किसी लाभांश की अनुशांसा नहीं की जाती है।

खंडवार/उत्पादवार निष्पादन

20. कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण में लगी हुई है और पोतों और अन्य अस्थायी संरचनाओं की मरम्मत भी करती है। कंपनी का खंडवार प्रदर्शन नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2023 को	मार्च 31, 2022 को
खंड परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	11726.98	7742.24
पोत मरम्मत	17.37	-
अन्य	10312.70	9382.06
कुल	22057.05	17124.30
खंड देयताएं		
पोत निर्माण	1029.01	741.68
पोत मरम्मत	4.44	-
अन्य	6957.99	3951.09
कुल	7991.44	4692.77
खंड राजस्व		
पोत निर्माण	3308.80	641.98
पोत मरम्मत	608.65	-
अनाबंटित	863.51	366.08
कुल	4780.96	1008.06
खंड परिणाम		
पोत निर्माण	(970.44)	27.40
पोत मरम्मत	270.65	-
अनाबंटित	(449.09)	(1531.71)
कुल	(1148.88)	(1504.31)

शक्तियाँ, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां (स्वोट)

21. कंपनी के पास उच्च बुनियादी ढांचा और सुविधाएं हैं, जिसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए टग से लेकर बड़े एमपीएसवी और जीटीआरवी तक छोटे और मध्यम आकार के जलयानों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई है। इसके अलावा, नियोजित कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम अत्यधिक प्रतिबद्ध और समर्पित कार्यबल कंपनी की प्रमुख शक्तियों में से एक है। यूसीएसएल भारत के प्रमुख शिपयार्डों में से एक, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी होने के नाते, विभिन्न प्रकार के जलयानों के निर्माण और मरम्मत में सीएसएल की विशेषज्ञता और अनुभव कंपनी की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। कंपनी स्वदेशी सहायक उद्योगों के स्थिर विकास और इसके परिणामस्वरूप प्रमुख उपकरण/कच्चे माल की अनुपलब्धता को योजना के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक बड़ी कमजोरी मानती है।
22. पोत निर्माण उद्योग और उभरते क्षेत्रों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत मत्स्य ग्रहण जलयानों टग, पोर्ट क्राफ्ट, छोटे ड्रजर, कार्गो जलयानों, कॉम्पैक्ट विशेषीकृत क्राफ्ट आदि के विकास पर सरकार का जोर प्रचुर अवसर

प्रदान करने की उम्मीद है और कंपनी जहां भी संभव हो ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है।

23. कंपनी द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख खतरों में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी, श्रम की बढ़ती लागत, खरीद पर कड़े सरकारी नियम, प्रतिस्पर्धियों की संकट मूल्य निर्धारण नीतियां आदि शामिल हैं।

जोखिम और चिंताएं

24. कंपनी के लिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित चक्रीय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, जो तेल, प्राकृतिक गैस, शिपिंग, परिवहन और अन्य व्यापार-संबंधित उद्योगों जैसे उद्योगों की चक्रीय प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील है। पोत निर्माण जैसे आदेश-संचालित व्यवसाय में कंपनी की वृद्धि और अस्तित्व के लिए आदेश बही बनाना महत्वपूर्ण है, जहां प्रत्येक जलयान को निर्देश-निर्मित किया जाता है। आदेश की उपलब्धता, उसका शीघ्र प्राप्त होना और समय पर निष्पादन पोत निर्माण उद्योग में प्रमुख चुनौतियों में से एक है। कंपनी स्टील जैसे कच्चे माल, साथ ही पंप, प्रोपेलर, इंजन आदि जैसे अन्य उपकरणों और घटकों की समय पर सुपुर्दगी के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है।

कच्चे माल की आपूर्ति में कमी/विलंब कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। कंपनी को विभिन्न परिचालन जोखिमों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मशीनरी का टूटना, विफलता या घटिया प्रदर्शन, जिसके परिणामस्वरूप आग/विस्फोट आदि हो भी सकता है और नहीं भी। हालाँकि ऐसी घटनाओं पर होने वाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष जोखिम नीति के तहत शामिल किया जाता है, यूसीएसएल के पास व्यवसाय में रूकावट के लिए बीमा नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण परिचालन संबंधी व्यवधान निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने की कंपनी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और ग्राहकों को पोटों की सुपुर्दगी में देरी का कारण बन सकता है।

25. माल्पे हार्बर कॉम्प्लेक्स और हैंगरकड्डा में कंपनी की सुविधाएं सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर स्थापित की गई हैं और दिसंबर 2022 में पट्टे को 03 मार्च 2050 तक बढ़ा दिया गया है।

आंतरिक नियंत्रण

26. कंपनी ने अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, ऋणियों और धोखाधड़ी को रोकने और उनका पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण समय पर तैयार करने और प्रस्तुत करने के द्वारा कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

27. दिनांक 31 मार्च, 2023 तक, कंपनी में 93 कर्मचारी हैं जिनमें 39 अधिकारी, 14 पर्यवेक्षक और 40 कर्मचारी शामिल हैं। कंपनी ने अपने प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत 6 प्रशिक्षुओं को भी नियुक्त किया है। उपरोक्त के अलावा, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के कर्मचारी भी अस्थायी स्थानांतरण आधार पर लगे हुए हैं। इसके अलावा, कंपनी अपने कार्यबल को नौकरी की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखा।

पर्यावरण संरक्षण और परिरक्षण, प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

28. कंपनी सतत विकास में विश्वास करती है और व्यवसाय के संचालन में पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जहां भी संभव हो, कंपनी अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और प्रचालन में नवीनतम उपलब्ध तकनीक को अपनाने का भी प्रयास करती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचालन करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण/प्रौद्योगिकी अवशोषण के क्षेत्रों में गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। फिर भी, प्रचालन सुव्यवस्थित होने के बाद कंपनी इस दिशा में सभी गंभीर प्रयास करेगी। यह भी उल्लेखनीय है कि, सुविधाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचालन के प्रस्तावों पर विचार

करते समय, कंपनी ने जहां भी संभव हो, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण, नई प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाने को प्राथमिकता दी थी।

29. इसके अलावा, कंपनी के प्रमुख आदेशों में से एक विभिन्न क्षमताओं के बोलार्ड पुल टरस का निर्माण है और इस दिशा में कंपनी ने रॉबर्ट एलन लिमिटेड, कनाडा से टग डिजाइन खरीदे है, जो टग, अंतर्देशीय जलयान, हार्बर क्राफ्ट और अन्य विशिष्ट जहाज डिजाइन करने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी है। व्यवसाय में दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक से खरीदे गए ट ग डिजाइन से कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही देशीय टग पोत बाजार को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के एक विशेष उत्पाद विकसित करने में काफी हद तक मदद मिलने की उम्मीद है। इससे निर्यात में भी वृद्धि होगी और आयात में कमी आएगी क्योंकि खरीदारों के पास उच्च गुणवत्ता वाले भारत में निर्मित टरस खरीदने का विकल्प होगा जो अन्यथा विदेशी शिपयार्ड से खरीदे जाएंगे। इसके अलावा, कंपनी ने यार्ड में चल रही परियोजनाओं के लिए, जहां भी संभव हो, भारत में निर्मित उत्पादों का विकल्प चुना है ताकि स्टोर/स्पेयर/उपकरण आदि के आयात को कम किया जा सके। इन कार्यों से देश के विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद मिलेगी।
30. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने विदेशी मुद्रा में खर्च के लिए 1426.71 रु. की राशि खर्च की है। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा में कोई आय अर्जित नहीं की गई है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

31. कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के दायरे में नहीं आती है जो सीएसआर से संबंधित है। हालाँकि, नियंत्रक कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अपनी सीएसआर पहल के तहत उडुपी में कंपनी की सुविधाओं के आसपास और उसके आसपास कुछ परियोजनाओं की पहचान की है और जल्द ही निष्पादित होने की उम्मीद है।

चेतावनी बयान

32. इस 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' में कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, धारणाओं या पूर्वानुमानों का वर्णन करनेवाला विवरण है, जो लागू नियमों और विनियमों के अर्थ के भीतर दूरदेशी बयान हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से प्रत्यक्ष रूप में भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालन में अंतर लानेवाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग/आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली आर्थिक स्थितियां, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य की स्थिति, सरकारी नीतियां और विनियम, कानून और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकरणी नायर

कोची

अध्यक्ष

जुलाई 27, 2023

डीआईएन : 07376798

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) के सदस्य

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा और टिप्पणियों के परिणामस्वरूप, संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट निम्नानुसार है। यह दिनांक 28 अप्रैल 2023 की हमारी पिछली रिपोर्ट का स्थान लेता है। हमारी रिपोर्ट में निम्नलिखित परिवर्तन प्रभावी हुए:

क. मामले की अवधारणा का पैरा 3 हटा दिया गया है।

ख. अनुलग्नक (vii)(ख) (स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अनुच्छेद 1 में संदर्भित) को वैधानिक बकाया राशि की जानकारी शामिल करने के लिए बदल दिया गया है जो किसी भी विवाद के कारण से जमा नहीं किया गया है।

इस संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट का कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 28 अप्रैल 2023 की मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद हुई हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया केवल मामले की अवधारणा और अनुलग्नक क (स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अनुच्छेद 1 में संदर्भित) के खंड (vii)(ख) में किए गए संशोधनों तक ही सीमित है।

लेखापरीक्षकों की राय

हमने उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य ('कंपनी') के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक का तुलन पत्र एवं लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण) और वित्तीय विवरणों का नोट जिसमें प्रमुख लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है (बाद में 'वित्तीय विवरण' के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी आवश्यक तरीके से प्रदान करती है और संशोधितानुसार, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक और दिनांक 31, 2023 तक कंपनी के मामलों पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि (अन्य व्यापक आय

सहित), और समाप्त वर्ष हेतु अपने नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के अनुरूप में एक सही और निष्पक्ष राय देती है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एस ए एस) के अनुसार अपने लेखा परीक्षा का संचालन किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामला की अवधारणा

हम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- नोट 4 - कुल्पी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि का मूल्य, जिसे सत्यापन और मूल्यांकन लंबित होने के कारण लेखे में मान्यता नहीं दी गई है।
- नोट 15 और नोट 25 - लेनदारों की समिति को प्राप्य और देय राशि जिसके लिए शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा सार

मुख्य लेखा परीक्षा सार वे बातें हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में पूरी तरह से संबोधित किया गया था, आगे हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3.14 (क) में वर्णित है, कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को तब पहचानती है जब वह अपने प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

ग्राहकों के साथ अनुबंधों पर राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय हैं, जिसमें पूर्ण प्रदर्शन दायित्वों के लिए लेनदेन मूल्य आबंटन का अनुमान और राजस्व मान्यता का समय निर्धारित करना शामिल है।

कंपनी लेनदेन मूल्य के आधार पर राजस्व की पहचान करती है, जो कि उचित मूल्य है प्राप्त होनेवाली वित्तीय सहायता सहित प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल। कार्य-निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए इकाई के प्रयासों या इनपुट के आधार पर राजस्व की पहचान की जाती है (अर्थात्, उपभोग किए गए संसाधन, खर्च किए गए श्रम घंटे, खर्च की गई लागत, बीता हुआ समय या उपयोग किए गए मशीन घंटे) जो उस कार्य-निष्पादन की संतुष्टि हेतु कुल अपेक्षित इनपुट के सापेक्ष है।

‘वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पण 3.18 में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - आयकर’ और ‘वित्तीय विवरणों के लिए नोट 9: आस्थगित कर परिसंपत्तियां’ लेखांकन नीतियों का संदर्भ ले।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता में शामिल महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय के लिए कंपनी की अपेक्षाओं के आधार पर भविष्य की कर योग्य आय के निर्धारण की आवश्यकता होती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली का आकलन एक उचित और समर्थन योग्य साक्ष्य और निश्चितता परीक्षण पर आधारित है, जो आस्थगित कर परिसंपत्तियों की संरचना पर निर्भर करता है।

कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन को देखते हुए, हमने महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आय पूर्वानुमानों के आधार पर भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान लगाने में शामिल मान्यताओं के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

- राजस्व लेखा मानक के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन करना।
- आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और वास्तविक परीक्षण निम्नानुसार है:
 - राजस्व लेखांकन मानक के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन करना।
 - निरंतर अनुबंधों का एक नमूना चुनना, और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना, विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और लेनदेन मूल्य के निर्धारण से संबंधित है, और इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में जांच और अवलोकन और साक्ष्य के निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन करना।
 - राजस्व लेखांकन मानक के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड करने और प्रकट करने में उपयोग किए जानेवाले अनुबंधों और संबंधित जानकारी से संबंधित प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की पहुंच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण का परीक्षण करना। चालू और अनुबंधों का एक नमूना चुनना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं करना :
 - इन अनुबंधों में अलग-अलग कार्य-निष्पादन दायित्वों को पढ़ना, विश्लेषण करना और पहचानना।
 - कंपनी द्वारा पहचाने और रिकॉर्ड किए गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना करना।
 - राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और परिवर्तनीय प्रतिफल के अनुमान के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी परिवर्तनीय विचार सहित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुबंध की शर्तों को ध्यान में रखना।

हमारी प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है:

- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का आकलन करना।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों के विभिन्न घटकों का विवरण प्राप्त करना और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भविष्य की अवधि के लिए कर योग्य आय के अनुमानों का विवरण प्राप्त करना।
- निदेशक मंडल की बैठकों में जहां भविष्य के पूर्वानुमानों को मंजूरी दी गई थी, वहां पुष्टि प्राप्त करना।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त मदों पर आयकर अधिनियम में संशोधन और इसके परिणामी प्रभाव से संबंधित प्रबंधन मूल्यांकन का मूल्यांकन करना।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

- आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की निर्धारण के लिए भविष्य के कर योग्य मुनाफे की उपलब्धता का अनुमान लगाने हेतु प्रबंधन मूल्यांकन का आकलन करना।
- उस अवधि का आकलन करना जिस पर भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जाएगी।
- वर्तमान और पिछले वर्षों के बजट के साथ-साथ कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और प्रबंधन के साथ उनके आधार और मान्यताओं के संबंध में इस बात का समर्थन करने के लिए चर्चा की कि आस्थगित कर संपत्ति को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त कर योग्य आय होगी।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और तत्संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण और तत्संबंध में हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पर अन्य जानकारी को शामिल नहीं किया है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं कर रहे हैं।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ वस्तुतः असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रभारी शासन का उत्तरदायित्व

इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार होगा जो भारतीय लेखांकन मानक, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित, इसके अधीन जारी संगत नियमों के साथ पढित, सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के वित्तीय स्थिति, लाभ एवं हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन), इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का एक सही और उचित दृश्य देता है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पहचानने हेतु अधिनियम के प्रावधानों

के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव उचित लेखाकरण नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव जो भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो एक सच्चे और निष्पक्ष राय देती है और यदि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालन कर रहे थे, भी शामिल है।

एक चालू व्यवसाय को बनाए रखने में निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, जैसा लागू है, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों और लेखांकन के चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करते हुए जब तक निदेशक मंडल या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं या नहीं, और एक लेखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को जारी किया जाए, जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एस ए एस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूदा वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती है और उसे वस्तुगत माना जाएगा यदि, वस्तुगत रूप से या कुल रूप में, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने हेतु यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेहवाद बनाए रखता है। हम यह भी करते हैं कि:

- वित्तीय विवरण के वास्तविक गलती के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे यह धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधडी के परिणामस्वरूप होनेवाली वास्तविक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणाम स्वरूप होनेवाले से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधडी में कपटसंधि, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी करना आदि शामिल हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण के लिए प्रचालनात्मक प्रभावशीलता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चालू मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और, प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, क्या ऐसी घटना या शर्तों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो, हमें स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में संबंधी प्रकटीकरण में हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या, यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो, हमारी राय को संशोधित करना है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक से इस तिथि तक प्राप्त की गई लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर है। फिर भी, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी के सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना, समाप्त होने में परिणत हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करना, और क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं तो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम, अन्य मामलों से संबंधित शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा जांच-परिणाम, जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हम पहचान किए गए आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित है, के संबंध में संवाद करते हैं।

हम, शासन के साथ प्रभारित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हम स्वतंत्रता के संबंध में संगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है, और सभी संबंध और अन्य मामले के संबंध में उन्हें संसूचित किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को संभालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय को भी उचित माना जा सकता है।

शासन के साथ प्रभारित उन लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम, उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो मौजूदा अवधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम, अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों की आशंका होगी।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षितानुसार, हम ने अनुलग्नक 'क' में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान की रिपोर्ट प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी के अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम, अनुलग्नक 'ख' में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए निदेशों और अतिरिक्त निदेशों पर एक रिपोर्टें देते हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - क. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हैं, और यह हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - ख. हमारी राय में, बहियों की जांच करने से मालूम होता है कि कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षितानुसार बहियों को सही तरीके से रखी गई है।
 - ग. इस रिपोर्ट द्वारा बताए गए तुलन पत्र, लाभ व हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन विवरण लेखा बहियों के अनुरूप है।
 - घ. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन करता है।
 - ङ. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक जून 5, 2015 द्वारा दी गई छूट के मद्देनजर, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता इस रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- छ. अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हम कोई टिप्पणी नहीं देते हैं क्योंकि कंपनी को दिनांक जून 5, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) द्वारा धारा 197 के प्रावधानों से छूट दी गई है।
- ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - वित्तीय विवरणों के लिए नोट 42.ख देखें।
 - कंपनी के पास मार्च 31, 2023 तक दीर्घकालिक अनुबंध है, जिस के लिए कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है। मार्च 31, 2023 तक कंपनी के पास दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं है।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखे में नोट 42 में खुलासा किया गया है, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री हैं) को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल हैं, उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा ("अंतिम लाभार्थी") या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
- (ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि लेखे के नोट 49 (L) में सूचित किया गया है, कंपनी को विदेशी इकाई (निधियन पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि, कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधियन पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी।
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।
- vi. लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके लेखे बहियां बनाए रखने हेतु कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो दिनांक 01 अप्रैल 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009033 एस्

सी ए गणेश चेरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 13.07.2023

यूडीआईएन : 23207231BGRDCC3845

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत अनुच्छेद में उल्लिखित अनुलग्नक।

हम यहां खंड (vii) (ख) को प्रतिस्थापित करके स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में यह संशोधित अनुलग्नक क जारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट दिनांक 28 अप्रैल 2023 की हमारी पिछली रिपोर्ट का स्थान लेती है।

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांचे गए लेखा बहियों और अभिलेखों में, हम कहते हैं, कि,

- i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं अमूर्त संपत्ति के संबंध में:
 - अ. (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, कुल्पी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि के मूल्य इसमें शामिल नहीं है, जिसे सत्यापन और मूल्यांकन लंबित होने के कारण लेखे में मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - आ. वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है और इस तरह के सत्यापन पर कोई प्रत्यक्ष विसंगतियां नहीं देखी गईं।
 - इ. जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है, तत्संबंधी संपत्ति कर रसीद और पट्टा करार, हमें प्रदान किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/वाहन विलेख में हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, अन्य सभी अचल संपत्तियों के स्व-निर्मित भवनों और शीर्षक विलेखों के संबंध में शीर्षक (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत् निष्पादित किया जाता है), संपत्ति के तहत शामिल वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार संयंत्र एवं उपकरण कंपनी के नाम पर रखे गए हैं। सिवाय इसके कि पूर्ण स्वामित्व भूमि का स्वामित्व विलेख पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड और टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
 - ई. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार की संपत्ति सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

उ. वर्ष के दौरान मार्च 31, 2023 तक कंपनी के खिला बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (वर्ष 2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

- ii. (क) प्रबंधन द्वारा अपनाई गई मालसूची सत्यापन प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूची को प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है और इस तरह के सत्यापन पर सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमारी राय में, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक विवरणों या विवरण कंपनी के लेखे बहियों के अनुरूप हैं।
- iii. कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है। तदनुसार, आदेश के खंड (iii) (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) और (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- iv. कंपनी ने धारा 185 के तहत शामिल पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई गारंटी नहीं दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iv) के तहत रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।
- v. कंपनी ने धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (v) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
- vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत आवश्यक लागत रिकॉर्ड का रखरखाव रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है। इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।
- vii. (क) कंपनी आमतौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उस पर लागू कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है।

मार्च, 31, 2023 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी।

(ख) उपरोक्त उप-खंड (क) में उल्लिखित वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवादों के कारण दिनांक 31 मार्च 2023 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है :

क्र.सं	संविधि का नाम	वैधानिक देय राशि की प्रकृति	विवाद की राशि (लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	89.25	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
2	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	106.12	2007-2008	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
3	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	219.01	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
4	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	जुर्माना, सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	278.23	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
5	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	45.42	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
6	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	151.18	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
7	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	8.90	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
8	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	210.28	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
9	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992	सीमा शुल्क की राशि जिस पर छूट ली गई, ब्याज	314.07	2006-2007	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय
10	स्थानीय क्षेत्रों में माल प्रवेश केरल कर अधिनियम	प्रवेश कर	0.45	2006-07	उच्चतम न्यायालय
11	कर्नाटक माल प्रवेश कर अधिनियम, 1979	प्रवेश कर	48.48	2012-13	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण
12	कर्नाटक माल प्रवेश कर अधिनियम, 1979	प्रवेश कर	4.92	2010-11	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण
13	कर्नाटक माल प्रवेश कर अधिनियम, 1979	प्रवेश कर	23.05	2009-10	कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण
14	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	72.57	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
15	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	99.54	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
16	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले विवाद में हैं	454.00	2009-10	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
17	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम	वैट	72.72	2008-09	पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर आयुक्त
18	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	94.10	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर
19	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	441.72	2008-09	सीईएसटीएटी, बेंगलूर

क्र.सं	संविधि का नाम	वैधानिक देय राशि की प्रकृति	विवाद की राशि (लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित	फोरम जहां विवाद लंबित है
20	कर्नाटक वेट	कर्नाटक वेट	11.91	सितंबर 2017- दिसंबर 2017	सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त, एलजीएसटीओ - 280

क्र.सं. - 1 से 9 - विवाद की राशि में दिनांक 01/04/2016 से दिनांक 31/03/2023 तक गणना की गई ब्याज शामिल है।

नोट : क्र.सं. में उल्लिखित राशि के संबंध में विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तालिका में उल्लिखित ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी के समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं है क्योंकि आईबीसी के नियमों के संदर्भ में समाधान पेशवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और जो परिचालन ऋणदाताओं के निर्धारण के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04.03.2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में त्याग दिए या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (क) कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधार पर या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा हठी चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में बकाया सावधि ऋण उस उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, प्रथम दृष्टया, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं

जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई तरजीही आबंधन या निजी स्थानन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय में, कंपनी संबंधित पक्षों के साथ लागू लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. (क) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख) और (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मूल निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मूल निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में निर्धारित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii. कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 66.24 लाख रुपए और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 163.39 लाख रुपए का नकद हानि हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix. वित्तीय अनुपात, पुराने हुए और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं के समर्थन करनेवाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी प्रत्यक्ष अनिश्चतता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे शेष राशि से तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती है। इसके अलावा, कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है जिसका पुनर्भुगतान तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि, हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित

है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होनेवाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

xx. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान रिपोर्टिंग अवधि के लिए लागू नहीं है। इसलिए इस खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

xxi. चूंकि कोई सहायक कंपनी नहीं है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पूरी तरह से कंपनी के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण पर आधारित है, अनुच्छेद 3(xxii) खंड के तहत हमारी रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009033 एस

सी ए गणेश यरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उदुपी

दिनांक :- 13.07.2023

यूडीआईएन : 23207231BGRDCC3845

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि के हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित अनुलग्नक।

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निदेश :

हम निम्न दिए गए मामलों पर अपनी रिपोर्ट देते हैं :

1. सामान्य निदेश

क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास व्यवस्था है? यदि हां, तो, वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के संसाधन के निहितार्थ, यदि कोई हो, बताए जाए।

हमारी राय में, कंपनी के पास माल सूची प्रबंधन को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय है कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है।

ख) क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के कोई पुनः संरचना या उधार/ऋण/ब्याज आदि की छूट है? यदि हां, तो, वित्तीय प्रभाव निर्दिष्ट किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो, यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।)

कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत निर्गमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन थी और समाधान योजना को

दिनांक 04 मार्च 2020 को एनसीएलटी-डिविजन बेंच-1, चेन्नई द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार ऋणदाता बैंकों के कुल स्वीकृत ऋण में से कुल 602.39 करोड़ रुपए, 9.74% वेतन राशि 58.65 करोड़ रुपए थी, जो अनुमोदित किया और सितंबर 2020 के दौरान उधारदाताओं को भुगतान किया गया था। देनदारियों के बड़े खाते में डालने का वित्तीय प्रभाव वित्त वर्ष 2019-20 में दिया गया था। समाधान योजना के अनुसार, वित्तीय लेनदार बहिष्कृत जहाजों और बहिष्कृत वित्तीय संपत्तियों की आय के लिए भी पात्र हैं।

इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी के किसी ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि के छुड़ाव/बड़े खाते का कोई मामला नहीं हुआ है।

ग) क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धन (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया गया/उपयोग किया गया ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया गया/ उपयोग किया गया था।

ख. उप निदेश

लेखापरीक्षा अवधि के लिए कोई उप निदेश जारी नहीं किया गया था।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 009033 एस

सी ए गणेश यरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 13.07.2023

यूडीआईएन : 23207231BGRDCC3845

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के सदस्यों के लिए हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2023 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड ('कंपनी') के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है ('दशानिर्देश नोट')। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित दिशानिर्देश नोट और लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की

लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक किया। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिक्तियों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप में प्रभावित करता है। (2) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिक्तियों किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और (3) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधड़ी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड़ जाएगा।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को सभी महत्वपूर्ण मामलों में, इन भारतीय लेखा मानक विवरणों के संदर्भ के साथ, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों को, भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2023 को प्रभावी ढंग से प्रचालित किया जा रहा था।

कृते शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण सं. 009033 एस

सी ए गणेश चेरमाल

साझेदार

सदस्यता सं. 207231

स्थान :- उडुपी

दिनांक :- 13.07.2023

यूडीआईएन : 23207231BGRDCC3845

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने हेतु जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा दिनांक 13.07.2023 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 28.04.2023 का अधिक्रमण करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधन के मद्देनज़र, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 42.ख में दर्शाया गया है, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए मेरे पास अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर देने या अनुपूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

**भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से और उनके पक्ष में**

स्थान : चेन्नई
तिथि : 27 जुलाई 2023

(एस.वेल्लियांगिरी)
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

दिनांक 31 मार्च, 2023 का
तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

व्योरा	टिप्पणी सं.	मार्च 31, 2023को	मार्च 31, 2022 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4	8,464.05	8,700.50
(ख) पुंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	1,280.39	470.45
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	7.82	14.35
(घ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	7	16.27	8.89
(ङ) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	8	61.26	30.40
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	9	4,757.57	4,474.85
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		14,587.36	13,699.44
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	10	2,095.86	992.21
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राय्य व्यवहार	11	331.57	97.51
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	12	932.85	1,580.51
(iii) उपर्युक्त(ii) को छोड़कर बैंक शेष	13	1,388.48	100.88
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	14	20.79	4.53
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां	15	2,700.14	635.63
कुल चालू परिसंपत्तियां		7,469.69	3,411.27
विक्रो के लिए रखे संपत्ति	16	-	13.59
कुल परिसंपत्तियां		22,057.05	17,124.30
इक्विटी और देवताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पुंजी	17	9,000.00	6,500.00
(ख) अन्यइक्विटी	18	5,065.61	5,931.53
कुलइक्विटी		14,065.61	12,431.53
देवताएं:			
अप्रचलित देवताएं			
(क) वित्तीय देवताएं			
(i) उधार	19	1,500.00	1,500.00
(ia) षट्टा देवताएं	20	584.13	61.90
(ख) प्रावधान	21	23.97	8.03
कुल अप्रचलित देवताएं		2,108.10	1,569.93
चालू देवताएं			
(क) वित्तीय देवताएं			
(i) उधार			
(ia) षट्टा देवताएं	22	56.57	14.96
(ib) बैंको से	23	705.00	-
(ii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल वकाया राशि	24	725.19	373.22
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के कुल वकाया राशि		307.45	64.19
(iii) अन्य वित्तीय देवताएं	25	1,776.46	1,449.64
(ख) अन्य चालू देवताएं	26	1,493.23	209.76
(ग) प्रावधान	27	819.44	1,011.07
कुल चालू देवताएं		5,883.34	3,122.84
कुल इक्विटी और देवताएं		22,057.05	17,124.30

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1-3
4-52

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969
उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

शंकर नटराज
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे
निदेशक
डीआईएन -08444440

मधु एस नावर
अध्यक्ष
डीआईएन-07376798

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.009033एस)

सी ए गणेश वाई
साझेदार
(सदस्यता सं. 207231)
उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

दिनांक 31 मार्च, 2023 को

समाप्त वर्ष का लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	ब्योरा	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष 31.03.2023	समाप्त वर्ष 31.03.2022
	आय			
I	प्रचालनों से आय	28	3917.45	641.98
II	अन्य आय	29	863.51	366.08
III	कुल आय (I+II)		4780.96	1008.06
	व्यय			
IV	उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	1739.01	389.73
	कार्य प्रगति की सूची में परिवर्तन	31	(143.74)	(352.31)
	उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	32	1639.78	332.83
	कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	33	679.48	451.72
	वित्तीय मूल्य	34	95.49	53.45
	मूल्यहास और ऋणमुक्त व्यय	35	1083.02	1322.03
	अन्य व्यय	36	836.80	296.03
	प्रत्याशित हानियों और व्यय के लिए प्रावधान	37	-	18.89
	कुल व्यय (IV)		5929.84	2512.37
V	विशेष मदों और कर से पहले लाभ/(हानि)(III-IV)		(1148.88)	(1504.31)
VI	विशेष मद	38	-	275.15
VII	कर पूर्व लाभ/ (हानि) (V-VI)		(1148.88)	(1779.46)
VIII	कर व्यय			
	(1) चालू कर	8	0.38	-
	(2) आस्थगित कर		(282.72)	(485.33)
IX	अवधि य वर्ष का लाभ/ (हानि) (VII-VIII)		(866.54)	(1294.13)
X	अन्य ब्योरेदार आय			
	(क) मदों को लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	(ख) मदों को लाभ या हानि के सामने पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.62	-
	वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		0.62	-
XI	वर्ष के लिए कुल ब्योरेदार आय (IX+X)		(865.92)	(1294.13)
XII	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन(प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 10)		9000.00	6500.00
	प्रत्येक ₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर	39		
	(1) मूल (₹ में)		(1.26)	(1.99)
	(2) तनुकृत (₹ में)		(1.26)	(1.99)
			वार्षिक	वार्षिक

कॉर्पोरेट अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1-3

फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के नोट

4-52

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अश्विन शर्मा एम

कंपनी सचिव

स.सं A41969

उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

शंकर नटराज

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे

निदेशक

डीआईएन -08444440

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन-07376798

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.009033एस)

सी ए गणेश वाई

साझेदार

(सदस्यता सं. 207231)

उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01, 2022 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 को
6,500.00	2,500.00	9,000.00

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01, 2021 को	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2022 को
6,500.00	-	6,500.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

	आरक्षण व अधिशेष		कुल
	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2022 को शेष	7,361.70	(1,430.17)	5,931.53
वर्ष के लिए लाभ	-	(866.54)	(866.54)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	0.62	0.62
मार्च 31, 2023 को शेष	7,361.70	(2,296.09)	5,065.61

(₹ लाखों में)

	आरक्षण व अधिशेष		कुल
	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	
अप्रैल 01, 2021 को शेष	7,289.25	(136.04)	7,153.21
जोड : हैंगरकट्टा भूमि का उचित मूल्य पर विचार किया गया	72.45	-	72.45
वर्ष के लिए लाभ	-	(1,294.13)	(1,294.13)
मार्च 31, 2022 को शेष	7,361.70	(1,430.17)	5,931.53

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1-3

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

4-52

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अश्विन शर्मा एम
 कंपनी सचिव
 स.सं A41969
 उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

शंकर नटराज
 मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे
 निदेशक
 डीआईएन -08444440

मधु एस नायर
 अध्यक्ष
 डीआईएन-07376798

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश
 सनदी लेखाकार
 (फर्म पंजीकरण सं.009033एस)

सी ए गणेश वाई
 साझेदार
 (सदस्यता सं. 207231)
 उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाखों में)

व्योरा	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	(1,148.88)	(1,779.46)
समायोजन:		
मूल्यहास एवं ऋण परिशोधन	1,083.02	1,322.03
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री/ बट्टे खाते में हानि	4.23	454.51
वित्त लागत	92.32	46.93
बैंक जमे से ब्याज आय	(68.53)	(75.68)
पट्टा संशोधन पर हानि	28.29	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ)/हानि	1.49	(0.36)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	(8.06)	(32.03)
कार्यशील पूंजी में चलन:		
मालसूचियों में (वृद्धि) / घटती	(1,103.65)	(804.01)
व्यापार, अन्य प्रायों और संपत्तियों में (वृद्धि) / घटती	(2,336.81)	(660.01)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	2,735.45	450.67
	(713.07)	(1,045.38)
आयकर प्रदत्त (वापसी निवल)	(0.38)	-
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	(713.45)	(1,045.38)
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद	(102.28)	(466.67)
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(786.36)	(365.55)
'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति' की बिक्री	9.36	
सावधी जमे में कमी / (वृद्धि)	(1,287.60)	(100.07)
सावधि जमे पर प्राप्त ब्याज	52.27	71.82
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	(2,114.61)	(860.47)
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
उधार की चुकौती	-	-
वदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/हानि	(1.49)	0.36
ऋण का उधार	-	1,000.00
राइट्स इश्यू के लिए आय	2,500.00	-
वित्त लागत	(115.91)	(27.50)
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(202.20)	(13.49)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	2,180.40	959.37

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2022 को समाप्त वर्ष
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क)अ(ख)अ(ग)	(647.66)	(946.48)
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	1,580.51	2,526.99
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	932.85	1,580.51
रोकड और रोकड तुल्यांक के घटक (नोट 12 का संदर्भ लें)		
हाथ में रोकड	-	-
बैंकों में शेष		
- चालू खाते में	932.85	1,580.51
कुल रोकड और रोकड तुल्यांक	932.85	1,580.51

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां
 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1-3
 4-52

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अश्विन शर्मा एम

कंपनी सचिव

स.सं A41969

उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.009033एस)

सी ए गणेश वाई

साझेदार

(सदस्यता सं. 207231)

उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

शंकर नटराज

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे

निदेशक

डीआईएन -08444440

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन-07376798

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ

1.1. निगमित जानकारी

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक जहाजों और भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत के निर्माण और मरम्मत में लगी कंपनी दिनांक जुलाई 09, 1984 को स्थापित किया गया था। टीएसएल को 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था, जो 'टेबमा इंजीनियरिंग लिमिटेड' के रूप में सार्वजनिक हो गया और बाद में इसका नाम बदलकर 'टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड' कर दिया गया। सितंबर 2020 में कंपनी को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के ज़रिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) एक सीपीएसई, जो कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में है, द्वारा अधिग्रहित किया गया था। परिणामतः 22 अप्रैल 2022 को कंपनी का नाम बदलकर 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' कर दिया गया।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम, पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक, कांचीपुरम - 603 116 पर स्थित है। यूसीएसएल के दो यार्ड हैं, एक माल्पे, कर्नाटक में और दूसरा चेंगलपेट - तमिलनाडु में है। इसकी हैंगरकट्टा (माल्पे यार्ड लगभग 20 कि.मी.) में एक प्रमुख निर्माण इकाई है। कंपनी पोत निर्माण उद्योग में अपने गुणवत्ता मानकों और प्रतिबद्धता स्तरों के लिए जानी जाती है।

दिनांक 28.04.2023 को हुई बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी लेखे को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में संशोधित किया गया है। वित्तीय विवरण कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 13.07.2023 को जारी करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण का आधार

2.1 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची त्त द्वारा अनुमत निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2.2 भारतीय लेखा मानक विवरण का अनुपालन

ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनी

(भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को समय-समय पर और अन्य लेखा सिद्धांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं उसके अनुसार संशोधित किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची क्षेप के प्रभाग क्षेप में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित, तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणियों के साथ-साथ प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखांकन मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया।

लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आने वाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

2.3. माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों, पीपीई और आरओयू परिसंपत्तियाँ, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोड़कर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

- कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,
- संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है;
- संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है;
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है;

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है;
- vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

- (i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।
- (ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकके अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता है। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयोगी सक्रियता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति की उपयोगी सक्रियता औप बकाया मूल्यों की समीक्षा करती है। अनुमान भी बनाई जाती है कि क्या कोई वस्तु परिसंपत्ति के विवरण को पूरा करती है ताकि वह अपने पूंजीकरण के लिए गारंटी देता है और परिसंपत्ति के कौन सा घटक पूंजीकृत हो। जीवन के पुनर्मूल्यांकन भविष्य अवधियों में मूल्यहास व्ययों में परिवर्तन में परिणत हो सकता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और संपत्तियों का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमित नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्रावधानों की मान्यता और मापन

प्रावधानों की मान्यता और मापन संसाधनों के बहिर्वाह की संभाव्यता के निर्धारण और पिछले अनुभव तथा तुलन पत्र तिथि में ज्ञात परिस्थितियों पर आधारित है। भविष्य की एक तिथि में संसाधनों के वास्तविक बहिर्वाह प्रावधानों में शामिल आंकड़ा से भिन्न हो सकता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोटों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोटों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोट स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है या एक वर्तमान दायित्व है जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी या इसे पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ नहीं मापा जा सकता है। कंपनी किसी आकस्मिक देनदारी को नहीं पहचानती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है।

अग्रिम / प्राय की पुनर्प्राप्ति

कंपनी व्यापार और अन्य प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति के मूल्यांकन के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान करती है। संदिग्ध ऋणों की पहचान के लिए निर्णय का उपयोग और अनुमान की आवश्यकता होती है। जहाँ उम्मीद मूल अनुमान से अलग है, इस तरह अंतर से व्यापार और अन्य प्राप्तियों के मूल्य पर असर पड़ेगा और संदिग्ध ऋणों के लिए खाते के लिए प्रावधान पर खर्च उस अवधि में होगा, जिसमें इस तरह के अनुमानों को बदल दिया गया है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि में, अपेक्षित लाइफ के परे अवलोकन किए ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, प्रबंधन बकाया प्राप्ति और अग्रिमों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि का मूल्यांकन करता है।

उचित मूल्य माप

वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करते हैं। इसमें विकासशील अनुमानों और मान्यताओं को शामिल किया गया है जो कि बाजार सहभागियों द्वारा साधनों की कीमत के अनुरूप होगी। प्रबंधन जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य डेटा पर अपनी मान्यताओं को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। उस स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन में प्राप्त किया जाएगा।

मालसूची के लिए प्रावधान

प्रबंधन समय-समय पर मालसूची परिपक्वता की समीक्षा करता है। इस समीक्षा में संबंधित निवल वसूली योग्य मूल्य के साथ पुरानी मालसूची वस्तुओं के वहन मूल्य की तुलना शामिल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या किसी अप्रचलित और धीमी गति से चलनेवाली वस्तुओं के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और वित्तीय विवरणों में अप्रचलित और धीमी गति से चलनेवाली वस्तुओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। अनुबंधों के अपूर्ण हिस्से पर अनुमानित हानि, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान उस अवधि में प्रदान किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग तिथि पर अपेक्षित अनुबंध अनुमानों के आधार ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। कंपनी के सामने परिसमाप्त क्षति के दावों को समान लेनदेन के अनुभव द्वारा पूरक उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के प्रबंधन के आकलन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3 मुख्य लेखाकरण नीतियां

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पीपी ई निः शुल्क संचित मूल्यहास (पूर्ण स्वामित्व भूमि जो लागत में स्पष्ट किए को छोड़कर) और नुकसान यदि कोई है में स्पष्ट किया है। पी पी ई शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है। पी पी ई की प्रारंभिक

दिनांक 31 मार्च 2023 कुु

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी व्यापार छूट तथा कटौतियों के निवल गैर वापसी योग्य शुल्क और कर सहित प्रबंधन द्वारा नियत तरीके में संचालन के लिए सक्षम बनाने हेतु परिसंपत्ति कुु स्थान में लाने और आवश्यक स्थिति में लाने के लिए होनेवाले प्रत्यक्ष रूप से आरुप्य किसी लागत शामिल है। पी पी ई की लागत में प्रारंभिक स्वीकृति तक (योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण या उत्पादन, अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरुप्य उधार लागत) कर्जों पर ब्याज भी शामिल है।

इसके बाद की लागतों कुु परिसंपत्ति के कैरिंग मूल्य में शामिल किया है या उचित रूप से एक अलग परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। केवल जब यह संभाव्य है कि मद से संबंधित भविष्य आर्थिक लाभ कंपनी कुु प्राप्त होगा और मदों की लागत वस्तुगत है और विश्वासनीय ढंग से मापा जा सकता है। एक अलग परिसंपत्ति के रूप में गणना की गई किसी घटक की कैरिंग राशि जब उसे प्रतिस्थापित करते समय अस्वीकृत किया जाता है। सभी अन्य मरम्मत और अनुरक्षण रिपोर्टिंग अवधि जिसमें वह खर्च किए जाते हैं, के दौरान लाभ व हानि के विवरण में प्रभांरित किया है।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासधीन अगुुचर संपत्ति:

प्रगतिशील पूंजी कार्य संयंत्र और उपकरण है कुु रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है कुु लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरुप्य उद्धार लागत शामिल है।

3.3 अगुुचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च कुु उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगुुचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य कुु आंतरिक उपयोग के लिए उपांजित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगुुचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

3.4 पट्टे

एक पट्टेदार के रूप में :

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वगैरें में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं। कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि

अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग कुु नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग कुु नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करता है कि क्या: (i) अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी कुु इसके उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति और (iii) कंपनी कुु संपत्ति के उपयोग कुु निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे की शुरुआत की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक पट्टा दायित्व और संबंधित उपयोग के अधिकार परिसंपत्ति कुु मान्यता देती है जिसमें वह एक पट्टेदार है, बारह महीने की अवधिवाले पट्टों कुु छोड़कर या कम (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे के भुगतान कुु पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर या किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है। उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों कुु पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों कुु शुरु में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत कुु घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन कुु शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें संचित मूल्यहास और हानि , यदि कोई हो, कुु घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यहास किया जाता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता कुु प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

बाद में पट्टा देयता पर ब्याज कुु प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि कुु बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान कुु प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि कुु कम करके पट्टे की देनदारी कुु फिर से मापा जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव। पुनर्माप आम तौर पर पट्टे पर दी गई संपत्तियों को भी समायोजित करता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देयता के पुनः माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि होने पर उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रुप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को पट्टेदार को अंतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 मूल्यहास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग ग में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

5000 रुपए से कम लागतवाली स्टैंडअलॉन परिसंपत्ति की प्रत्येक वस्तु पर पूंजीकरण के वर्ष में 100% मूल्यहास किया जाता है।

पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यहास से हटा दिया जाता है।

मूल्यहास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है। मूल्यहास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन विश्वास करता है कि संपत्तियों के उपयोगी जीवन अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित वही के अनुसार, कुछ प्रकार के इमारतों और उपकरणों को छोड़कर, जिसमें तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित से भिन्न होने की तरह उपयोगी जीवन अनुमानित किया गया है। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए मूल्यहास की गणना के लिए कार्यकाल निम्नानुसार हैं:

संपत्ति वर्ग	कार्यकाल
भवन	3-60 वर्ष
संयंत्र व मशीनरी	5-15 वर्ष
फर्नीचर व फिक्सचर	8-10 वर्ष
कार्यालय उपस्कर	3-10 वर्ष
विद्युत स्थापना/ फिटिंग	10 वर्ष
वाहन	8- 10 वर्ष
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3-6 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु और शुरू में मान्यता प्राप्त कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है, तो मान्यता रद्द कर दी जाती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर उत्पन्न होनेवाला कोई भी लाभ/हानि संपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। अभी भी उपयोग में आनेवाली पूरी तरह से मूल्यहास परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, यदि कोई हानि हो तो उनका जांच किया जाता है।

3.6 परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलना पत्र तिथि पर प्रत्येक नकदी सृजित करनेवाली इकाई के संदर्भ में परिसंपत्तियों की हानि का आकलन करती है। यदि आंतरिक और बाहरी कारकों के आधार पर घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है, तो लेखे में होनेवाली हानि और पुनर्प्राप्त करने योग्य राशि का तदनुसार हिसाब लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति के निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य को घटाकर उसके उचित मूल्य से अधिक है।

3.7 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्तियां

कंपनी एक गैर-चालू परिसंपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करती है यदि इसकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और उसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना हो।

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत, बंद किए गए प्रचालन सहित गैर-चालू परिसंपत्तियों को वहन राशि और उचित मूल्य से निपटान की लागत के निचले स्तर पर मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत होने के बाद, संपत्ति मूल्यांकन या परिशोधन के अधीन नहीं होती है। बंद किए गए कार्यों की बिक्री या पुनः माप से उत्पन्न होनेवाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि के विवरणों में एकल पंक्ति वस्तु के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.8 माल सूची

(क) कच्चे माल, घटकों, भंडार और स्पेयर, ढीले उपकरणों का मूल्यांकन भारित और औसत लागत पद्धति या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। हालांकि, उत्पादन/सेवाओं में उपयोग के लिए रखी गई सामग्रियों और अन्य आपूर्तियों को लागत से नीचे नहीं लिखा जाता है यदि तैयार उत्पाद/सेवाओं की आपूर्ति जिसमें उन्हें शामिल किया जाएगा, लागत पर या उससे ऊपर बेचे जाने की उम्मीद है। अप्रचलन/उपयोगिता न होने/खराब होने का प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पारगमन में माल का मूल्यांकन लागत से कम और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ख) स्कूप पर देय सीमा शुल्क, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद स्कूप के स्टॉक का मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) कार्य प्रगति पर और तैयार माल का मूल्यांकन लागत से कम और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। मालसूची की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण की लागत, सामान्य प्रचालन क्षमता के आधार पर विनिर्माण ओवरहेड का अनुपात और उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होनेवाली अन्य लागत शामिल होती है। भारित औसत विधि पर स्टील प्लेट, प्रोफाइल, उपकरण और अन्य कच्चे माल और स्टोर एवं स्पेयर की लागत शामिल है। कार्य-प्रगति और तैयारित माल की लागत अवशोषण लागत विधि पर निर्धारित की जाती है।

3.9 वित्तीय साधन

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है अगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां(एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी प्रदेय के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ

है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं और परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देयताओं के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के शुद्ध रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं के मामले में, वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं;
- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं;
- वित्तीय गारंटी अनुबंध;

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में ग्रुप द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें बाद की लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। फायदा और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देयताओं की पहचान और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब :

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक अंतरित कर दिया है, या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो अंतरित किया है और न ही पर्याप्त रूप से बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण अंतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य

हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता को रद्द करने और नई देनदारी एक की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

3.10 रोकड व रोकड तुल्यांक

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय साधनों को जो रोकड की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय है जो कि मूल्य में परिवर्तन की एक नगण्य जोखिम के अधीन है और रोकड तुल्यांक होने के लिए खरीद की तिथि से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होते हैं। रोकड व रोकड तुल्यांक में बैंकों के साथ शेष जो वापसी और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है, शामिल होते हैं।

3.11 अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

3.12 अनुबंध देयताएं

जहां ग्रुप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रुप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रुप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

3.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोड़कर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

दिए गए पोटों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोटों के लिए गारंटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रुप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वासनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नहीं हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असर में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रुप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहाँ आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.14 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ पोत निर्माण/पोत मरम्मत अनुबंधों से राजस्व लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का

उचित मूल्य है और इसमें प्राप्त होनेवाली वित्तीय सहायता शामिल है। राजस्व को उस प्रदर्शन की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित इनपुट के सापेक्ष इकाई के प्रयासों या प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि के लिए इनपुट (यानी उपभोग किए गए संसाधन, खर्च किए गए श्रम घंटे, खर्च की गई लागत, बीता हुआ समय या उपयोग किए गए मशीन घंटे) के आधार पर पहचाना जाता है।

अन्य ऑपरेटिंग राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब कंपनी ग्राहक को दिए गए माल और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। प्रबंधन शुल्क भी समय की अवधि में मान्यता प्राप्त है।

ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ कंपनी एक निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में खर्च की गई लागतों की वसूली की उम्मीद करती है, कंपनी केवल उस समय तक खर्च की गई लागत की सीमा तक राजस्व को पहचानती है कि यह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप सकता है। जहाँ कुल अनुबंध लागत और राजस्व के वर्तमान अनुमान नुकसान का संकेत देते हैं, पूरे नुकसान के लिए प्रावधान किया जाता है, भले ही काम की मात्रा कुछ भी हो।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले विक्री मूल्य पर है या नहीं। जहाँ जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहाँ जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की विक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन विक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित शुद्ध राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख) अन्य आय

i) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि के लिए व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी व्यय के रूप में पहचान करती है, संबंधित लागत जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। जहां अनुदान एक परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को उन खर्चों के समवर्ती लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिनसे इस तरह के अनुदान संबंधित हैं/शामिल करने का इरादा है।

सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में या भविष्य से संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्य हैं, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिसमें वे प्राप्य हो जाते हैं। पोत निर्माण वित्तीय सहायता के अनुच्छेद (क) में निर्दिष्ट तरीके से संचालन से राजस्व के रूप में हिसाब किया जाता है।

ii) परिसमापन नुकसान और अग्रिमों पर ब्याज

(क) दिए गए अग्रिमों पर ब्याज और (ख) परिसमाप्त नुकसान पर कोई आय मान्यता प्राप्त नहीं है, जहां आरोपित राशि अनुबंध की अप्रत्याशित स्थिति के संबंध में निर्णयों पर निर्भर करती है। इनका हिसाब अनुबंधों के पूरा होने और/या अंतिम निर्णय लेने पर लिया जाता है।

लंबी अवधि के पूंजीगत कार्यों के निष्पादन के लिए किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर निष्पादन के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता को ब्याज युक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम देने का प्रावधान है, मोबिलाइजेशन अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

iii) बीमा दावों के लिए लेखांकन

(क) वारंटी/निर्माता जोखिम दावे

पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के तहत वारंटी बीमा पॉलिसियों या दावों के तहत कवर किए गए वारंटी दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को वित्तीय विवरणों में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें सर्वेक्षण पूरा किया गया है और बीमा कंपनी द्वारा निपटान की संभावित राशि सूचित किया गया है।

(ख) अन्य बीमा पॉलिसियां

अन्य बीमा पॉलिसियों जैसे परिसंपत्ति बीमा, पारगमन बीमा, समुद्री बीमा, नकद बीमा आदि के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के माध्यम से दावों के निपटान पर वित्तीय विवरणों में दावों की पहचान की जाती है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

(iv) ब्याज आय

सावधि जमे के मामले में, ब्याज की गणना तब की जाती है जब यह प्रत्येक सावधि जमा पर लागू ब्याज दर लागू करके कंपनी को प्राप्त होती है।

(v) पोत निर्माण और पोत मरम्मत के संबंध में स्क्रेप आय को परिचालन आय के रूप में माना जाता है और इसके अलावा अन्य आय के रूप में माना जाता है।

(vi) चार्टर किराया प्रभार आय का लेखा समय अवधि के आधार पर किया जाता है।

(vii) संचय के आधार पर मान्यता प्राप्त अन्य वस्तुएं

3.15 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो हस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

भविष्य निधि : भविष्य निधि में योगदान (एक निर्धारित योगदान योजना) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया जाता है और लाभ और हानि खाते

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

में लगाया जाता है। मासिक योगदान के अलावा भविष्य निधि लाभों के लिए कंपनी का कोई दायित्व नहीं है।

रोज़गार पश्चात् लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमाकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति

के प्रयोग से निष्पादित बीमाकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

3.16 उधार लागत

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण/ निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे आरोग्य सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को जब ऐसे परिसंपत्तियों निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने पर उस तारीख तक ऐसी परिसंपत्तियों को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक योग्य परिसंपत्ति ऐसा है कि जो अपने निर्दिष्ट प्रयोग के लिए तैयार हो जाने हेतु अनिवार्य रूप से पर्याप्त अवधि लेती है। सभी अन्य उधार लागत, व्यय किया हुआ अवधि में लाभ व हानि के विवरण के साथ प्रभारित किया जाता है। उधार लागत के एक समायोजन के रूप में माना जाने वाले हद तक विनिमय अंतर भी उधार लागत में शामिल हैं।

3.17 पूर्वावधि समायोजन

त्रुटियों की वजह से पूर्वावधि समायोजन, कंपनी के वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने से, प्रस्तुत पूर्वावधियों जिसमें त्रुटि घटित है के लिए तुलनात्मक राशियों को पुन पेश करके या यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व अवधि से पहले घटित है, तो वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक विवरण पुनः पेश करके पूर्णव्यापी प्रभाव पर सुधार किया जाता है।

3.18 आय पर कर

आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है। वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोड़कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

चालू कर

चालू कर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित अनुसार वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय होने की उम्मीद की गई कर राशि पर मापा जाता है। चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

डुनरुकु 31 डरुडु 2023 कु

सडरुडु वलतुतुडु वलवरणुु कु डलषुडुणलडरुडु

आसुथुगलत कर

आसुथुगलत आडकर तुलन डतुर डुषुडुकुण कु उडडुग करके डरनुडत डलडर डरतु डु। डुड आसुथुगलत आडकर एक लेनडेन डुु एक डरलसुडडतुतु डर डेतुतु कु डरनुडतुतु से उतुडतुर हुतु डु वहु एक वुडरडर सुडुगुन नहुु डु और लेनडेन के सडड डर न लेखरुकन न तु कर डुगुड लरडु डर हरनल कु डुररडरवत करतु डु के सुवरडु आसुथुगलत आडकर डरलसुडडतुतुडरु और डेतुतुडरु, डरलसुडडतुतुडरु और डेतुतुडरु के कर आडर और उनकु कुेरलडुग ररशल के वुडु हुनेवलु कुतुतुतु डुगुड और कर डुगुड असुथरडु अंतर के ललडु डरनुडतुतु डु डरतु डु।

आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतुडरु केवल उस हद तक डरनुड कलडर डरतु डु कल डुह सुडरडुव डु कल डुवलषुडु कर डुगुड लरडु के सरथ सरथ आसुथुगलत कर डेतुतुडरु के उलतुडर उडलडुव हुुगु, डलसुके सरडने कुतुतुतु डुगुड असुथरडु डुडतुरतुडरु, और अडुरनुत कु अनुडडुगलत कर कुेरडुडुतु तथर अनुडडुगलत कर हरनलडुु उडडुग कलडर डर सकतु डु डु।

एक आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतु कु कुेरलडुग ररशल डुरतुडुके रलरुडुडुग अवधल के अंत डु सुडुडुडर कु डरएगु और उस हद तक कड कु डरएगु डुडुडु डुह अब सुडरडरवत नहुु डु कल आसुथुगलत आडकर डरलसुडडतुतु के सडु डर हलसुके डर उडडुग करने के ललडु अनुडडुतु डेने हेतु डरुडरडुत कर डुगुड लरडु उडलडुव हुगु गुर-डरनुडतुतु डुररडुत आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतुडरु कु डुरतुडुके रलरुडुडुगलतु डर डुनडुडुडुडुडुडु कलडर डरतु डु और डुस हद तक डुरहकुरनर डरतु डु कल डुह सुडरडु हु गडर डु कल डुवलषुडु डु कर डुगुड लरडु आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतुडरु कु डुनडुडुडुतु करने कु अनुडडुतु डेगु।

लरडु डर हरनल के डरहर डरनुडतुतु डुररडुत वसुतुडुु से सुडरुडुधलत आसुथुगलत कर कु लरडु डर हरनल (डर तु अनुड वुडरडुक आड डर डुडुडुडु डु) के डरहर डरनुडतुतु डु डरतु डु।

आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतुडरु और डेतुतुडरु कु कर कु डरु और कर नलडुडुडु डु अधलनलडुडुतु डर रलरुडुडुगलत अवधल के अंत डु सुवतुरतु रूडु से अधलनलडुडुतुतु और डुड सुडरुडुधलत आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतु एहसुरस हु डरतु डु डु आसुथुगलत कर डेतुतु कु नलडुडरतु हुतु डु तडु लरगु करने अडुडुकुशलत डु, कु उडडुग करके डरडु डरतु डु डु।

आसुथुगलत कर डरलसुडडतुतुडरु और डेतुतुडरु कु ऑडु सेतु कलडर डरतु डु डुड डरलु कर और डरलसुडडतुतुडरु कु ऑडु सेतु करने के ललडु वुध डुरवतुरनुडु अधलकर डु और डुड आसुथुगलत कर शुरुषु कु उसु कुररधरन डुररधलकरण से सुडरुडुधलत हुते डु डु।

3.19 डुरतु शुरडर कडरुडु

डुरतुशुरडर के डुल कडरुडु वरुषु के डुररन डुकुरर डुडुडुडु डु सुडरुु कु डुररलत ओसत सुडुडुडु से कडुनु कु डुडुडु डुडुडु डुडुडु डुडुडु डु डुररुडु लरडु डर हरनल कु वलडुडुडुतु करके गणनर कु डरतु डु डु। डुरसुतुतु कलडु गडु कुसु डु वरुषु डु कडुनु कु सुडरुडुतु: कडुडुडु डुरतुडुडुतुडरु नहुु डु।

3.20 खंड रलरुडुडुग

डुरकुरलन खंड कुसु डु एसे उडुडु के घडुकुु के रूडु डु डुरलडुडुधलत कलडर डरतु डु डुसके ललडु असतत वलतुतुडु डरनकररु उडलडुव हुतु डु डु डुडुडु सुडरुडुलन नलरुडुडुडु डुररर नलडुडुतु रूडु से डुलुडुडुडु करतु डु, डुसडु सुडरुडुडुडु कु कुसे आडुडुन करनर और नलषुडरडुन कु डुलुडुडुडु करने कु नलरुडुग करने डु। कडुनु कु डुडुडु सुडरुडुलन नलरुडुडुडु अधुडुकु डु डु।

कडुनु ने रलरुडुडु करने डुगुडु खंडु के रूडु डु वुडरवसरडुडुडु खंडु (उडुगु करुडु) कु डुरहकुरन कु डु डु। वुडरडुडु खंडु डु शरडुललतु डु :1) डुतु नलरुडुग और 2) डुतु डुरसुडुडुतु।

खंड ररकुसुव, खंड वुडुडु, खंड डुरलसुडडतुतुडरु और खंड डेतुतुडरु खंड कु सुडरुडुलन गतलवलधलडुु से उनके सुडरुडुधलतु के आडर डुर खंड के रूडु डु डुरहकुरन कु गडु डु डु। ररकुसुव, वुडुडु, डुरलसुडडतुतुडरु और डेतुतुडरु डु सुडुडु कडुनु से सुडरुडुधलतु डु और एक तुरुक सुगुतु आडर डुर खंडु के ललडु आडुडुन डुगुडु नहुु डु 'अनरडुडुतुतु ररकुसुव/ वुडुडु/ डुरलसुडडतुतुडरु/ डेतुतुडरु' के अधलन शरडुलल कलडर डरतु डु डु।

3.21 रुकडु डुरवरणु

रुकडु डुरवरुु कु डुरुरुकु रलतु कु उडडुग करते हुडु रलरुडुडु कलडर डरतु डु डुससे कर के डुरुव लरडु/ हरनल गुर रुकडु डुरकुतु के लेनडेन और डुरुव डर डुवलषुडु रुकडु डुररडुडुडुडु डर डुगुतुनरु के सुथुगन डर सुडरुलन और नलवश डर वलतुतुडु रुकडु डुरवरु से डुडु आडु डर वुडुडु के डुडुु कु डुरलडुधलत करने के ललडु सडरडुगुन कलडर डरतु डु डु। उडलडुव डरनकररु के आडर डुर कडुनु के ऑडुरेडुगलतु, नलवश और वलतुतुडु गतलवलधलडुु से रुकडु डुरवरु अलन कलडर डरतु डु डु।

रुकडु डुरवरु वलवरणु के डुरडुगुन के ललडु, रुकडु और रुकडु तुलुडुडुडु डु डुडु कु डु और हरथ डु रुकडु और तुन डुहुने डर उससे कडु कु डुल डुरलडुवतुतु के सरथ अलुडरवधल डुडरडु शरडुललतु डु, डु डुलुडु डु डुरलवरुतुनरु कु एक नगणुडु डुगुडुडु, डुकुरर डुडु ऑडुरडुडुडुडु कु नलवल डुडु कुुडु डु, के अधलन डु डु। डुडु ऑडुरडुडुडुडु कु तुलन डुरतु डु डु डरलु डेतुतुडरु ऑडु डु कुडु के अंतगुतु डुरकडु कलडर डरतु डु डु।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

3.22 आसाधारण मदें

आय या व्यय की एक वस्तु जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के निष्पदन की समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे एक असाधारण वस्तु के रूप में माना जाता है और वित्तीय विवरणों में और साथ ही भारतीय लेखा मानक क्लरिफिकेशन मार्गदर्शन नोट के अनुसार प्रकट किया जाता है।

3.23 विदेशी मुद्रा लेनदेन

लेन-देन और शेष:

विदेशी मुद्रा लेनदेन को संबंधित लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर को अपनाते हुए कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुओं (जैसे नकद, प्राप्य, देय आदि) को उस तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर फिर से मापा जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुएं, (जैसे पीपीई, अमूर्त संपत्ति, इक्विटी निवेश, नकदी में निपटान की उम्मीद के अलावा पूंजी/राजस्व अग्रिम आदि) लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज की जाती हैं। परिवर्तन या निपटान के समय विनिमय अंतर के कारण होने वाले किसी भी लाभ या हानि, आय या व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.24 बहिष्कृत वित्तीय संपत्ति

समाधान योजना और एनसीएलटी आदेश दिनांक 4मार्च 2020 के अनुसार, नीचे उल्लिखित पूर्ववर्ती टेब्ला शिपयार्ड की निम्नलिखित संपत्तियों/मामलों को सीओसी या रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बहिष्कृत वित्तीय संपत्ति के रूप में पहचाना गया है

- 1) वेट प्रतिदाय;
- 2) टग को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी के पास बीमा दावा दायर किया गया;
- 3) बीमा कंपनी के साथ चोरी और संधमारी के लिए बीमा दावा;
- 4) भारतीय नौसेना से व्यापार प्राप्य; और

- 5) सब्सिडी दावे की राशि का 50% (पचास प्रतिशत) (यानी, जहाज निर्माण वित्त सहायता/सब्सिडी) भारत सरकार से बनती है।

इन मदों का हिसाब वसूली के आधार पर किया जाएगा।

3.25 हाल की घोषणाएँ

निगमित मामलों का मंत्रालय ('एमसीए') समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नानुसार संशोधन किया।

भारतीय लेखा मानक 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति - इस संशोधन के लिए संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीतियों का खुलासा करने की आवश्यकता है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों पर इस संशोधन का प्रभाव नगण्य है।

भारतीय लेखा मानक 8 - लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां:- इस संशोधन ने 'लेखा अनुमान' की एक परिभाषा पेश की है और संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में बदलावों को लेखांकन अनुमानों से अलग करने में मदद करने के लिए भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किया है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारतीय लेखा मानक 12 - आयकर :- इस संशोधन ने छूट की प्रारंभिक मान्यता के दायरे को सीमित कर दिया है ताकि यह उन लेनदेन पर लागू न हो जो समान और अस्थायी मतभेदों को जन्म देते हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि में इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

व्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यहास				निवल वहन राशि	
	01.04.2022		31.03.2023		01.04.2022		31.03.2023		31.03.2023	
	को	जोड़/ विलोपन	वर्ष के दौरान निमान/ समायोजन	को	को	वर्ष के लिए (आहरण)	को	को	को	को
गोचर संपत्ति										
मूर्त -पूर्ण स्वामित्व	2,680.32	-	-	2,680.32	-	-	-	-	2,680.32	2,680.32
इमारतें	2,153.99	15.33	-	2,169.32	370.82	88.77	459.59	1,808.53	1,709.73	1,783.17
संयंत्र और मशीनरी	4,175.38	54.36	-	4,229.74	1,320.81	487.72	1,808.53	2,421.21	2,854.57	2,854.57
कार्यालय उपस्कर	24.41	10.97	-	35.38	4.83	4.93	9.76	25.62	17.90	19.58
फर्नीचर और जुड़ाव	18.02	8.92	-	26.94	8.16	0.88	9.04	17.90	35.17	9.86
कंप्यूटर	44.37	11.96	-	56.33	7.89	13.27	21.16	24.82	27.42	36.48
विद्युत स्थापना	27.57	-	-	27.57	0.15	2.60	2.75	16.31	3.88	17.76
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	19.58	0.43	-	20.01	1.82	1.88	3.70	3.45	5.25	5.25
वाहन	7.33	-	-	7.33	2.08	1.37	3.45	6.93	6.93	6.93
उप कुल	9,150.97	101.97	-	9,252.94	1,716.56	601.42	2,317.98	6,934.96	7,434.41	7,434.41
पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	1,809.64	-	-	1,809.64	1,024.69	281.54	1,306.23	503.41	784.95	784.95
स्लिपवे	1,117.99	-	-	1,117.99	681.05	169.69	850.74	267.25	436.94	436.94
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (भारतीय लेखा मानक 116)	95.90	766.04	95.90	766.04	51.70	25.95	7.61	758.43	44.20	44.20
उप कुल	3,023.53	766.04	95.90	3,693.67	1,757.44	477.18	2,164.58	1,529.09	1,266.09	1,266.09
कुल	12,174.50	868.01	95.90	12,946.61	3,474.00	1,078.60	4,482.56	8,464.05	8,700.50	8,700.50

व्योरा	सकल कैरिगिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरिगिंग राशि	
	01.04.2021		31.03.2022		01.04.2021		31.03.2022		31.03.2022	
	को	जोड़/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	को	को	वर्ष के लिए (आहरण)	को	को	को	को
गोचर संपत्ति										
मूर्त -पूर्ण स्वामित्व	2,607.87	72.45	72.45	2,680.32	-	-	-	2,680.32	2,607.87	2,607.87
इमारतें	2,062.96	99.13	99.13	2,153.99	188.30	190.53	370.82	1,783.17	1,874.66	1,874.66
संयंत्र और मशीनरी	4,679.23	266.54	266.54	4,175.38	1,089.78	566.45	1,320.81	2,854.57	3,589.45	3,589.45
कार्यालय उपस्कर	40.82	3.01	3.01	24.41	8.21	6.85	4.83	19.58	32.61	32.61
फर्नीचर और जुड़ाव	27.93	-	-	18.02	10.37	4.98	8.16	9.86	17.56	17.56

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी..)

ब्योरा	सकल कैरिबिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरिबिंग राशि			
	को विलोपन		तन/ समायोजन		को		वर्ष के समायोजन/ लिए (आहरण)		को		को	
	01.04.2021	जोड़/ वर्ष के दौरान निपट	31.03.2022	01.04.2021	31.03.2022	01.04.2021	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2021
कंप्यूटर	18.06	43.57	43.57	44.37	10.80	8.09	11.00	7.89	36.48	7.26		
विद्युत स्थापना	-	27.57	27.57	27.57	-	0.15	-	0.15	27.42	-		
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	14.21	5.37	5.37	19.58	0.08	1.74	-	1.82	17.76	14.13		
वाहन	7.33	-	-	7.33	0.69	1.39	-	2.08	5.25	6.64		
उप कुल	9,458.41	517.64	517.64	9,150.97	1,308.23	780.18	371.85	1,716.56	7,434.41	8,150.18		
पट्टे परिसर की संपत्तियाँ												
इमारतें	1,830.40	-	-	1,809.64	749.03	281.53	5.87	1,024.69	784.95	1,081.37		
स्लिपवे	1,108.00	9.99	9.99	1,117.99	453.40	227.65	-	681.05	436.94	654.60		
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार(भारतीय लेखा मानक 116)	95.90	-	-	95.90	25.85	25.85	-	51.70	44.20	70.05		
उप कुल	3,034.30	9.99	9.99	3,023.53	1,228.28	535.03	5.87	1,757.44	1,266.09	1,806.02		
कुल	12,492.71	527.63	527.63	12,174.50	2,536.51	1,315.21	377.72	3,474.00	8,700.50	9,956.20		

यूसीएसएल और कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड ने 23.12.2022 को मालवे और हैंगरकट्टा में पट्टे की भूमि के लिए 04.3.2020 से यानी मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (तत्कालीन मेसर्स टीईबीएमए शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश की तारीख तक 30 साल की अवधि के लिए पट्टे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पट्टा समझौते में संशोधन के कारण आईएनडी एस 116 के अनुसार आरओयू संपत्तियों और पट्टा देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन और लीज होल्ड भूमि पर स्थित संपत्तियों के उपयोगी जीवन का विस्तार आवश्यक हो गया है। इसके लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड (केएमबी) को कुल 325.50 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें सुरक्षा जमा, लीज बकाया, जमाना और बकाया के खिलाफ केएमबी को ब्याज का भुगतान शामिल है। परिणामी परिवर्तनों को वित्त वर्ष 2022-23 के अंकड़ों में शामिल किया गया है।

हैंगरकट्टा में 78.05 सेट भूमि का मूल्य 72.45 लाख रुपये है और इसे सामान्य आरक्षित निधि में मान्यता दी गई है। कुल्पी (कोलकाता -230 सेट) में भूमि के मूल्य को लंबित सत्यापन और उसी के मूल्यांकन के कारण लेखे में मान्यता नहीं दी गई है।

कंपनी से संबंधित भूमि, भूमि रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती 'टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड' और/या 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर बनी हुई है। कंपनी ने 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' के नाम पर स्वामित्व विलेख को बदलने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

मालवे यार्ड में पट्टेदार भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग (नॉन रिमूवेबल एसेट्स) के लिए अलग और परिवहन नहीं की जा सकने वाली संपत्तियां पट्टे की अवधि और उन परिसंपत्तियों के उपयोगी कार्यकाल के निचले हिस्से पर परिशीलित/ मूल्यहास की जाती है।

कंपनी ने संक्रमण तिथि पर परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को संक्रमण के समय परिसंपत्तियों की मानी गई लागत के रूप में मानने का निर्णय लिया था।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	989.74	470.45
पूजी यार्ड मदे	290.65	-
कुल	1,280.39	470.45

31.03.2023 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाखों में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	809.94	456.32	14.13	-	1,280.39
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

कार्य प्रगति पर कोई भी परियोजना बजट समय और लागत के संबंध में अतिदेय नहीं है और इसलिए अतिदेय सीडब्ल्यूआईपी अनुसूची लागू नहीं है।

31.03.2022 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

(₹ लाखों में)

सीडब्ल्यूआईपी	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	456.32	14.13	-	-	470.45
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

नोट 6 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि			31.03.2023 को	ऋणमुक्ति			निवल वहन राशि	
	01.04.2022 को	जोड/ विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन		01.04.2022 को	वर्ष के लिए समायोजन/ (आहरण)	31.03.2023 को	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सोफ्टवेयर	11.49	0.31	-	11.80	1.29	2.69	3.98	7.82	10.20
भूमि उपयोग करने का अधिकार	16.68	-	16.68	-	12.53	1.73	14.26	-	4.15
कुल	28.17	0.31	16.68	11.80	13.82	4.42	14.26	7.82	14.35

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां (जारी..)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि			ऋणमुक्ति			निवल वहन राशि			
	01.04.2021	जोड़/ को विलोपन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन 31.03.2022 को	01.04.2021	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन 31.03.2022 को	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन 31.03.2022 को	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2021	
सॉफ्टवेयर	-	11.49	-	11.49	-	1.29	-	1.29	10.20	-
भूमि उपयोग करने का अधिकार	16.68	-	-	16.68	7.72	4.81	-	12.53	4.15	8.96
कुल	16.68	11.49	-	28.17	7.72	6.10	-	13.82	14.35	8.96

अमूर्त संपत्ति के तहत दिखाए गए भूमि के उपयोग का अधिकार माल्पे पट्टेदार भूमि का उपयोग करने हेतु पत्तन अधिकारी कुंडपुरा को भुगतान किए गए अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

नोट 7: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - गैरचालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है:		
सुरक्षा जमा	16.27	8.89
कुल	16.27	8.89

नोट 8: आय कर परिसंपत्तिया / देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
गैर चालू कर संपत्ति		
आयकर संपत्ति	61.26	30.40
कुल	61.26	30.40

कंपनी उन जमे पर प्रपत्र 26 ए एस में अपलोड की गई टीडीएस राशि का हिसाब नहीं दे रही है, जिन्हें एनसीएलटी आदेश से पहले लीन मार्क के कारण यूसीएसएल की बहियों में सावधि जमे के रूप में नहीं लिया गया है।

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान कर :		
वर्तमान आयकर शुल्क	-	-
पिछले वर्षों के संबंध में समायोजन	0.38	-
कुल (क)	0.38	-
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	(282.72)	(485.33)
कुल (ख)	(282.72)	(485.33)
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर (क+ख)	(282.34)	(485.33)

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 9: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर दायित्व	376.73	489.22
आस्थगित कर परिसंपत्ति	(5,134.30)	(4,964.07)
कुल	(4,757.57)	(4,474.85)

वर्ष 2022-23 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (परिसंपत्तियां)

(₹ लाखों में)			
ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	अंतिम शेष
प्रावधान	(264.97)	51.47	(213.50)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	489.22	(143.10)	346.12
अग्रोनित हानियाँ	(4,690.60)	(230.20)	(4,920.80)
अन्य	(8.50)	39.11	30.61
कुल	(4,474.85)	(282.72)	(4,757.57)

वर्ष 2021-22 के संबंध में आस्थगित कर देयताएं/ (परिसंपत्तियां)

(₹ लाखों में)			
ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत	अंतिम शेष
प्रावधान	(314.80)	49.83	(264.97)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	814.56	(325.34)	489.22
अग्रोनित हानियाँ	(4,492.42)	(198.18)	(4,690.60)
अन्य	3.14	(11.64)	(8.50)
कुल	(3,989.52)	(485.33)	(4,474.85)

दिनांक 31 मार्च 2023 तक, कंपनी ने आस्थगित कर संपत्ति को अवशोषित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमोदित वित्तीय अनुमानों के आधार पर भविष्य में पर्याप्त कर योग्य लाभ की उपलब्धता का आकलन करके आस्थगित कर संपत्ति की मान्यता का आकलन किया है।

नोट 10 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)		
ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कच्चे माल	1,618.70	3,286.63
कार्य प्रगति	496.05	352.31
घटाए : वस्तुसूची के लिए प्रावधान	(18.89)	(2,646.73)
कुल	2,095.86	992.21

मालसूची का पूरा स्टॉक बैंक से नकद ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए बंधक रखा जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 11 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

व्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	331.57	97.51
कुल	331.57	97.51

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्य है। चूंकि व्यापार प्राप्य एक वर्ष से कम के लिए देय हैं, इसलिए भारतीय लेखा मानक 109 के तहत कोई अपेक्षित ऋण हानि भत्ता नहीं दिया जाता है।

जब ऋण तीन वर्ष से अधिक हो या यह संभावित/निश्चित हो कि ऋण वसूली योग्य नहीं है, तो वसूली के लिए संदिग्ध मानी जानेवाली सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है। जहां कानूनी कार्यवाही में ऋणों पर विवाद होता है, वहां कंपनी के खिलाफ कोई निर्णय दिए जाने पर प्रावधान किया जाता है, भले ही उसके लिए उच्च अधिकारियों/ अदालतों में अपील की गई हो।

दिनांक 31.03.2023 को व्यापार प्राप्य काल प्रभावन कार्यक्रम

(₹ लाखों में)

व्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	331.53	0.04	-	-	-	331.57
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
कुल						331.57

दिनांक 31.03.2022 को व्यापार प्राप्य काल प्रभावन कार्यक्रम

(₹ लाखों में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
	6 महीने से कम	6 महीना -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	97.51	-	-	-	-	97.51
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्तियां - ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-
कुल						97.51

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 12 : रोकड और रोकड तुल्यांक

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
हाथ में रोकड	-	-
बैंक शेष		
चालू खाते में	27.90	27.90
सावधि जमा		
कम से कम तीन वर्ष की आवधि जमा	904.95	904.95
कुल	932.85	932.85

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार, उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए अनुमोदित समाधान योजना के तहत बैंकों को बोली राशि का भुगतान किया गया है और यूसीएसएल को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में बनाए गए या मौजूद सभी प्रतिभूति शुल्क, ऋणभार, समाधान योजना के संदर्भ में जारी, उन्मुक्त माने जाते हैं। परिणामस्वरूप बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को मार्जिन राशि जारी की जाएगी। हालांकि, मार्जिन राशि (कुल मिलाकर लगभग 351.12 लाख रुपए) अभी तक बैंकों द्वारा कंपनी को जारी नहीं की गई है क्योंकि उनके पास उनके द्वारा पहले जारी किए गए बैंक गारंटियों के लिए ग्रहणाधिकार है, जिस यूसीएसएल ने विवादग्रस्त किया है। अतः विवेकपूर्ण आधार पर कंपनी सावधि जमाओं को उस अवधि में मान्यता देगी, जिसमें बैंक वास्तव में मार्जिन राशि जमा जारी करता है।

नोट 13 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
तीन महीने से अधिक की मूल परिपक्वतावाली धारणाधिकार अंकित सावधि जमा*	511.84	-
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वतावाली धारणाधिकार अंकित सावधि जमा*	-	100.00
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा	876.64	0.88
कुल	1,388.48	100.88

- तीन महीने से अधिक की परिपक्वतावाले बैंकों में जमे के रूप में प्रकट किए गए 511.84 लाख रुपए में से, 500 लाख रुपए कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमे का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 11.84 रुपए गश्ती नौकाओं के निर्माण के लिए कोटेशन प्रस्तुत करने के लिए कार्यकारी अभियंता मैरीटाइम बोर्ड, गुजरात के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमे का प्रतिनिधित्व करता है। तीन महीने से कम की परिपक्वतावाली बैंकों में पिछले वर्ष की जमा राशि, 100 लाख रुपए कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिह्नित जमे का प्रतिनिधित्व करती है, जो 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की अवधि में की मूल परिपक्वता के साथ आईसीआईसीआई बैंक में 0.89 लाख रुपए की सावधि जमे शामिल है, जिसके लिए जमे रसीद उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह पूर्ववर्ती मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा रखी गई थी।

नोट 14 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	20.79	4.53
कुल	20.79	4.53

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 15 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को भुगतान किया गया अग्रिम	1,322.09	2.08
अनुबंध संपत्ति	196.69	260.85
विविध जमाराशियां	0.03	-
पूर्वदत्त व्यय	65.04	3.46
अन्य प्राप्तियां	31.95	54.32
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,084.34	314.92
कुल	2,700.14	635.63

अन्य प्राप्त राशियां वर्तमान में समाधान पेशेवर द्वारा संचालित सीआईआरपी खाते से बाहर किए गए जहाजों के लिए किए गए व्यय के कारण लेनदारों की समिति (सीओसी) से वसूल की जाने वाली राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं। उक्त राशि में समाधान पेशेवर द्वारा रखे गए सीआईआरपी लेखे से उपयोग की गई धनराशि के साथ-साथ कंपनी के लेखे से उपयोग की गई धनराशि भी शामिल है। वर्ष के दौरान सीआईआरपी लेखे से खर्च की गई 22.37 लाख रुपए की राशि व्यय/आकस्मिकताओं के प्रावधानों में अंतरित कर दी गई। कंपनी ने सीओसी को शेष राशि की वसूली के लिए डेबिट नोट दिया है लेकिन अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। लेनदारों की समिति से कोई शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

नोट 16 : बिक्री के लिए संभाली गई परिसंपत्तियां

ब्योरा	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	-	13.59
कुल	-	13.59

व्यू 4 2021-22 के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की संपत्ति के प्रत्यक्ष सत्यापन पर, यह पाया गया कि कंपनी की कुल 468.10 लाख रुपए की विभिन्न संपत्तियां जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं या यार्ड के संचालन के बंद होने और कालक्रम में अप्रचलित हो गई हैं। चूंकि ये परिसंपत्तियां आर्थिक मरम्मत से परे हैं और काफी जगह घेर रही हैं, इसलिए इन परिसंपत्तियों को जल्द से जल्द निपटाने का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सुचारू व्यापार संचालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध यार्ड स्थान के अनुकूलतम उपयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है। निपटान के अधीन परिसंपत्तियों को इन वर्गों को बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में पुनर्समूहित किया गया है और निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य पर बहियों में रखा गया है। परिसंपत्तियों के डब्ल्यूडीवी और एनआरवी के बीच का अंतर असाधारण वस्तुओं के रूप में पीएंडएल पर लगाया गया है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान, बिक्री के लिए रखी गई इन संपत्तियों का निपटान 9.36 लाख रुपए की बिक्री विचार के लिए किया गया है और लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता प्राप्त संपत्तियों की बिक्री पर 4.23 लाख रुपए की हानि हुई है।

नोट 17 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00
₹ 10/- प्रति के वरीयता शेयर	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10 प्रति शेयर वाले इक्विटी शेयर	9,00,00,000	9,000.00	6,50,00,000	6,500.00
कुल	9,00,00,000	9,000.00	6,50,00,000	6,500.00

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 17 : इक्विटी शेयर पूंजी (जारी..)

17.1 बकाया राशि और शेयरों का समन्वय

ब्योरा	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	2,50,00,000	2,500.00	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	9,00,00,000	9,000.00	6,50,00,000	6,500.00

राइट्स इश्यू के माध्यम से मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जारी किए गए शेयर

17.2 होलिंग कंपनी द्वारा धारित शेयरों का विवरण

ब्योरा	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	100%
कुल	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	100%

17.3 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारकों का विवरण

ब्योरा	31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %	शेयर की संख्या	शेयर पूंजी का %
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	100%

17.4 वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा रखे गए शेयर

संस्थापक का नाम	वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	2,50,00,000	38.46%

नोट 18 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
सामान्य आरक्षण	7,361.70	7,361.70
प्रतिधारित कमाई	(2,296.09)	(1,430.17)
कुल	5,065.61	5,931.53

अन्य इक्विटी में प्रत्येक मद की गतिविधि का विवरण इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में दिया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और इसका उपयोग किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि।

प्रतिधारित आय कंपनी की संचित आय की राशि का प्रतिनिधित्व करती है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 19 : उधार - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रतिभूति रहित		
नियंत्रक कंपनी को 6%की दर पर जारी प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र प्रतिदेय	1,000.00	1,000.00
होल्टिंग कंपनी से ऋण ऋ 5.5% प्रति वर्ष	500.00	500.00
कुल	1,500.00	1,500.00

- क) 1000 लाख रुपए में जारी किए गए प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र:- यूसीएसएल के पुनरुद्धार और सामान्य निगमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निजी स्थानन के माध्यम से यूसीएसएल द्वारा सीएसएल को 1000 रुपए अंकित मूल्य के 1 लाख एनसीडी जारी किए गए हैं। कूपन दर 6% है और वार्षिक आधार पर ब्याज का भुगतान करना होगा। एनसीडी 84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं अर्थात्: दिनांक 26 नवंबर 2028 को।
- ख) 500 लाख रुपए का ऋण: - यूसीएसएल के प्रचालन चरण के दौरान उत्पन्न होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, दिनांक 18.09.2020 को नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 5.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले असुरक्षित ऋण के रूप में 500 लाख रुपए का निवेश किया। संवितरण की तारीख यानी 17 सितंबर 2025 से 5 साल के अंत में चुकाई जाने वाली मूल राशि। प्रत्येक संवितरण की तारीख से वार्षिक आधार पर ब्याज चुकौती की जाएगी।

नोट 20: पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	584.13	61.90
कुल	584.13	61.90

नोट 21 : प्रावधान - गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	19.38	8.03
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	4.59	-
कुल	23.97	8.03

नोट 22 : पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
पट्टा देयताएं- इंड एस 116	56.57	14.96
कुल	56.57	14.96

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 23 : उधार - बैंकों से

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रतिभूति		
बैंकों से मांग पर चुकाए जानेवाले ऋण	705.00	-
कुल	705.00	-

कंपनी ने यूनिन बैंक ऑफ इंडिया से 9.4% / वर्ष की ब्याज दर पर नकद क्रेडिट सुविधा (3500 लाख रूपए की मंजूरी सीमा) का लाभ उठाया है। क्रेडिट सुविधा कंपनी की मालसूची और प्राप्य सहित वर्तमान परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत की जाती है। चुकौती की शर्तें: चालू खाता वार्षिक समीक्षा/नवीकरण के अधीन मांग पर चुकाया जाएगा।

नोट 24 : व्यापार देय

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	725.19	373.22
कुल सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	307.45	64.19
कुल	1,032.64	437.41

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	725.19	373.22
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ; सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	शून्य	शून्य
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	शून्य	शून्य

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 24 : व्यापार देय (जारी..)

वित्तीय वर्ष 2022-23 का व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	725.19	-	-	-	725.19
(ii) अन्य	306.91	0.54	-	-	307.45
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल					1032.64

वित्तीय वर्ष 2021-22 का व्यापार देय कालप्रभावन अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	373.22	-	-	-	373.22
(ii) अन्य	64.19	-	-	-	64.19
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादग्रस्त बकाया-अन्य	-	-	-	-	-
कुल					437.41

नोट 25 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
प्रदत्त ब्याज लेकिन उधार के लिए देय नहीं	31.86	31.86
प्रतिभूति और जमा	203.17	74.04
अन्य देय	1,541.43	1,343.74
कुल	1,776.46	1,449.64

अन्य देय राशियों में सीओसी को देय 1253.84 लाख रुपए शामिल हैं; यानी पोत निर्माण सब्सिडी योजना के तहत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी। लेनदारों की समिति से कोई शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

नोट 26 : अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम-पोत निर्माण/पोत मरम्मत/ इंजीनियरिंग कार्य	81.60	58.55
सांविधिक देय	283.28	68.45
पोत निर्माण/ पोत मरम्मत / इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुबंध देयता	1,128.35	82.76
कुल	1,493.23	209.76

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 27 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2023 को	31.03.2022 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	0.41	0.03
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	0.11	-
कुल	0.52	0.03
अन्य प्रावधान		
व्यय/ आकस्मिकों	818.92	1,011.04
कुल	819.44	1,011.07

समाधान योजना के अनुसार सुविधा के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु दिनांक 31.03.2020 तक खेतों में 1250 लाख रुपए की आकस्मिकता का प्रावधान प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान, हमने 201.54 लाख रुपए की राशि को समायोजित किया है और शेष की समीक्षा की गई है और इसे बरकरार रखा गया है।

27.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2022 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान- उपदान	0.03	0.03	-	-	0.41
क्षतिपूरण अवधि	-	-	-	-	0.11
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	1,011.04	1,011.04	212.59	-	818.92

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2021 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान- उपदान	-	0.03	-	-	0.03
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	1,210.78	1.80	201.54	-	1,011.04

नोट 28 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
जलयान	2,550.73	67.34
इंजीनियरिंग कार्य	758.07	574.64
	3,308.80	641.98
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत:	608.65	-
	608.65	-
कुल	3,917.45	641.98

भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 46 का संदर्भ लें: 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 29 : अन्य आय

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
स्क्रेप और स्टोर की बिक्री से आय	574.65	161.34
बैंक जमे से ब्याज आय	68.53	75.68
अन्यों से ब्याज	2.17	-
विविध आय	36.34	1.76
ज्योही अपेक्षित प्रावधान/ वापस की गई देयताएं	181.82	51.40
चार्टर किराए से आय	-	75.90
कुल	863.51	366.08

कंपनी उन जमाओं पर फॉर्म 26 एएस में अपलोड की गई ब्याज राशि का हिसाब नहीं दे रहा है, जिन्हें एनसीएलटी के आदेश से पहले चिह्नित होने के कारण यूसीएसएल की पुस्तकों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है।

मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ वीओसी पोर्ट ट्रस्ट द्वारा दायर अपील को खारिज करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, कंपनी को 181.82 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है और इसे वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 'प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं / देनदारियां वापस लिखी गई' जैसे अन्य आय के रूप में शामिल किया गया है।

नोट 30 : उपभोग की गई सामग्री की लागत

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कच्चा माल		
इस्पात	852.89	294.33
पाइप	46.33	0.14
रंग	103.34	3.90
खरीदे गए घटक	736.45	91.36
कुल	1,739.01	389.73

नोट 31 : कार्य-प्रगति सूची में परिवर्तन

(उसके अलावा जिन्हें प्रतिशत/आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है)

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य-प्रगति :		
वर्ष की शुरुआत में	(352.31)	-
घटाइए : साल के अंत में	(496.05)	(352.31)
कुल	(143.74)	(352.31)

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 32 : उप अनुबंध और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
उप अनुबंध और ऑफ लोडेड काम	1,239.68	313.47
हल बीमा	3.09	-
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	397.01	19.36
कुल	1,639.78	332.83

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेसिया और भत्ते	593.89	402.82
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	24.08	12.56
उपदान	12.35	8.06
कर्मचारी कल्याण खर्च	49.16	28.28
कुल	679.48	451.72

वेतन, पारिश्रमिक, बोनस/एक्सग्रेसिया और भत्ते में कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के नकदीकरण और अनुपस्थिति के लिए आधा वेतन मुआवजा के रूप में 4.70 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान शामिल है।

कर्मचारी लाभ व्यय में नियंत्रण कंपनी से ली गई दूसरी सेवाओं के 73.96 लाख रुपए शामिल हैं (पिछले वर्ष 61.45 लाख रुपए)

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रमुख धारणाएं निम्नानुसार थीं :

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	7.30%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%
निकासी दर	1.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:	
चालू सेवा मूल्य	3.67
पूर्व सेवा लागत	1.03
निवल ब्याज व्यय	-
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	-
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	4.70

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	4.70
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	4.70

कर्मचारी लाभ के प्रकार

(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	0.11
पीवीओ के गैर चालू घटक	4.59
कुल पीवीओ	4.70

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ देयता	-
वर्तमान सेवा मूल्य	3.67
पिछले सेवा मूल्य	1.03
चालू ब्याज मूल्य	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयता	4.70

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तननिम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-
बीमांकित/लाभ/हानि	-
नियोक्ता से अंशदान	-
प्रदत्त लाभ	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष1	लागू नहीं
वर्ष2	लागू नहीं
वर्ष3	लागू नहीं
वर्ष4	लागू नहीं
वर्ष5	लागू नहीं
अगले 6 वर्ष	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

वर्ष	(₹ लाखों में)
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	-
वर्ष 2	1.69
वर्ष 3	-
वर्ष 4	0.77
वर्ष 5	-
6 वर्ष और ऊपर	2.24

संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	(₹ लाखों में)
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर+ 100 बीपी	8.30%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4.31
उतार-चढ़ाव	-8.25%
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.30%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5.16
उतार-चढ़ाव	9.92%
ग. वेतन वृद्धि दर+ 100 बीपी	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5.16
उतार-चढ़ाव	9.74%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4.32
उतार-चढ़ाव	-8.19%

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है:

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	7.30%	6.20%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संपत्ति पर रिटर्न की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	11.85	8.06
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	0.50	-
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	12.35	8.06
निवल परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन:		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.62)	-
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए परिभाषित लाभ लागत का घटक	(0.62)	-

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	19.79	8.06
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	19.79	8.06

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	8.06	-
चालू सेवा मूल्य	11.85	8.06
चालू ब्याज मूल्य	0.50	-
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.62)	-
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	19.79	8.06

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

	(₹ लाखों में)	
ब्योरा	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
नियोक्ता से अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
6 वर्ष और ऊपर	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

	(₹ लाखों में)	
वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	0.30	-
वर्ष 2	2.82	-
वर्ष 3	13.57	-
वर्ष 4	1.49	1.11
वर्ष 5	-	6.95
6 वर्ष और ऊपर	1.61	-

संवेदनशीलता विश्लेषण

	(₹ लाखों में)	
विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर+ 100 बीपी	8.30%	7.20%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	19.70	7.73
उतार-चढ़ाव	-3.60%	-4.09%
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.30%	5.20%

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 33 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	20.58	8.40
उतार-चढ़ाव	4.05%	4.30%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	20.51	8.37
उतार-चढ़ाव	3.68%	3.89%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	19.13	7.75
उतार-चढ़ाव	-3.31%	-3.78%

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है

नोट 34 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
नकद ऋण पर ब्याज	28.40	-
पट्टा देयता पर ब्याज	3.18	6.52
सीएसएल से ऋण पर ब्याज	27.50	27.50
गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर ब्याज	36.41	19.43
कुल	95.49	53.45

नोट 35 : मूल्यहास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यहास	1,052.65	1,315.20
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	25.95	4.81
अन्य अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन	4.42	1.29
कुल	1,083.02	1,321.31
जोड़ : उपकरणों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	0.72
कुल	1,083.02	1,322.03

नोट 36 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
यार्ड रखरखाव और अन्य खर्च	176.96	0.22
पूजों की खपत	0.26	0.03
दर और कर	9.68	9.25

दिनांक 31 मार्च 2023 कुु

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 36 : अन्य व्यय (जारी..)

विवरण	(रु लाखों में)	
	31 मार्च 2023 कुु समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 कुु समाप्त वर्ष
विजली और ईधन	184.26	117.51
जल प्रभार	5.34	2.74
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
यार्ड अनुरक्षण		
- संयंत्र और मशीनें	21.96	10.99
- अन्य	80.81	51.50
रखरखाव ट्रेजिंग	1.97	0.20
परिवहन और स्टोर हैंडलिंग	9.92	-
यात्रा तथा सवारी खर्च	16.38	8.78
मुद्रण और लेखन सामग्री	9.50	6.68
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	0.53	0.50
विज्ञापन	13.36	0.25
पट्टे किराया	-	1.67
कानूनी और पेशेवर शुल्क	43.43	2.06
भाडा व्यय	5.71	5.49
बीमा	22.99	13.80
सुरक्षा व्यय	90.83	38.64
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	3.00	3.00
अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	1.55	2.40
वैधानिक अनुपालन के लिए शुल्क	1.32	1.02
व्यापार विकास व्यय	14.54	4.84
बैंक प्रभार	19.93	0.84
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ/(हानि)	1.49	(0.36)
जुर्माना भुगतान	38.89	-
पट्टा संशोधन पर हानि	32.08	-
आकरिमिक दायित्व के लिए बनाया गया प्रावधान		-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/बट्टे खाते में हानि	4.23	-
विविध खर्च	25.88	13.98
कुल	836.80	296.03

पट्टा समझौते के विस्तार के अनुसार, लेखे बहियों में आरओयू और पट्टा देनदारियां दिनांक 23.12.2022 (पट्टा संशोधन की तिथि) पर थीं, उन्हें पुनः मापा गया और पट्टा संशोधन पर 32.08 लाख रुपए की हानि कुु लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया।

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

विवरण	(रु लाखों में)	
	31 मार्च 2023 कुु समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 कुु समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	3.00	3.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	1.55	2.40
कुल	4.55	5.40

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 37 : प्रत्याशित हानियों और व्यय के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
निम्न के लिए प्रावधान		
गैर-संचलन/सतत मालसूची सत्यापन	-	18.89
कुल	-	18.89

नोट 38 : विशेष मद

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
सीओसी की ओर से अपवर्जित पोत वाई 123 की बिक्री	3,850.00	-
घटाएं : एनसीएलटी के आदेश के अनुसार बिक्री आय सीधे सीओसी द्वारा एकत्रित/अंतरित की जाती है।	(3,850.00)	-
वापस लिखी गई मालसूची के लिए प्रावधान / (मालसूची के लिए प्रावधान)		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बट्टे खाते में डालना	-	454.51
वापस ली गई प्राप्य अनुवृत्ति के लिए प्रावधान (प्राप्य अनुवृत्ति के लिए प्रावधान)	-	(179.36)
कुल	-	275.15

एनसीएलटी के आदेश के अनुसार, हल नंबर वाई 123 वाले अपवर्जित पोत के स्वामित्व के अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए यूसीएसएल, लेनदारों की समिति और एचएएल ऑफशोर लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। समझौते के अनुसार, कंपनी द्वारा 3850 लाख रुपए का कर चालान जारी किया गया था, जिसे सीधे सीओसी द्वारा एकत्र किया गया था। जीएसटी प्रेषण की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा ट्रांसफरी से एकत्र किए गए 192.50 लाख रुपए (बिक्री प्रतिफल पर 5%) का जीएसटी हिस्सा सरकारी खजाने में अग्रोषित किया गया है।

नोट 39 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	(866.54)	(1,294.13)
इक्विटी शेयरों की संख्या	90000000	65000000
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	(1.26)	(1.99)
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	10.00	10.00

नोट 40 : भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व का प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व		
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से प्राप्त राजस्व		
(i) उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण :		
जहाज़	2,550.73	67.34
(ii) सेवाओं की बिक्री		
इंजीनियरिंग कार्य	758.07	574.64
पोत मरम्मत	608.65	-
कुल	3,917.45	641.98

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 40 : भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण - ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (जारी..)

असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण:

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 19184.01 लाख रुपये है और इसे बाद के वर्षों में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाएगी।

वर्ष के दौरान अनुबंधित मूल्य का राजस्व के साथ समाधान

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
आदेशों का अनुबंधित मूल्य खोलना	1,264.13	-
जोड़े :		
प्राप्त नए आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	19,529.75	1,371.96
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त प्रतिफल के कारण वृद्धि	2,771.34	70.39
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण वृद्धि (निवल)	-	-
घटाइए :		
विविधता, परिवर्तन आदेश आदि सहित अन्य कटौतियां	-	-
वर्ष के दौरान पूरा किए गए आदेश	2,049.14	178.22
आदेशों का अनुबंधित मूल्य की समाप्ति	21,516.08	1,264.13
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	3,917.45	641.98
घटाइए : वर्ष के दौरान पूरा किए गए आदेशों में से राजस्व	1,585.38	178.22
वर्ष के अंत में निष्पादन के तहत आदेशों से राजस्व (I)	2,332.07	463.76
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में पूरा होने के लंबित आदेशों से) (II)	-	-
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण कमी (निवल) (III)	-	-
शेष राजस्व को भविष्य में मान्यता दी जाएगी अर्थात् आदेश बही (IV)	19,184.01	800.37
आदेश की अंतिम अनुबंधित कीमत(I+II+III+IV)	21,516.08	1,264.13

नोट 41: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल ₹ 202.20 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 15.16 लाख रुपए) है।

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2023 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	56.57	61.02
एक से पांच साल तक	237.81	21.98
पांच साल से ज्यादा	1,610.33	-
कुल	1,904.71	83.00

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 42: आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
क. आकस्मिक देयता(उस सीमा तक प्रदान न किया गया)			
क. गारंटी			
i साख पत्र	4,040.30	-	कंपनी की ओर से अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	3,898.81	56.00	बैंक गारंटी कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी की गई गारंटी का प्रतिनिधित्व करती है।
कंपनी को मालसूची और व्यापार प्राप्तियों सहित वर्तमान परिसंपत्तियों की दृष्टिबंधक की सुरक्षा के सामने 9100 लाख रुपये की निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमा स्वीकृत की गई है।			
ए पूर्ववर्ती टेबमा अवधि से संबंधित आकस्मिक देयताएं			
i. कर संबंधी मामले			
विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी)			
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	414.38	-	कंपनी ने विदेश व्यापार अधिनियम के तहत जुर्माना, सीमा शुल्क और ब्याज लगाने वाले डीजीएफटी के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है, जिसमें कारण बताने के लिए जारी किया गया है कि याचिकाकर्ता का नाम आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में दिनांक 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	694.00	-	डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ता का नाम अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसे दिनांक 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 42 : आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
- जहां कंपनी अपील में है (रिट याचिका माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है)	-	-	- कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के संबंध में 918.90 लाख रुपये की सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) हासिल करने में विफलता हुई और इसके संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने में भी विफलता हुई। 2016-17 के बाद के वर्षों के लिए मालपे ईओयू के गैर-पूर्ति के परिणामस्वरूप एफटीपी का उल्लंघन हुआ और इस तरह याचिकाकर्ता को एफटी (डी एंड आर) अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2021 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के अनुसार सभी कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रतिवादियों ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए पोस्ट किया गया है।
- जहां विभाग ने कारण बताओ नोटिस दिए हैं	314.07	-	- डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करने वाले याचिकाकर्ता का नाम अस्वीकृत इकाई सूची के तहत क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूसीएसएल प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और जवाब प्रस्तुत किया। आदेश की प्रतीक्षा है।
अन्य			
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत सी एंड एजी के कार्यालय द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अनुसार, 28 अप्रैल 2023 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों को संशोधित किया गया था। सी एंड एजी के कार्यालय द्वारा बताए गए कुछ सुधारों को इन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया था। इन वित्तीय विवरणों में शामिल संशोधन का प्रभाव नीचे दिया गया है:-			
प्रवेश कर	76.90	76.90	ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। आईबीसी के नियमों की शर्तें और जो परिचालन ऋणदाताओं की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क/सेवा कर/सीमा शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर	1,234.65	1,234.65	

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 42 : आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	प्रकृति और दायित्व का संक्षिप्त विवरण
कर्नाटक वेट	11.91	11.91	सितंबर से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए आईटीसी के गलत दावे के लिए आदेश संख्या ZD 2900223010218S दिनांक 20/2/23। ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था। आईबीसी के नियमों की शर्तें और जो परिचालन ऋणदाताओं की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने तदनुसार प्राधिकारियों को जवाब दिया।
उपरोक्त परिवर्तनों से कंपनी के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।			
ii) मनी सूट			
वादी : लोकनाथ इंटरप्राइजेज	31.96	28.03	सितंबर 2020 से वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज सहित 21,83,714 रुपये की वसूली के लिए, 2016 से सीआईआरपी अवधि तक उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए, जिसके लिए समाधान पेशेवर द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, वहां एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के लिए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दायर की गई थी। फिलहाल आईए पर सुनवाई दिनांक 14 जुलाई 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मामला माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय चेंगलपेट्टू (तमिलनाडु) के समक्ष खुला है।
वादी: कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	246.97	231.22	पोर्ट ने 28/03/2014 को कोच्चि में माननीय उप न्यायालय के समक्ष 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 105 लाख रुपये की राशि वसूलने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था। जो कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए टगों पर देखी गई विनिर्माण त्रुटियों को ठीक करने के लिए सीओपीटी द्वारा खर्च किया गया था। मामला मध्यस्थता के लिए अदालत में लंबित है।
क आकस्मिक संपत्ति			
मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड और मेसर्स तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट लिमिटेड (वर्तमान में वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण) के बीच मध्यस्थता कार्यवाही में दिनांक 12.12.2013 और 04.02.2014 की प्रस्तुति के लिए ओपी 365/14 में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2021 के अनुसरण में वीओसीपीटी द्वारा दिसंबर 2022 में 181.94 करोड़ रुपये का निपटान किया गया था और कंपनी को 04.02.2014 से 15.12.2022 तक की अवधि के लिए ब्याज का हिस्सा प्राप्त होना बाकी है, जो कि 432.13 लाख रुपये है।			

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

43. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	संबंध की प्रकृति
	2022-23	2021-22
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक,	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक,
श्री सुरेश बाबु एन वी	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
निदेशक (अप्रैल 30, 2021 तक)		(अप्रैल 30, 2021 तक)
श्री बिजोय भास्कर	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
निदेशक		
श्री जोस वी जे	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
निदेशक		
श्री श्रीजित के नारायणन	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
निदेशक	(मई 03, 2022 तक)	
श्री नीलकंठन ए एन	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
निदेशक	(मई 03, 2022 से)	
श्री राजेश गोपालकृष्णन	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
निदेशक	(मई 03, 2022 से)	
श्री हरिकुमार ए	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
मुख्य कार्यपालक अधिकारी		
श्री शिवु जॉन	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
मुख्य वित्तीय अधिकारी	(नवंबर 24, 2022 तक)	
श्री शंकर नटराज	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	-
मुख्य वित्तीय अधिकारी	(नवंबर 25, 2022 से)	
श्री अश्विन शर्मा एम	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कंपनी सचिव		
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	नियंत्रक कंपनी	नियंत्रक कंपनी
(व्यापार का प्रमुख स्थान कोचीन)		
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहयोगी सहायक कंपनी	सहयोगी सहायक कंपनी
(व्यापार का प्रमुख स्थान कोलकाता)		

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के लेनदेन- पारिश्रमिक की प्रकृति

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
अल्पकालीन लाभ	43.85	32.56
रोजगार के बाद के लाभ- उपदान	1.09	0.58
कुल	44.94	33.14

नियंत्रण कंपनी पर बकाया शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
प्राप्तियों	331.54	35.56
देय	17.94	35.18
एनसीडी	1,000.00	1,000.00
ऋण	500.00	500.00

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

43. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण (जारी..)

लेनदेन की प्रकृति संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन

विवरण	(₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सहायक कंपनी को प्रतिनियुक्ति (जीएसटी सहित)	87.28	72.51
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जारी किए गए प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र	-	1,000.00
ऋण पर ब्याज	27.50	27.50
एनसीडी पर ब्याज	60.00	20.71
इंजीनियरिंग कार्यों पर राजस्व	758.07	574.64
पोत मरम्मत से राजस्व	584.02	-
नियंत्रण कंपनी को इक्विटी शेयरों का आवंटन	2,500.00	-
नियंत्रण कंपनी से संपर्क शुल्क वसूला गया	4.96	-

सीएसएल की ईआरपी प्रणाली, 'एसएपी एस/4 हाना' को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपूर्ण एसएपी कार्यान्वयन लागत और लाइसेंस शुल्क के साथ कंपनी तक बढ़ा दिया गया है, जो कुल मिलाकर 44.14 लाख रुपये है, जिसे यूसीएसएल की ओर से नियंत्रण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 से आगे की लाइसेंस फीस और अन्य शुल्क यूसीएसएल द्वारा सीएसएल को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

नियंत्रण कंपनी के साथ सभी लेन-देन उन समान शर्तों पर किए गए थे जो निष्पक्ष लेन-देन में प्रचलित थे।

सीएसएल की ओर से यूसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
मधु एस नायर, अध्यक्ष	10	10
बिजोय भास्कर, निदेशक	10	10
जोस वी जे, निदेशक	10	10
हरिकुमार ए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी	10	10
शिवु जाँण, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी	10	10
अश्विन शर्मा एम, कंपनी सचिव	10	10

44. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं :

स्तर I. इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II. इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोड़कर इनपुट है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।

स्तर III. इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है (लेकिन अंकित मूल्य के प्रकटीकरण अपेक्षित है।)

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

44. वित्तीय साधन (जारी..)

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर चालू			
अन्य	16.27	8.89	स्तर II
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	331.57	97.51	स्तर II
(ii) रोकड व रोकड समतुल्य	932.85	1,580.51	स्तर II
(iii) बैंक शेष (ii) को छोड़कर		100.88	स्तर II
(iv) ऋण	-	-	स्तर II
(v) अन्य	20.79	4.53	स्तर II
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	2,689.96	1,792.32	
वित्तीय देयताएं			
गैर चालू			
(i) उधार	1,500.00	1,500.00	स्तर II
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	584.13	61.90	स्तर II
चालू			
(i) उधार राशियां	705.00	-	स्तर II
(ii) देय व्यापार	1,032.64	437.41	स्तर II
(iii) पट्टा देयताएं	56.57	14.96	स्तर II
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	1,776.46	1,449.64	स्तर II
कुल वित्तीय देयताएं	5,654.81	3,463.91	

नोट:

- ऋण, उधार, बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।
- प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरीइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरीइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर
वित्तीय संपत्ति						
व्यापार प्राप्तियां	-	-	331.57	-	-	97.51
नकद और नकद समकक्ष	-	-	932.85	-	-	1,580.51

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

44. वित्तीय साधन (जारी..)

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को			31.03.2022 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत/लागत पर
बैंक शेष	-	-	1,388.48	-	-	100.88
अन्य वित्तीय संपत्ति	-	-	37.06	-	-	13.42
कुल वित्तीय संपत्ति	-	-	2,689.96	-	-	1,792.32
वित्तीय देयताएं						
उधार राशियां	-	-	2,205.00	-	-	1,500.00
व्यापार देय	-	-	1,032.64	-	-	437.41
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	2,417.17	-	-	1,526.50
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	5,654.81	-	-	3,463.91

45. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां:

गौण के अलावा कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में ऋण और उधार, व्यापार और ग्राहकों से प्राप्त अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राय और नकदी और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है और साथ ही विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने वाली नीतियां प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए गौण सहित वित्तीय उपकरणों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल होते हैं: ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों और निश्चित दर के साथ होल्डिंग कंपनी से ऋण से संबंधित है जैसा कि नोट 19 में बताया गया है। दीर्घकालिक निश्चित दर उधार की वर्तमान प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है कि विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के कारण प्रदर्शन का उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। विदेशी मुद्रा दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी की परिचालन गतिविधियों (जब राजस्व या व्यय को विदेशी मुद्रा में दर्शाया जाता है) से संबंधित है। दिनांक 31.03.2023 तक, कंपनी के पास विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित कोई वित्तीय संपत्ति/देयताएं नहीं हैं।

दिनांक 31 मार्च 2023 कुी

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

45. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति (जारी..)

वस्तुगत मूल्य जोखिम

कंपनी कुछ वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित होती है। इसकी प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, प्रमुख मशीनरी, उपकरण आदि की खरीद की आवश्यकता होती है। कंपनी अपना कच्चा माल मुख्य रूप से तीसरे पक्ष से खुले बाजार में खरीदती है। इसलिए कंपनी प्राथमिक कच्चे माल के इनपुट के रूप में स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढ़ाव के अधीन है। कंपनी का लक्ष्य तैयार उत्पादों को पक्के अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर उचित विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। इसलिए, कंपनी कीमत को अनुकूलित करने के लिए अपनी खरीद की बारीकी से योजना बनाती है। इसके अलावा, चीकू उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होती है और अपनी विशिष्टता के कारण प्रकृति में विषम होते हैं, इसलिए वस्तु, जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम न्यूनतम होता है।

चलनिधि जोखिम

यह जोखिम कि किसी इकाई को वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति वितरित करके तय की जाती है। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य के करीब की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता से उत्पन्न हो सकता है। कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता है। कंपनी प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, और जब भी आवश्यक हो, इक्विटी फंड का निवेश करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकदी समकक्षों के साथ अल्पावधि और दीर्घकालिक में चलनिधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की लगातार निगरानी करके नीचे दर्शाए अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2023 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय संपत्ति			
प्राप्य व्यापार	331.57		
रोकड व रोकड समतुल्य	932.85		
बैंक शेष	1,388.48		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	37.06		
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	2,689.96	-	-
वित्तीय देयताएं			
उधार		500.00	1000.00
पट्टा देयता			584.13
अन्य वित्तीय देयताएं			
उधार	705.00		
पट्टा देयता	56.57		
देय व्यापार	1032.10	0.54	
अन्य वित्तीय देयताएं	1776.46		
कुल वित्तीय देयताएं	3,570.13	500.54	1,584.13

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है कि एक प्रतिपक्षी किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) और बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय उपकरणों सहित अपनी वित्तपोषण गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। दिनांक 31.03.2023 को तुलन पत्र के घटकों के लिए कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम नोट संख्या 11 में उल्लिखित राशि है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

46. सेगमेंट रिपोर्टिंग

(₹ लाखों में)

विवरण	दि. 31 मार्च 2023 को	दि. 31 मार्च 2022 को
सेगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	11,726.98	7,742.24
पोत मरम्मत	17.37	-
अन्य	10,312.70	9,382.06
कुल	22,057.05	17,124.30
सेगमेंट देयता		
पोत निर्माण	1,029.01	741.68
पोत मरम्मत	4.44	-
अन्य	6,957.99	3,951.09
कुल	7,991.44	4,692.77
सेगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	3,308.80	641.98
पोत मरम्मत		
अनाबंटित	863.51	366.08
कुल	4,780.96	1,008.06
सेगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	(970.44)	27.40
पोत मरम्मत		
अनाबंटित	(449.09)	(1,531.71)
कुल	(1,148.88)	(1,504.31)

47. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंधन कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	दि. 31 मार्च 2023 को	दि. 31 मार्च 2022 को
गैर चालू उधार राशियां	1500.00	1500.00
निवल ऋण	1500.00	1500.00
इक्विटी शेयर पूंजी	9000.00	6500.00
अन्य इक्विटी	5065.61	5931.53
कुल इक्विटी	14065.61	12431.53
गियरिंग अनुपात	10.66%	12.07%

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

48. अनुपात

अनुपात	अंश- गणक	विभाजक	2022-23	2021-22	% परिवर्तन	यदि 25% से अधिक परिवर्तन हो तो टिप्पणी करें
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.27	1.10	15%	-
ऋण- इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.11	0.12	-12%	-
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ + मूल्यह्रास + वित्त लागत + उधार लेने की लागत पूंजीकृत-पट्टा देयता पर ब्याज	ऋण सेवा	0.52	(2.51)	121%	पिछले साल की तुलना में कंपनी का पीबीटी बेहतर हुआ है
इक्विटी पर वापसी (आरओई)	कर पश्चात निवल लाभ- अधिमान लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक की इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अवधि के लिए नकारात्मक लाभ
वस्तुसूची आवर्त अनुपात	बेचे गए माल या बिक्री की लागत	औसत सूची	2.54	1.09	133%	इस अवधि के दौरान कंपनी पूरी तरह से चालू हो गई
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	निवल ऋण बिक्री	औसत प्राप्य खाता	0.08	0.15	-44%	वर्ष के दौरान कोई क्रेडिट बिक्री में बढ़ोत्तरी
व्यापार देय कारोबार अनुपात	निवल ऋण खरीद	औसत व्यापार देय	7.26	4.65	56%	इस अवधि के दौरान कंपनी पूरी तरह से चालू हो गई
निवल पूंजी कारोबार अनुपात	निवल बिक्री	कार्यशील पूंजी	2.47	2.23	11%	-
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	निवल बिक्री	(0.22)	(2.02)	89%	पिछले साल की तुलना में कंपनी का पीएटी बेहतर हुआ है
नियोजित पूंजी पर वापसी (आरओसीआई)	ब्याज और करों से पहले कमाई	नियोजित पूंजी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अवधि के लिए नकारात्मक लाभ
निवेश पर वापसी	पीएटी	निवेश की गई राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अवधि के लिए नकारात्मक लाभ

49. अन्य सांविधिक जानकारी

क) स्वामित्व विलेख, जिसमें भूमि और इमारतों की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं, जो पूर्ण स्वामित्व वाली हैं, उसे तुलन पत्र की तारीख के अनुसार कंपनी के नाम पर रखी गई है। भूमि और भवन की अचल संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और वित्तीय विवरणों में संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में खुलासा किया गया है, यह पट्टा समझौते कंपनी के नाम पर है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

49. अन्य सांविधिक जानकारी (जारी..)

- ख) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की पूरी श्रेणी के लिए अपनी लेखांकन नीति के रूप में लागत मॉडल अपनाया है।
- ग) कंपनी ने समर्थकों, निदेशकों, कोएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या पुनर्भूगतान की किसी भी शर्त या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जाना है।
- घ) कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे रिपोर्टिंग तिथि पर लिया गया था।
- ङ) समीक्षाधीन वर्ष से संबंधित पंजीकरण, संशोधन और शुल्कों की संतुष्टि, जहां भी लागू हो, निर्धारित समय के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल की गई थी।
- च) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- छ) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों में दाखिल किए गए त्रैमासिक विवरणों या विवरण खातों की किताबों के अनुरूप हैं।
- ज) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाताओं द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।
- झ) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।
- ञ) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) ('मध्यस्थ') इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचानी गई पार्टी को उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी को इस समझ के साथ किसी भी पार्टी (फंडिंग पार्टी) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करें।
- ट) कंपनी का कोई भी लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभिभूत या खुलासा किया गया हो।
- ठ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या प्रत्यक्ष मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए, इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते हैं।

दिनांक 31 मार्च 2023 को

समाप्त वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- 50.** पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय ऋणदाताओं (लेनदारों की समिति) की ओर से कंपनी द्वारा धारित हल संख्या वाई 159 वाला अपवर्जित पोत रिपोर्टिंग तिथि तक बिना बिका हुआ है। हालाँकि, संभावित खरीदार के साथ चर्चा/बातचीत अंतिम चरण में है।
- 51.** पिछले वर्ष के आंकड़े को जहाँ भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।
- 52.** कोष्ठक के आंकड़े शून्य आंकड़े को दर्शाता है।

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

अश्विन शर्मा एम

कंपनी सचिव

स.सं A41969

उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

शंकर नटराज

मुख्य वित्तीय अधिकारी

हरिकुमार ए

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जोस वी जे

निदेशक

डीआईएन -08444440

मधु एस नायर

अध्यक्ष

डीआईएन-07376798

कृते मेसर्स शब्बीर और गणेश

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण सं.009033एस)

सी ए गणेश वाई

साझेदार

(सदस्यता सं. 207231)

उडुपी दिनांक जुलाई 13, 2023

सूचना

सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक साधारण बैठक सितंबर 19, 2023, मंगलवार 11.15 बजे को सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682 015 में आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31 मार्च 2023 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।
2. श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 08103825) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
3. श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक साधारण बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।
4. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 08, 2023

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए 41969

टिप्पणी:

1. एक सदस्य जिसे वार्षिक साधारण बैठक (बैठक) में उपस्थिति रहने और मत देने का अधिकार है, उसे अपनी ओर से उपस्थित होने और मत देने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने हेतु हकदार है और परोक्षी कंपनी के एक सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। परोक्षी प्रस्तुत करनेवाले विधिवत् स्टैम्पड, पूरा किए, हस्ताक्षरित दस्तावेज बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे के पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए। एक परोक्षी प्रपत्र (एमजीटी-11) इस सूचना के साथ संलग्न किया है।
2. पचास (50) सदस्यों से अधिक न हो, सदस्यों की ओर से और मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से न अधिक हो, संभालने वाले एक व्यक्ति परोक्षी के रूप में कार्य कर सकते हैं। यदि, सदस्य द्वारा नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित मत अधिकार वाले कंपनी के कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से ज्यादा संभालने वाले एक परोक्षी के मामले में, ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए परोक्षी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।
3. सदस्यों, परोक्षियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति के साथ संलग्न विधिवत् भरे उपस्थिति स्लिप लाएं। अधिनियम की धारा 113 के अनुसार बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के लिए इरादा रखनेवाले निगमित सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की प्रमाणित प्रति या मुख्तारनामा या किसी अन्य दस्तावेज कंपनी को भेज दें।
4. बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई पंजियों और नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं।
5. बैठक में स्थान की ओर रूट मैप इस सूचना के साथ संलग्न किया जाता है।
6. यह बैठक पंजीकृत कार्यालय की स्थानीय सीमा के बाहर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेस्मानूर, कोच्ची, 682015, से लघु सूचना पर प्रस्तावित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार अनुरोध, कोलकाता के स्थानीय सीमा के बाहर बैठक का संचालन करने हेतु सहमति के लिए इस सूचना के साथ संलग्न है और बैठक केवल तभी होगी जब बैठक में मतदान करने के हकदार सभी सदस्यों से सहमति प्राप्त हो।
7. निदेशकों के संक्षिप्त विवरण, जो पुनर्नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं, को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी आम बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस-2) की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस के साथ संलग्न किया है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

अश्विन शर्मा एम

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. ए 41969

कोच्ची

सितंबर 08, 2023

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम

पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक

कांचीपुरम – 603 116

सीआईएन: U27209TN1984GOI010994

ई-मेल: secretary.tsl@cochinshipyard.in

प्रपत्र सं. एमजीटी -11

परोक्षी प्रपत्र

'कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 (6) और कंपनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार'

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682 015.

दिन, दिनांक और समय : मंगलवार, सितंबर 19, 2023, 11.15 घंटे

सदस्य का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	

मैं/ हम, शेयर संभालनेवाले उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड एक सदस्य हूँ, निम्नलिखित

1.

नाम :	
पता:	
ईमेल आईडी :	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर

2.

नाम :	
पता:	
ईमेल आईडी :	
हस्ताक्षर	

या उनकी अनुपस्थिति पर

3.

नाम :	
पता:	
ईमेल आईडी :	
हस्ताक्षर	


को दिनांक 19 सितंबर, 2023, मंगलवार 11.15 बजे सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमनूर, कोच्ची, केरल-682015 में आयोजित होनेवाले कंपनी के सदस्यों के 39 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे लिए/ हमारे और से मेरे/ हमारे परोक्षी के रूप में बैठक में उपस्थिति होने और मत देने (पॉल पर) के लिए एतद्वारा नियुक्त करते हैं और ऐसे संकल्प के संबंध में इसके किसी भी स्थगन नीचे सूचित किया जाता है:

क्र. सं.	संकल्प	पक्ष	विपक्ष
सामान्य व्यापार			
1.	दिनांक 31 मार्च 2023 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और बोर्ड के निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार और स्वीकार करना।		
2.	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन: 008103825) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।		
3.	श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और योग्य होने पर, पुनर्नियुक्ति के लिए उन्हें पेश करते हैं।		
4.	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		

2023 केदिन.....हस्ताक्षर किया।

शेयरधारक का हस्ताक्षर

परोक्षी धारक का हस्ताक्षर



नोट : यह प्रपत्र प्रभावी होने के लिए विधिवत् भरकर, बैठक शुरू होने के कम से कम 48 घंटे से पहले कंपनी पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय में जमा करना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

बैठक का स्थान : सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल – 682 015.

दिन, दिनांक और समय : मंगलवार, सितंबर 19, 2023, 11.15 घंटे

कृपया उपस्थिति पर्ची भरें और इसे बैठक स्थान के प्रवेश पर सौंप दें।


शेयरधारक का नाम	
पंजीकृत पता	
ईमेल आईडी	
लेड्जर पृ.सं.	
संभाले शेयरों की सं.	

मैं प्रमाणित करता/ती हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के पंजीकृत शेयरधारक/ परोक्षी हूँ।

मैं सितंबर 19, 2023, मंगलवार, 11.15 घंटे को सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल-682015 में कंपनी की 38 वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति एतद्वारा रिकॉर्ड करता/ती हूँ।

शेयरधारक या परोक्षी का हस्ताक्षर

बैठक के स्थान का रूट मैप



शेयरधारक की सहमति

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अधीन)

सेवा में,
निदेशक मंडल
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम - 603 116

मैं, _____, _____ का पुत्र, _____, _____
_____, _____ का निवासी, कंपनी में प्रत्येक 10 रूपए के _____ इक्विटी शेयर का धारक यहाँ एतद्वारा कंपनी के 39वाँ वार्षिक आम
बैठक (वा.आ.बै), सितंबर 19, 2023 को पंजीकृत कार्यालय के स्थानीय सीमा के बाहर सीएसएल बोर्ड कक्ष, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन
शिपयार्ड परिसर, पेरूमनूर, कोच्ची, केरल - 682 015 में लघु सूचना पर करने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 और 101 के अनुसार सहमति देते हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :

इस बैठक में पुनर्नियुक्ति मांग करनेवाला निदेशक का विवरण

इभारतीय कंपनी सचिव संस्थान (भा.कं.स.सं) द्वारा जारी सामान्य बैठकों (एसएस-2) पर सचिवीय मानकों के उद्देश्य

निदेशक का नाम	श्री बिजोय भास्कर
डीआईएन	08103825
आयु एवं जन्मतिथि	58 एवं 07 मई, 1965
योग्यता	श्री बिजोय भास्कर के पास केरल विश्वविद्यालय के प्रथम रैंक और स्वर्ण पदक के साथ बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) की डिग्री है। उनके पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (मेकानिकल) की डिग्री भी है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा पूरा किया है।
अनुभव	श्री बिजोय भास्कर नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) हैं। उनके पास पोत डिज़ाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत जैसे क्षेत्रों में 35 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण के बाद श्री बिजोय भास्कर को सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। नामांकन वापस लेने तक श्री बिजोय भास्कर के निदेशक पद को जारी रखने के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान किए जानेवाले पारिश्रमिक का विवरण और अंतिम आहरित (वि.व. 2022-23)	शून्य
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तिथि	सितंबर 15, 2020
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	10 (शेयर सीएसएल की ओर से रखे गए हैं)
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की सं.	6/6
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की हितधारक संबंध समिति में सदस्य। केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

निदेशक का नाम	श्री जोस वी जे
डीआईएन	08444440
आयु एवं जन्मतिथि	56 एवं फरवरी 04, 1967
योग्यता	श्री जोस वी जे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और उनके पास एर्णाकुलम के सरकारी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी है।
अनुभव	श्री जोस वी जे नियंत्रक कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। उनके पास वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजटिंग और लागत नियंत्रण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 32 वर्षों का कार्य अनुभव है।
पुनर्नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से सितंबर 2020 में कंपनी के अधिग्रहण के बाद श्री जोस वी जे को सीएसएल द्वारा नामित निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था। नामांकन वापस लेने तक श्री बिजोय भास्कर के निदेशक पद को जारी रखने के लिए सदस्यों की मंजूरी मांगी गई है। पुनर्नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।
पुनर्नियुक्ति पर भुगतान किए जानेवाले पारिश्रमिक का विवरण और अंतिम आहरित (वि.व. 2022-23)	शून्य
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तिथि	सितंबर 15, 2020
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	10 (शेयर सीएसएल की ओर से रखे गए हैं)
अन्य निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	शून्य
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की सं.	6/6
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में निदेशक पद (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों और धारा 8 कंपनियों को छोड़कर)	(1) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (2) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की हितधारक संबंध समिति में सदस्य। केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

39 वीं वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना का परिशिष्ट

यह मंगलवार, सितंबर 19, 2023 को 11.15 बजे निर्धारित उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्यों की 39वीं वार्षिक साधारण बैठक केलिए सितंबर 08, 2023 को जारी नोटिस के संदर्भ में है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित परिपत्र सं 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और समय-समय पर जारी अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्र (सम्मिलित रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में संदर्भित), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विशुअल माध्यम ('ओएवीएम') के जरिए वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सामान्य स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति देता है। इन एमसीए परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी वीसी/ ओएवीएम के जरिए 39 वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्ति नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए उक्त एजीएम में भाग ले सकते हैं:

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की 39वीं एजीएम में भाग लेने के लिए लिंक

[Link for attending the 39th AGM of Udupi Cochin Shipyard Limited](#)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ ओएवीएम के जरिए एजीएम में सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

मतदान के मामले में वोट डालने हेतु नामित ईमेल आईडी है secretary.tsl@cochinshipyard.in.

कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें।

कृते उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

कोच्ची
सितंबर 18, 2023

अश्विन शर्मा एम
कंपनी सचिव
स.सं. A41969



उदुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
(पूर्व में टेवमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय

एस सं. 377, पषमाथुर ग्राम
पुकाथुरै पोस्ट, मदुरांतकम तालुक
कांचीपुरम, तमिलनाडु - 603 116

सीआईएन : U27209TN1984GOI010994





UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
(Formerly Tebma Shipyards Limited)



Going Global

ANNUAL REPORT **2022-23**

Contents

01-10

Corporate Overview

- 01 Corporate Information
- 02 Our Ethos
- 04 About Us
- 06 Chairman's Address
- 08 Board of Directors
- 10 Leadership Team

11-34

Statutory Reports

- 11 Directors' Report
- 24 Report on Corporate Governance
- 30 Management Discussion and Analysis Report


35-100

Financial Statements

- 35 Independent Auditors' Report
- 47 Comments of the C&AG
- 48 Balance Sheet
- 49 Statement of Profit and Loss
- 50 Statement of Changes in Equity
- 51 Statement of Cash Flow
- 53 Notes to Financial Statements

101-109

Notice



Disclaimer

Some information in this report may contain forward-looking statements. We have based these forward-looking statements on our current beliefs, expectations and intentions as to facts, actions and events that will or may occur in the future. Such statements generally are identified by forward-looking words such as "believe", "plan", "anticipate", "continue", "estimate", "expect", "may", "will" or other similar words. A forward-looking statement may include a statement of the assumptions or basis underlying the forward-looking statement. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution you that forward-looking statements and assumed facts or bases almost always vary from actual results, and the differences between the results implied by the forward-looking statements and assumed facts or bases and actual results can be material, depending on the circumstances.

Corporate Information

BOARD OF DIRECTORS

Shri Madhu Sankunny Nair
Chairman

Shri Bejoy Bhasker
Non – Executive Director

Shri Jose V J
Non – Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan
Non – Executive Director

Shri Neelakandhan A N
Non – Executive Director

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Non – Executive Director

COMPANY SECRETARY

Shri Aswin Sarma M

LEADERSHIP TEAM

Shri Harikumar A
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Shankar Nataraj
Chief Financial Officer (CFO)

KEY PERSONNEL

Shri Ambalavanan M
DGM (Operations)

Shri Ram Mohan Baliga K V
AGM (BD & Planning)

Shri Billu C Rajan
AGM (Utilities, HSE & QC)

Shri Sony Clement T M
AGM (Materials and Contract Cell)

Shri L K Prabhakar
AGM (Hull, Outfitting & Painting)

REGISTERED OFFICE

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram, Tamil Nadu – 603 116

CIN: U27209TN1984GOI010994

FACILITIES

Udupi, Karnataka
Chengalpet, Tamil Nadu

STATUTORY AUDITORS

M/s. Shabbir and Ganesh
Chartered Accountants
Balakrishna Towers, 1st Floor
Kunjibettu 2nd Cross,
Udupi Manipal Road
Near Mandavi Gokul, Udupi – 576 102

SECRETARIAL AUDITORS

M/s. SEP & Associates
Company Secretaries
Building No. C.C 56/172
K.C. Abraham Master Road
Panampilly Nagar, Kochi – 682 036

BANKERS

State Bank of India
Union Bank of India



Our Ethos



Vision

- Emerge as one of the internationally preferred shipyards to construct world class tug boats, deep sea fishing vessels, offshore supply vessels and special purpose ships of up to 80 meters in length.
- Spearhead the transformation of Indian fishing fleet to engineered fishing boats, aimed at wholesome development of the fishermen of the country.
- Emerge as the market leader in aluminium hull construction in the country.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.



Mission

- To build and repair tug boats, specialised fishing vessels and special purpose ships of up to 80 meters length to international standards and provide value added quality engineering services, sustain corporate growth in competitive environment and adopt & undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.



Objectives

- To sustain and enhance shipbuilding and specialised engineering services through technology up-gradation and capacity augmentation.
- To continuously endeavour to expand/diversify activities of the Shipyard leveraging facilities of the Company in the states of Karnataka and Tamil Nadu.
- To work with the parent organisation Cochin Shipyard Limited, in carrying out research & development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- To motivate employees through improved specific training programs.
- To adopt best practices for clean and safe environment.
- To adopt proactive approach to opportunities with aggressive bidding and secure orders to maximize capacity.

- To ensure positive customer-oriented initiatives.
- To be a responsible corporate citizen through CSR & sustainability projects and compliance to corporate governance principles.



About Us

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients and has been a known name in the shipbuilding industry for its quality standards and commitment levels.

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited' on July 09, 1984 as a private non-government company. Subsequently, the Company became public and changed the name to 'Tebma Shipyards Limited'.

In September 2018, due to Company's inability to meet the financial obligations, the Company was admitted to Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). In compliance with the provisions of the statutory insolvency resolution process, Cochin Shipyard Limited (CSL), a premier public sector shipyard in India, acquired the Company and took over its management in September 2020, consequent to which the Company became a wholly owned subsidiary of CSL and a Government Company under the provisions of the Companies Act, 2013. Subsequently, on April 22, 2022 the name of the Company was changed from Tebma Shipyards Limited to Udupi Cochin Shipyard Limited.

The Company has also been a key player in the offshore industry through the collaboration with Cochin Shipyard Limited (CSL) in 2004, under which the Company constructed 8 nos. of Platform Supply Vessels and 4 nos. of Anchor Handling Tugs at CSL, Kochi. The Company, besides being a leading shipbuilder, has also made significant contributions to the ship repair business in India. Since coming out of the IBC process in September 2020, the Company has secured various key domestic as well as international orders and is operating smoothly.

UCSL has two facilities; one in Udupi, Karnataka and the other in Chengalpet, Tamil Nadu. The Company's facility at Udupi possesses a high-end infrastructure including an equally modern Steel Fabrication unit which is considered as one of the best in the country amongst medium sized shipyards.

Business Segment



Chairman's Address



Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you all to the 39th Annual General Meeting of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL). At the outset I am very happy to note that the Company is going global and has recently bagged an order from M/s. Wilson Group, Norway, for construction of six New Generation Diesel Electric 3800 DWT General Cargo Vessels with an option for additional eight vessels. It is a significant achievement and I take this opportunity to congratulate the UCSSL/ CSL team who had worked relentlessly to secure the said order. I am hopeful that, with the execution of this contract, more orders would be coming in from the promising European shortsea vessel segment.

Coming out of the insolvency process and the aftermath of the Pandemic, the Company's performance was excellent during the financial year 2022-23. The Company bagged various key orders including two 70T Bollard Pull Tugs for Polestar Maritime Limited, Mumbai and has also achieved significant operational milestones viz., steel cutting and keel laying of two 62T Bollard Pull Tugs contracted for Ocean Sparkle Limited, steel cutting of two 70T Bollard Pull Tugs contracted for Polestar Maritime Limited etc. The Company has also completed delivery of various vessels to the satisfaction of the customers including seven Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to CSL for the Kochi Water Metro Project. The Company also set foot in the ship repair business by successfully completing the dry-docking and repairs of SBM of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), among others.

I am glad to announce that, the strong operational performance of the Company during the year 2022-23 resulted in

significantly improving the total income to ₹47.81 crores as against ₹10.08 crores for the previous year 2021-22. Consequently, the Company could narrow down its loss by 33% to ₹8.67 crores as against ₹12.94 crores for the previous year 2021-22. Further, during the year 2022-23, the Company also raised funds to the tune of ₹25 crores by way of equity capital from the holding company, CSL, primarily to meet the CAPEX/ Revival requirements.

I would also like to bring to the notice that the Company's name was changed to Udupi Cochin Shipyard Limited with effect from April 22, 2022, consequent to the inclusion of the Company to the Cochin Shipyard group. I am also happy to note that Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, has identified projects under its CSR initiatives to be carried out in and around the Company's facilities at Udupi, reflecting CSL group's intention to contribute to the overall development of the local community in Udupi.

The Company strives to employ the right mix of people to ensure excellence in execution of the contracted work and to drive the Company towards growth. I am delighted to note that the Company's work force is capable of achieving the desired results in a time bound manner. It is also worth mentioning that during the year 2022-23, the Company maintained cordial industrial relations and also adhered to appropriate HSE practices which is a must in the current business scenario.

UCSSL has a strong order book position encompassing tugs, deep sea fishing boats, general cargo vessels etc. and is also actively looking for further orders. UCSSL aspires to be a market leader in the small and medium vessels segment by providing

quality vessels with international standards both for the domestic and international clients. The Company aims to contribute significantly in nation's economic prosperity by taking part in the Government of India's initiatives like 'AatmaNirbhar Bharat', 'Make in India, Make for World', 'Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)' etc. As the world looks for sustainable solutions across the spectrum, the Company is well poised to cater to the clients requiring sustainable small and medium vessels. The recent order from M/s. Wilson Group, Norway is a testimony and a recognition of the capability of the Company to build green ships. The Company looks forward to execute the current orders in hand in a timely manner and keeps track of the ever changing business requirements in the maritime space to capitalise on the emerging opportunities wherever found feasible.

Pursuant to the Office Memorandum (OM) F. No. 18(8)/2005-GM issued by the Department of Public Enterprises (DPE) on July 08, 2014, the Company, which was in the process of revamping the infrastructure facilities for commencing its operations, had been exempt from the compliance with the Guidelines on Corporate Governance. The Guidelines have been made applicable from the financial year 2022-23 consequent to the operationalizing of its major facilities in Udupi. The Company is committed to adopt the best Corporate Governance practices wherever possible and complies with the applicable DPE Guidelines on Corporate Governance. The Company also submits its quarterly progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended

by the DPE in this regard. Further, the report on Corporate Governance prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is included in the Annual Report.

I would like to gratefully acknowledge the support of the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Secretary and other officers of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Government of Karnataka, the Directors and Senior Management of Cochin Shipyard Limited (CSL) and my fellow Board members. I also take this opportunity to thank the most valuable assets of the Company, our employees and the Leadership Team viz., the Chief Executive Officer (CEO) and the Chief Financial Officer (CFO) for their dedication and commitment in driving the Company towards growth. I also place on record my sincere gratitude to all our business associates and expect their continued support for creating greater value together.

Thanking You

Jai Hind

Madhu Sankunni Nair

Chairman
DIN: 07376798

Board of Directors



Shri Madhu Sankunny Nair
Chairman

Shri Madhu Sankunny Nair is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Shri Madhu Sankunny Nair is the Chairman and Managing Director of Cochin Shipyard Limited (CSL) from January 01, 2016. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building from Cochin University of Science and Technology, India and a Degree of Master in Engineering with specialisation in Naval Architecture and Ocean Engineering from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialised training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research

in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He is the Fellow of The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA) and Fellow of Institution of Naval Architects, India and is presently serving as the President of Indo Japan Chamber of Commerce Kerala (INJACK). He has more than 35 years of work experience across the ship building and ship repair industry. As a recognition for his valuable contributions, he has been bestowed with several accolades; CUSAT Distinguished Alumni Award 2022, Samudra Manthan Prof K R Bhandarkar Award 2022, Rotary Icon 2023 Award, Pride of KMA Award, to name a few. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Bejoy Bhasker
Non – Executive Director

Shri Bejoy Bhasker is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. He is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL) from April 05, 2018. He holds a Degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a Degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras.

He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He was awarded the “Manager of the Year” award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 35 years of work experience across areas such as ship design, ship building, outfit and ship repair. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Jose V J
Non – Executive Director

Shri Jose V J is one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. He is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL) from August, 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law

College, Ernakulam. He has approximately 32 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (HCSL), the other wholly owned subsidiary of CSL.



Shri Sreejith K Narayanan
Non – Executive Director

Shri Sreejith K Narayanan was inducted to the Board of UCSL with effect from May 03, 2022. He is the Director (Operations) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of


Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He has more than 35 years of work experience in the area of ship building, ship design and ship repair.



Shri Neelakandhan A N
Non – Executive Director

Shri Neelakandhan A N was inducted to the Board of UCSL with effect from May 03, 2022. He is the Chief General Manager (Planning & Project Management) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a Degree of Bachelor of Technology in Naval Architecture and Ship Building and a Degree of Master in Business Administration, both from Cochin University of Science and Technology (CUSAT). He had completed a training course in Shipbuilding-Outfitting of Ishikawajima Harima Heavy Industries

Overseas Vocational Training Association organized by the Japan International Cooperation Agency under International Cooperation Programme of Government of Japan. He has more than 35 years of work experience wherein he was involved in ship repair, ship building, ship design, project management, material procurement, infrastructure development, utilities & maintenance and planning.



Shri Rajesh Gopalakrishnan
Non – Executive Director

Shri Rajesh Gopalakrishnan was inducted to the Board of UCSL with effect from May 03, 2022. He is the Chief General Manager (Ship Repair) of Cochin Shipyard Limited (CSL). He holds a Degree of Bachelor of Technology in Mechanical Engineering and a Degree of Master in Business Administration with specialisation in International Marketing. He has close to three decades

of experience in the field of ship building, ship repairs & conversion, covering the entire spectrum from business strategy, business build, estimation, contract management, procurement, planning, project management, invoicing, after sales & customer relations. He was also the first CEO of Hooghly Cochin Shipyard Limited, the other wholly owned subsidiary of CSL.

Leadership Team



Shri Harikumar A
Chief Executive Officer (CEO)

Shri Harikumar took charge as the Chief Executive Officer (CEO) of the Company on January 28, 2021. He is a graduate in Production Engineering and has over three decades of experience in ship building and ship repair operations and project management. He has worked with various leading shipyards, both in public sector as well as private sector and has made significant contributions. He is a fellow of Institution of Engineers (India) and Institute of Marine Engineers (India).



Shri Shankar Nataraj
Chief Financial Officer (CFO)

Shri Shankar Nataraj took charge as the Chief Financial Officer (CFO) of the Company on November 25, 2022. He is a member of the Institute of Chartered Accountants of India and also holds a Bachelor's Degree in Commerce from St. Xavier's College, Kolkata. He has approximately 32 years of work experience in the field of financial management, budgetary controls, costing, commercial and general management etc. spread across various private sector companies mainly in cement, pharmaceuticals and logistics sectors. He is also empanelled in the Independent Director's Databank of the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) under the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India.

Directors' Report

Dear Shareholders,

- Your Directors have immense pleasure in presenting the Thirty Eighth Annual Report of your Company together with the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2023 and the Report of the Statutory Auditors and the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) thereon.

Operations

- During the financial year 2022-23, the business activities of the Company took off and the Company bagged various key orders and also delivered various vessels to the satisfaction of the customers. During the year the Company bagged the following shipbuilding orders:
 - One Training Vessel for Directorate of Incubation and Vocational Training in Fisheries, Ramanathapuram, Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University;
 - One Purse Seiner Deep Sea Fishing Boat for GKS Marine Exports Private Limited, Trivandrum;
 - Two 70T Bollard Pull Tugs for Polestar Maritime Limited, Mumbai; and
 - Five Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boats under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)" for the beneficiaries from the state of Kerala.
- During the reporting period the Company delivered a total of seven Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project to Cochin Shipyard Limited (CSL) after successfully completing the fabrication, outfitting and machinery installation of the said vessels. The Company also delivered one Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat under "PMMSY" to the beneficiary from the state of Andhra Pradesh and one training vessel to Directorate of Incubation and Vocational Training in Fisheries, Ramanathapuram, Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University. Further, the Company also achieved significant milestones viz., steel cutting and keel laying of two 62T Bollard Pull Tugs contracted for Ocean Sparkle Limited, steel cutting of two 70T Bollard Pull Tugs contracted for Polestar Maritime Limited, successfully completing the dry-docking and repairs of SBM of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), afloat repairs of Tug 'Chandra Neptune' of Arc Offshore India Private Limited etc.
- The order book position of the Company as on March 31, 2023 is given below:

Order Description / Vessel Type	Nos.
Construction and delivery of 62T Bollard Pull Tug for Ocean Sparkle Limited	02
Purse Seiner Deep Sea Fishing Boat for GKS Marine Exports Private Limited	01
Construction and delivery of Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boats for the beneficiaries from Kerala under "PMMSY"	05
Construction and delivery of 70T Bollard Pull Tug for Polestar Maritime Limited	02
- Further, during the first quarter of FY 2023-24, the Company bagged an international order from M/s. Wilson Group, Norway, for design and construction of six New Generation Diesel Electric 3800 DWT General Cargo Vessels with an option for additional eight such vessels. Also, the Company received orders for 2 more Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boats under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)" for the beneficiaries from the state of Kerala and is firmly expecting further order for 3 more of such vessels. The Company is in the advanced stages of bagging orders for building a green-ready 5000 DWT Vessel, with a strong possibility of receiving orders for two other such vessels for a foreign client based in Europe.
- In April 2023, the Company signed the Protocol of Delivery for five Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boats under the "Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)" for the beneficiaries from the state of Kerala and the Vessels were flagged off in May 2023.

Financial Performance

- Riding on the strong shipbuilding orders, your Company reported a total income of ₹4780.96 lakhs for the year ended March 31, 2023 as against ₹1008.06 lakhs for the previous year. During FY 2022-23 the revenue from operations improved significantly to ₹3917.45 lakhs as against ₹641.98 lakhs for FY 2021-22. Due to the enhanced activities in FY 2022-23, the Company could narrow down its loss by 33% to ₹866.54 lakhs as against ₹1294.13 lakhs for FY 2021-22.

Financial Highlights

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
(i)	Total Income	4780.96	1008.06
(ii)	Profit/ (Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	29.63	(128.83)
(iii)	Finance cost	95.49	53.45
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	1083.02	1322.03
(v)	Profit/ (Loss) Before Tax	(1148.88)	(1504.31)
(vi)	Tax	(282.34)	(485.33)
(vii)	Exceptional Items	-	(275.15)
(viii)	Net Profit/ (Loss)	(866.54)	(1294.13)
(ix)	Net-worth	14065.61	12431.53

Share Capital

8. As on March 31, 2023, the Authorised Share Capital of the Company is ₹215,00,00,000 (Rupees Two Hundred and Fifteen Crore Only) divided into 9,00,00,000 (Nine Crore Only) Equity Shares of ₹10 each and 12,50,00,000 (Twelve Crore Fifty Lakh Only) Preference shares of ₹10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the Company is ₹90,00,00,000 (Rupees Ninety Crore Only) divided into 9,00,00,000 (Nine Crore Only) Equity Shares of ₹10 each. During the year the Company had issued 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakh Only) Equity Shares of face value of ₹10 each fully paid up to Cochin Shipyard Limited (CSL) on right basis for cash at an issue price of ₹10 (Rupees Ten Only) per Equity Share aggregating to ₹25,00,00,000 (Rupees Twenty Five Crore Only).

Debentures

9. The Company has 1,00,000 (One Lakh Only) Unsecured Redeemable Non Convertible Debentures (Debentures) of face value of ₹1,000 (Rupees One Thousand Only) each outstanding as on March 31, 2023. The Debentures were issued in the month of November 2021 with a tenure of 84 months at a coupon rate of 6.00% per annum to CSL for an amount of ₹10,00,00,000 (Rupees Ten Crore Only). The Debentures are due for redemption in November 2028.

Change of Name

10. The name of the Company has been changed from 'Tebma Shipyards Limited' to 'Udupi Cochin Shipyard Limited' with effect from April 22, 2022 for relating the Company more appropriately to the holding company Cochin Shipyard Limited (CSL).

Dividend


11. No dividend is recommended due to the non-availability of divisible profits.

Transfer to Reserves

12. As the Company has incurred a loss during the financial year 2022-23, the Company is unable to transfer any amount to the Reserves.

Manpower Status

13. As on March 31, 2023, the Company has 93 employees consisting of 39 executives, 14 supervisors and 40 workmen. The Company has also engaged 6 trainees under its apprenticeship programme. Apart from the above, employees of the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis.



Industrial Relations

14. The Company maintained cordial industrial relations during the year and no manhours were lost on account of labour unrest or strike.

Particulars of Employees and Related Disclosures

15. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

16. The Company believes in sustainable development and gives utmost priority to environment friendly and energy efficient measures in conducting the business. The Company also strives to adopt latest available technology in its business processes and operations, wherever found feasible. Particulars as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 relating to Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo are placed at Annexure I.

Risk Management

17. The Company has adopted a Comprehensive Risk Management Policy approved by the Board at its 14th Meeting (Post CIRP) held on July 13, 2022. The Policy aims

to put in place a comprehensive risk management system consisting of a defined process of risk management and methodology of identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks. The policy provides the management and Board of Directors an assurance that key risks are being properly identified and effectively managed.

18. As per the Policy, the Board at the helm will review the risk management system in the Company. The Board shall discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The Company has also constituted Risk Management Steering Committee and functional Risk Management Committees to implement the Policy. The Committees and the Board of Directors periodically review the risk management process and Policy. The Company has also appointed a Chief Risk Officer (CRO) who shall be the coordinator for risk management activity for the entire Company.

Health, Safety & Environment (HSE)

19. The Company gives utmost importance to the Health and Safety of the work force and the Environment in which the work is being done. The Company strives to set and maintain high standards for a positive health and safety culture across the organization. Towards this, the Company provides periodic HSE awareness programs for the work force and appropriate HSE training, wherever necessary. The Company has also appointed a Safety Officer for ensuring the safety of the work force. The HSE performance of the Company have been satisfactory during the reporting period.

Board of Directors & Key Managerial Personnel

20. As on March 31, 2023, the Company had 6 directors, all of whom are Non-Executive Directors and 3 Key Managerial Personnel viz., the CEO, CFO and the Company Secretary, the details of which are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director
3.	Shri Jose V J	08444440	Director
4.	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	Director
5.	Shri Neelakandhan A N	09578936	Director
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	09576336	Director
7.	Shri Harikumar A	N.A.	Chief Executive Officer
8.	Shri Shankar Nataraj	N.A.	Chief Financial Officer
9.	Shri Aswin Sarma M	N.A.	Company Secretary

21. During the financial year 2022-23, Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Shri Neelakandhan A N (DIN: 09578936) and Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336) were appointed on the Board of the Company as the nominees of CSL on May 03, 2022.
22. Shri Madhu Sankunni Nair (DIN: 07376798), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the 38th Annual General Meeting held on September 19, 2022.
23. During the financial year 2022-23, Shri Shankar Nataraj was appointed as the Chief Financial Officer (CFO) of the Company in place of Shri Shibu John with effect from November 25, 2022.
24. There were no other changes in the Directors and Key Managerial Personnel (KMP) during the financial year 2022-23.

Details of Board Meetings held during 2022-23

25. Six Board Meetings have been held during the financial year 2022-23 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The dates on which the Board Meetings were held and the attendance of Directors in the said meetings are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	May 03, 2022	3	3
2.	July 13, 2022	6	6
3.	August 04, 2022	6	6
4.	November 03, 2022	6	6
5.	November 24, 2022	6	6
6.	January 30, 2023	6	6

26. The attendance record of each director in the Board Meetings held during the financial year 2022-23 is given below:

Sl. No.	Name	DIN	No. of Board Meetings attended
1.	Shri Madhu Sankunni Nair	07376798	6/6
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	6/6
3.	Shri Jose V J	08444440	6/6
4.	Shri Sreejith K Narayanan*	09543968	5/5
5.	Shri Neelakandhan A N*	09578936	5/5
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan*	09576336	5/5

* Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Shri Neelakandhan A N (DIN: 09578936) and Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336) were appointed on the Board of the Company as the nominees of CSL on May 03, 2022.

Committees of the Board

27. The Company, being a wholly owned subsidiary, is exempt from constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company is also not required to constitute the other statutory committees viz., Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee in view of the fact the Company has not breached the threshold as prescribed under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, no statutory Committees of the Board have been constituted during the financial year 2022-23. However, a one-time Committee of the Board consisting of Chairman and Shri Jose V J, Director was constituted to allot the equity shares and issue certificates thereon pursuant

to the rights issue of ₹25 crores. The Committee met on February 07, 2023 and all the members were present at the meeting.

Evaluation of Board's Performance

28. The Company being a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE, is a Government Company as per the provisions of the Companies Act, 2013. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. GSR 463(E) dated June 05, 2015, Government Companies are exempted from the provisions of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 regarding statement on formal annual evaluation. Further, the said exemption

notification also exempts the Government Companies from the provisions of Sub-Sections (2), (3) & (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 regarding appointment, performance evaluation and remuneration of Directors.

Declaration by Independent Directors

29. The Company has no Independent Directors on the Board as of now. The Company being a wholly owned subsidiary, is not required to appoint Independent Directors pursuant to the provisions of Rule 4(2) of the Companies (Appointment and Qualifications of Directors) Rules, 2014.

Directors' Responsibility Statement

30. Your Directors state that:
- (a) in the preparation of the annual accounts for the financial year ended March 31, 2023, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
 - (b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year 2022-23 and of the loss of the Company for that period;
 - (c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
 - (d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
 - (e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Contracts and Arrangements with Related Parties

31. The particulars of contracts/ arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act, 2013 is placed at Annexure II in Form AOC-2 as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

Except as stated therein, no related party transactions have been entered into by the Company during the financial year 2022-23, which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Further, your Directors draw attention to Note 43 to the financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Governance

32. The report on Corporate Governance for the financial year 2022-23, prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE) is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Management Discussion and Analysis

33. The Management Discussion and Analysis Report for the year under review, as per the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the DPE is presented in a separate section forming part of the Annual Report.

Internal Financial Controls

34. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Secretarial Standards of ICSI

35. Pursuant to the approval from the Ministry of Corporate Affairs, the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) has on April 23, 2015, notified the Secretarial Standards on Meetings of the Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) effective July 01, 2015. The Company is complying with the same.

Statutory Auditors

36. M/s. Shabbir and Ganesh (Firm Registration No. 009033S), Chartered Accountants, Udipi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2022-23.

Statutory Auditors Report

37. M/s. Shabbir and Ganesh, Statutory Auditors have submitted their Report on the financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2023, on April 28, 2023, which was subsequently revised vide their Report dated July 13, 2023, pursuant to the observations of the C&AG and the said Report forms part of the Annual Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Supplementary Audit

38. The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) has entrusted the Supplementary Audit of the Company to the Principal Director of Commercial Audit, Indian Oil Bhavan, 139, Nungambakkam High Road, Chennai – 600 034.

Comments of C&AG

39. The Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Secretarial Auditors

40. M/s. SEP & Associates (ICSI Unique Code: P2019KE075600), Practicing Company Secretaries, Kochi were appointed as the Secretarial Auditors of the Company to conduct the Secretarial Audit under the Companies Act, 2013 for the financial year 2022-23.

Secretarial Auditors Report

41. M/s. SEP & Associates, Secretarial Auditors have submitted their Report on May 15, 2023, which is placed at Annexure III to this Report. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Internal Auditors

42. M/s. AMNS & Associates (Firm Registration No. 018825S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Internal Auditors of the Company to conduct the Internal Audit for the financial year 2022-23.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

43. The Company is complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/

Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time.

Vigilance

44. There were no vigilance cases pending/ disposed off during the financial year 2022-23.

Right to Information Act, 2005

45. During the year under review, no requests were received by the Company under the Right to Information (RTI) Act, 2005.

Vigil Mechanism

46. The Company is not falling under the provisions of Section 177(9) of the Companies Act, 2013 and the rules thereof, which mandates establishment of a Vigil Mechanism. However, the Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company is applicable on the Company and acts as the Vigil Mechanism of UCSL. The said policy is available at the Company's website at www.udupicsl.com.

Annual Return

47. A copy of the Annual Return of the Company as per Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available at the Company's website at www.udupicsl.com.

Maintenance of Cost Records

48. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period.

Corporate Social Responsibility (CSR)

49. The Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR. However, Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, has identified certain projects under its CSR initiatives to be carried out in and around the Company's facilities at Udupi and is expected to be executed soon.

Details of subsidiaries, joint ventures or associate companies

50. The Company does not have any subsidiaries, joint ventures or associate companies.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

51. Nil.

Material changes and commitments

52. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Particulars of loans, guarantees or investments

53. During the year under Report, the Company has not

- (a) given any loan to any person or other body corporate;
- (b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and
- (c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Details of change in nature of business

54. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under review.

Deposits

55. The Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Significant and Material orders

56. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

- 57. During the financial year 2022-23, no cases have been filed/ disposed off under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and Rules framed there under.
- 58. The Company has constituted an Internal Complaints Committee in accordance with the guidelines and norms prescribed by the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Acknowledgement

59. The Board places on record its deep appreciation for the co-operation and assistance extended by the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, Cochin Shipyard Limited (CSL) and all officers of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways and CSL. The Board would also like to express its heartfelt gratitude for the support received from various offices of the Government of India, Government of Karnataka, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Auditors, Legal Counsels, Consultants, Suppliers and Sub-contractors. The Board would also like to appreciate the hard work, dedication and commitment put in by all the employees, which is vital for the growth of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
July 27, 2023

Madhu Sankunny Nair
Chairman
DIN: 07376798

Annexure I

(A) Conservation of Energy

	Steps Taken
(i) Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2022-23.	In view of the fact that the Company had been focusing on reviving and operationalising the facilities, the Company has not made serious efforts in the areas of energy conservation. However, the Company would be taking all earnest efforts towards this once the operations are streamlined.
	Impact
(i) Steps taken for utilising alternate sources of energy.	Nil
(i) Capital investment on energy conservation equipments.	Nil

(B) Technology Absorption

(i) Efforts made towards technology absorption.	One of the major orders of the Company is the construction of Bollard Pull Tugs of various capacities and towards this the Company has procured Tug designs from Robert Allan Limited, Canada, the world's leading company for designing Tugs, Inland Vessels, Harbour Crafts and other Specialized Vessels. Further, the Company has opted for Made in India products, wherever possible, for the projects that are being undertaken at the Yard so as to reduce the import of stores/ spares/ equipments etc.
(ii) Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions.	The Tug designs procured from one of the world's top companies in business is expected to largely aid the Company in developing a specialized product of its own to cater to the international as well as domestic Tug vessel market. This will also lead to increase in exports and decrease in imports as the buyers will have the option to buy high quality Made in India Tugs which would otherwise be bought from foreign shipyards. Further, opting for Made in India products, wherever possible, for the projects that are being undertaken at the Yard reduced the import of stores/ spares/ equipments etc.
(iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)	
(a) The details of technology imported	Basic Design for 62T and 70T Bollard Pull Tugs.
(b) The year of import	2022-23
(c) Whether the technology been fully absorbed	The absorption of Basic Design for 60T Bollard Pull Tug has been completed and the absorption of Basic Design for 70T Bollard Pull Tug is ongoing.
(d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof	The absorption of Basic Design for 70T Bollard Pull Tug is in the final stages and is expected to be completed soon.
(iv) Expenditure incurred on Research and Development	Nil

(C) Foreign Exchange Earnings and Outgo

(₹ in Lakhs)

Particulars	2022-23	2021-22
Earnings in Foreign Exchange		
From Shipbuilding	-	-
From Ship repair	-	-
Total	-	-
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	1122.93	13.96
Design & Documentation	296.30	-
Service Charge & Others	7.48	1.38
Total	1426.71	15.34

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman

DIN: 07376798

Kochi
July 27, 2023

Annexure II

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Companies Act, 2013 and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Cochin Shipyard Limited (CSL) Holding Company
(b)	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Implementation of ERP system of CSL 'SAP S/4HANA' at UCSL with the entire SAP implementation cost and license charges for the financial year
(c)	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	2022-23 only, aggregating to ₹44.14 lakhs, borne by CSL on behalf of UCSL.
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	
(e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	The arrangement is for the initial year only in view of the fact that UCSL is in a nascent stage of its operations and the cash outgo would negatively impact the Company's financial position. At the same time the implementation of SAP ERP System would benefit the CSL group as a whole considering the features offered by the System. Further, UCSL being a wholly owned subsidiary of CSL, the financials are to be given to CSL for consolidation on a quarterly/ half yearly/ yearly basis; and a uniform system would facilitate easy and convenient consolidation.
(f)	Date(s) of approval by the Board	April 28, 2023
(g)	Amount paid as advances, if any	Nil
(h)	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188	Not Applicable

2. Details of material contracts or arrangements or transactions at arm's length basis

(a)	Name(s) of the related party and nature of relationship	Nil
(b)	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Nil
(c)	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Not Applicable
(d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Not Applicable
(e)	Date(s) of approval by the Board, if any	Not Applicable
(f)	Amount paid as advances, if any	Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors

Annexure III

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village
Pukathurai Post Madurantakam
Taluk Kancheepuram TN 603116

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Udupi Cochin Shipyard Limited (CIN: U27209TN1984GOI010994)** (hereinafter called the "Company"). Secretarial Audit was conducted for the financial year ended on 31st March 2023 in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31.03.2023, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have conducted online verification and examination of the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records facilitated by the Company.

The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;

- (i) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company:
 - a) The Factories Act, 1948;
 - b) The Environment (Protection) Act, 1986;
 - c) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

- d) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;
- e) Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008;
- f) The Electricity Act, 2003 and Central Electricity Regulations, 2010; and
- g) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards 1 and 2 issued by The Institute of Company Secretaries of India;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

We further report that:-

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors and Non-Executive Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

There were no dissenting views on any decisions of the Board, as recorded in the Minutes of Board meetings.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the period under review, the Company has issued 2,50,00,000 Equity Shares as Right Issue aggregating to a total amount of ₹25 crores.

We further report that during the audit period, except as mentioned above, there were no instances of:

- i. Issuance of securities including Public/ Right/ Preferential issue.
- ii. Redemption/ Buy-back of securities.
- iii. Foreign technical collaborations.
- iv. Merger/ amalgamation/ reconstruction etc.

This report is to be read with Annexure A of even date and the same forms an integral part of this report.

Further we report that the Company has changed its name Tebma Shipyards Limited to **Udupi Cochin Shipyard Limited** upon the Approval of the Central Government on 22.04.2022 after approval of the members of the Company on 18.04.2022.

For **SEP & Associates**

Company Secretaries

(The Peer Review Certificate no. 2763/2022)

CS Puzhankara Sivakumar

Managing Partner

FCS: F3050, COP No. 2210

UDIN: F003050E000307893

Date: 15.05.2023

Place: Kochi

Annexure A to the Secretarial Audit Report of Even Date

To
The Members
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377 Pazhamathur Village
Pukathurai Post Madurantakam
Taluk Kancheepuram TN 603116

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The compliance of the provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to **Udupi Cochin Shipyard Limited** (hereinafter called the "Company") is the responsibility of management of the Company. Our examination was limited to the verification of the records and procedures on test check basis for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
2. Maintenance of the Secretarial and other records of applicable laws is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to issue Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant record maintained and furnished to us by the Company, along with explanations where so required.
3. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial and other records, legal compliance mechanism and corporate conduct. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our Secretarial Audit Report.
4. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.
5. We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc., wherever required. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2023 but before issue of the Report.
7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal/professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For **SEP & Associates**
Company Secretaries
(The Peer Review Certificate no. 2763/2022)

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
FCS: F3050, COP No. 2210
UDIN: F003050E000307893

Date: 15.05.2023
Place: Kochi

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
July 27, 2023

Madhu Sankunni Nair
Chairman
DIN: 07376798

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) ("UCSL"/ "Company"), a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), endeavors to integrate the corporate governance value system in all its activities. The management strives to put in place good corporate governance practices and aims to promote transparency, fairness, accountability and stakeholder engagement while conducting business. This report on Corporate Governance has been prepared in compliance with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

Board of Directors

2. As per the approval of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Government of India, the Chairman and Managing Director (CMD) of CSL shall be the Chairman and the other directors on the Board will be nominated by the CMD, CSL from amongst the Whole-time Directors and officers of CSL not below the rank of General Manager, as Part Time Directors on ex-officio basis.
3. As on March 31, 2023, the Board of the Company consists of six non-executive directors. The Company has a non-executive Chairman. The composition of the Board as on March 31, 2023 is as follows:

Sl. No.	Name	DIN	Designation
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Non-Executive Chairman
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Non-Executive Director
3.	Shri Jose V J	08444440	Non-Executive Director
4.	Shri Sreejith K Narayanan	09543968	Non-Executive Director
5.	Shri Neelakandhan A N	09578936	Non-Executive Director
6.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	09576336	Non-Executive Director

4. During the financial year 2022-23, Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Shri Neelakandhan A N (DIN: 09578936) and Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336) were appointed on the Board of the Company as the nominees of CSL on May 03, 2022.
5. Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company in the 38th Annual General Meeting held on September 19, 2022.
6. There were no other changes in the Directors during the financial year 2022-23.
7. The profile of the Directors who are on the Board of the Company as on the date of this report including the nature of their expertise in specific functional areas is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by the Directors as on March 31, 2023, are provided under the heading 'Directorships and Committee positions' below.
8. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

Attendance of Directors at Board Meetings and last Annual General Meeting (AGM)

9. Six Board Meetings have been held during the financial year 2022-23 and the gap between two meetings did not exceed 120 days. The 38th AGM of the Company was held on September 19, 2022. The details of attendance of Directors at the said Board Meetings and AGM are given below:

Name of the Director	Board Meeting					AGM	
	2022					2023	Sep 19, 2022
	May 03	Jul 13	Aug 04	Nov 03	Nov 24	Jan 30	
Shri Madhu Sankunny Nair	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Bejoy Bhasker	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Jose V J	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Sreejith K Narayanan*	N.A.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Neelakandhan A N*	N.A.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri Rajesh Gopalakrishnan*	N.A.	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

* Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Shri Neelakandhan A N (DIN: 09578936) and Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336) were appointed on the Board of the Company as the nominees of CSL on May 03, 2022.

Directorships and Committee positions

10. The total number of Directorships/ Chairmanships held by Directors and the positions of Membership/ Chairmanship on Committees including Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited), as on March 31, 2023, are given below:

Name of the Director	No. of Directorship		Board Committees	
	Chairman	Member	Chairman	Member
Shri Madhu Sankunny Nair	3	3	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	3	-	1
Shri Jose V J	-	3	-	1
Shri Sreejith K Narayanan	-	3	-	-
Shri Neelakandhan A N	-	1	-	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan	-	1	-	-

- The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships and Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

Board Committees

11. The Company, being a wholly owned subsidiary, is exempt from constitution of Audit Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Company is also not required to constitute the other statutory committees viz., Corporate Social Responsibility (CSR) Committee and Stakeholders Relationship Committee in view of the fact the Company has not breached the threshold as prescribed under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. Accordingly, no statutory Committees of the Board have been constituted during the financial year 2022-23. However, a one-time Committee of the Board consisting of Chairman and Shri Jose V J, Director was constituted to allot the equity shares and issue certificates thereon pursuant to the rights issue of ₹25 crores. The Committee met on February 07, 2023 and all the members were present at the meeting.

General Body Meetings

12. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings (AGM) are given below:

Year	Date & Time	Venue	Special Resolution passed
2019-20*	December 17, 2020 at 10.50 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	No
2020-21	September 15, 2021 at 11.20 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	No
2021-22	September 19, 2022 at 10.30 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	No

* As no Annual General Meeting (AGM) of the Company for the financial year 2019-20 was convened by the erstwhile Management/ RP, the new Board of Directors convened the AGM for the said year on December 17, 2020 in order to regularize the pending Companies Act compliances of the Company prior to the takeover by CSL, to the extent possible.

13. Further, the Company has also conducted an Extra Ordinary General Meeting (EGM) during the financial year 2022-23, the details of which are given below:

Date & Time	Venue	Special Resolution passed
April 18, 2022 at 11.00 hrs.	CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015	Yes*

* Special Resolution for changing the name of the Company and consequential amendment in the Memorandum of Association, Articles of Association, Common Seal and other relevant documents/ papers of the Company, was passed in the said EGM.

14. The 39th AGM of the Company is scheduled to be held on September 19, 2023 at 11.15 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Code of Conduct

15. The Board has prescribed a Code of Conduct ('Code') for all the Board Members and Senior Management of the Company as required under the DPE Guidelines on Corporate Governance. All Board Members and Senior Management Personnel have confirmed compliance with the Code for the financial year ended March 31, 2023. A declaration signed by the Chief Executive Officer of the Company in this regard is given below:

Pursuant to the Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on Corporate Governance, it is hereby declared that all the Board Members and Senior Management Personnel of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) (formerly known as Tebma Shipyards Limited) have affirmed compliance with the Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management for the financial year ended March 31, 2023.

(Sd/-)

Harikumar A

Chief Executive Officer

Remuneration to Directors

16. The Directors of the Company are the Functional Directors/ Chief General Managers of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, who are appointed as Non-Executive Directors on ex-officio basis. Accordingly, no remuneration including performance linked incentives are payable to the Directors. Further, there have been no pecuniary relationship or transactions between the Directors and the Company during the reporting period.

Other Disclosures

(i) Related Party Transactions

17. During the year under review, the Company has not entered into any materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interests of the Company at large. However, the particulars of contracts/ arrangements with related parties referred to in Section 188(1) of the Companies Act, 2013 is placed at Annexure II to the Directors Report. Further, related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24 is set out at Note 43 to the financial statements of the Company.

(ii) Non-compliance by the Company

18. There were no cases of non-compliance by the Company and no penalties/ strictures were imposed on the Company by any statutory authority on any matter related to any guidelines issued by Government, during the period since the completion of the insolvency resolution process of the Company.

(iii) Whistle Blower Policy

19. The Company has an effective Whistle Blower Policy which provides the framework for Stakeholders to report to the management, instances of illegal or unethical practices, unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy adopted by Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, is applicable on the Company and acts as the Whistle Blower Policy/ Vigil Mechanism of Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited). The said Policy has been hosted on the website of the Company at www.udupicsl.com. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee of CSL.

(iv) Compliance with DPE Guidelines on Corporate Governance

20. The Company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India. A Certificate in this regard obtained from a Practising Company Secretary is placed at Annexure I.

(v) Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years.

21. The Company became a wholly owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (formerly known as Ministry of Shipping), Government of India in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. The Company has been complying with the Presidential Directives issued by Central Government with respect to the Public Sector Undertakings (PSU), wherever applicable.

(vi) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purposes of the business.

NIL

(vii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management.

NIL

(viii) The administrative and office expenses of the Company for the year 2022-23 were 14.11% (11.78% PY) of the total expenses. The financial expenses stood at 1.61% (2.12% PY) of the total expenses in the year 2022-23.

(ix) Means of communication of results

22. As the Company's shares are not listed in any of the stock exchanges, there is no statutory requirement for publishing the quarterly/ half yearly/ annual results. However, the consolidated financial results (quarterly/ half yearly/ annual) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company which takes into account the financial results of the Company as well is published as per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Annual Reports and the official news releases

of the Company are placed at the Company's website at www.udupicsl.com. Further, the Annual Reports of the Company are also hosted on the website of CSL viz., www.cochinshipyard.in.

(x) Audit Qualifications

23. The Report submitted by the Statutory Auditors, M/s. Shabbir and Ganesh, with respect to the financial statements of the Company for the financial year 2022-23 does not contain any qualifications/ adverse remark.

(xi) Training of Board Members

24. The Directors of the Company are the Functional Directors/ Chief General Managers of Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company and also have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and

administration. CSL imparts training to the Directors/ Chief General Managers, wherever considered necessary.

Address for Correspondence

Udupi Cochin Shipyard Limited
(formerly known as Tebma Shipyards Limited)
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116.
e-mail: secretary.tsl@cochinshipyard.in
Website: www.udupicsl.com

For and on behalf of the Board of Directors

Kochi
July 27, 2023

Madhu Sankunny Nair

Chairman
DIN: 07376798

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

(As stipulated in the guidelines on Corporate Governance for CPSES issued by the
Department of Public Enterprises, Government of India)

To the members of
Udupi Cochin Shipyard Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Udupi Cochin Shipyard Limited (the Company) for the financial year ended 31.03.2023, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the above-mentioned guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For **SEP & Associates**
Company Secretaries
(The Peer Review Certificate no. 2763/2022)

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
FCS: F3050, COP No. 2210
UDIN: F003050E000307244

Date: 15.05.2023
Place: Kochi

Management Discussion and Analysis Report

Forward looking statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward-looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward-looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. The management of Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) ("UCSL" or "the Company") has used estimates and judgments relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report. Unless otherwise specified or the context otherwise requires, all references herein to "we", "us", "our", "the Company", "UCSL", "Group" are with respect to Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited) and its holding company.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

3. In recent years, certainty has been in short supply in the global maritime industry. Shippers, producers, and carriers have all had to adapt to quickly shifting circumstances, ranging from the residual effects of COVID to geopolitical crisis. After the world economy took a knock as a result of the COVID pandemic, hopes were high that 2022 would mark a return to something resembling normalcy. This perspective was shattered early in the year when Russia and Ukraine became entangled in a massive conflict. Sanctions imposed on Russia, as well as challenges in trading with Ukraine, have changed some of the world's most important trade flows. One of the most significant effects on the global economy has been the massive rise in energy costs and the loss of a substantial proportion of European energy imports, which has impacted economies all over the world and reawakened the threat of severe inflation. The unexpected shocks to the global economy have disrupted global supply chains and lowered the productivity of the global shipping fleet. Some of the effects proved temporary, but changes to the energy system are likely to be long-lasting.
4. The shipbuilding industry has been consolidating capacity for more than a decade. A group of yards are beginning to show significantly better track records on attracting new orders. Around 80% of the vessels on order are built in a group of fewer yards having a combined share of global yard capacity of 63%. Strong contracting activity, distributed between relatively few shipyards, pushed newbuilding prices up sharply.
5. The drive towards a more sustainable future in shipping has been gaining momentum in recent years reflected not only in legislation but also in the carrier order books. The International Maritime Organisation (IMO) has introduced new regulations aimed at reducing the carbon intensity of all ships by 40% by 2030. This industry shift is also evident in order books for new vessels, with more sustainable dual-fuel ships accounting for an increasing proportion of new orders. The proportion of dual fuel ship orders is expected to continue to rise in 2023 and grow exponentially in the future as carriers look for more sustainable fuel sources.

Indian Shipbuilding Industry

6. India has one of the most extensive coastlines in the world of around 7500 Kms. with 12 Major ports and 200+ Non-major ports facilitating sea-borne trade. Coastal and overseas cargo movement is effected through ocean-going vessels. In addition, small ships/crafts also ply on inland waterways and canals. Considering the extensive coastline coupled with a vast network of navigable waterways, economic development, market demand and human resource potential, India is well poised to significantly contribute to the shipbuilding sector.
7. Recognising the tremendous potential of the shipping industry, the Government of India has identified shipbuilding as one of the top ten critical areas for establishing the country as a global maritime leader, and has implemented a plethora of initiatives to strengthen domestic shipbuilding viz.,
 - (a) Financial Assistance Policy on Shipbuilding (2016);
 - (b) Grant of Infrastructure Status (2016);
 - (c) Atmanirbhar Bharat Policy (Revised in 2020);
 - (d) SOP for chartering/ procurement of tugs (2020); and
 - (e) Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna (2020).
8. Future of ship building is expected to be driven by green technology, autonomous vessels, cost-efficient technologies etc. India has significant opportunity to build scale in short sea vessel segment. The Government of India has proposed 30% financial support for the promotion of green shipping and also announced its plan to procure Tugs under the Green Tug Transition Programme. Detailed guidelines in this regard is expected soon.
9. Further, in line with the Atmanirbhar Bharat Policy of the Government of India and with the objective to achieve strategic independence in shipbuilding and development of niche technology, the defence projects are also entrusted to the Indian yards which gives fillip to the domestic shipbuilding as well as associated industries, including MSMEs.
10. India has set ambitious targets to position itself as a global maritime leader and a slew of measures have been put in place by the Government of India towards achieving this. However, to reach this goal more accelerated and co-ordinated efforts from all levels are required and the Company is eager to capitalise on the opportunities available in the sector.

Ship Repair Industry

India & the Global Ship Repair Industry

11. The global ship repair market is approx. USD 12 billion. Shipyards in China, Singapore, Bahrain, Dubai and Middle East account for a major share of this market. These locations have achieved a dominant position despite higher cost of ship repair services compared to other Asian countries, largely due to the availability of a skilled workforce and the latest technology which allows these shipyards to attract demand from other low-cost locations like India, Malaysia and Indonesia. The global market for ship repair and maintenance service is expected to witness significant growth, reaching a market value of USD 40 billion by 2030 supported by developments in the markets in South East Asia and India.
12. Though India's share in global ship repair is less than 1%, the country's location is favourable with 7 to 9% of the global trade passing within 300 NM of the coastline. Additionally, India is poised well to offer repair services to Indian Navy and the allies US Navy's 5th and 7th fleet in Indian Ocean & Arabian Sea. Further, India has substantial fleet of ships both in the commercial as well as defence sector.
13. The untapped potential in the Indian ship repair market can be attributed to the presence of competing international ship repair yards on major trade routes and a capability gap of Indian yards in repairing certain kinds of vessels. Other reasons of cost disadvantages include high cost of financing, lack of supply of ship spares in India and technology related issues increasing ship repair execution cycle time.
14. India has set ambitious plans for transforming itself into a ship repair hub, which requires setting up of world class infrastructure facilities, upskilling the workforce, enhancing yard capacity, developing ancillary industries, low-cost financing etc. Keeping the above in mind, the Government of India has put in place a number of measures viz., channelising domestic demand for Indian ship repairing leveraging Atmanirbhar Bharat PPP provisions and RoFR rules efficiently, development of ship repair clusters & floating drydocks, easy norms of free trade depots, setting up of Centers of Excellence (CoE) for ship repair in India etc.
15. The parent company, Cochin Shipyard Limited (CSL), is one of the leading players in the Indian ship repair market and has established ship repair units across the west and east coast of India at Kochi, Mumbai, Kolkata and A&N Islands. UCSL is largely focussed on ship building, but during the year 2022-23, the Company has also successfully undertaken repairs to a few vessels, demonstrating its capability in the segment. Given the enormous potential in the ship repair

market, the Company is willing to accept orders in this area and is confident that it can successfully complete ship repair projects with the guidance and support of Cochin Shipyard Limited (CSL), the industry leader in ship repair.

Operations

16. During the financial year 2022-23, the business activities of the Company took off and the Company bagged various key orders and also delivered various vessels to the satisfaction of the customers. During the year the Company bagged the following shipbuilding orders:

- One Training Vessel for Directorate of Incubation and Vocational Training in Fisheries, Ramanathapuram, Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University;
- One Purse Seiner Deep Sea Fishing Boat for GKS Marine Exports Private Limited, Trivandrum;
- Two 70T Bollard Pull Tugs for Polestar Maritime Limited, Mumbai; and

- Five Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boats under the “Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)” for the beneficiaries from the state of Kerala.

17. During the reporting period the Company delivered a total of seven Hybrid Electric Aluminium Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project to Cochin Shipyard Limited (CSL) after successfully completing the fabrication, outfitting and machinery installation of the said vessels. The Company also delivered one Tuna Longliner Cum Gillnetter Fishing Boat under “PMMSY” to the beneficiary from the state of Andhra Pradesh and one training vessel to Directorate of Incubation and Vocational Training in Fisheries, Ramanathapuram, Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa Fisheries University. Further, the Company also achieved significant milestones viz., steel cutting and keel laying of two 62T Bollard Pull Tugs contracted for Ocean Sparkle Limited, steel cutting of two 70T Bollard Pull Tugs contracted for Polestar Maritime Limited, successfully completing the dry-docking and repairs of SBM of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), afloat repairs of Tug ‘Chandra Neptune’ of Arc Offshore India Private Limited etc.

18. Riding on the strong shipbuilding orders, your Company reported a total income of ₹4780.96 lakhs for the year ended March 31, 2023 as against ₹1008.06 lakhs for the previous year. During FY 2022-23 the revenue from operations improved significantly to ₹3917.45 lakhs as against ₹641.98 lakhs for FY 2021-22. Due to the enhanced activities in FY 2022-23, the Company could narrow down its loss by 33% to ₹866.54 lakhs as against ₹1294.13 for FY 2021-22. The financial highlights for the reporting period are given below:

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
(i)	Total Income	4780.96	1008.06
(ii)	Profit/ (Loss) Before Finance cost, Depreciation & Tax	29.63	(128.83)
(iii)	Finance cost	95.49	53.45
(iv)	Depreciation & Amortisation expenses	1083.02	1322.03
(v)	Profit/ (Loss) Before Tax	(1148.88)	(1504.31)
(vi)	Tax	(282.34)	(485.33)
(vii)	Exceptional Items	-	(275.15)
(viii)	Net Profit/ (Loss)	(866.54)	(1294.13)
(ix)	Net-worth	14065.61	12431.53

Proposed Dividend

19. No dividend is recommended due to the non-availability of divisible profits.

Segment wise/ product wise performance

20. The Company is primarily engaged in shipbuilding and also undertakes repairs of ships and other floating structures. The segment wise performance of the Company is given below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Segment Assets		
Shipbuilding	11726.98	7742.24
Ship Repair	17.37	-
Others	10312.70	9382.06
Total	22057.05	17124.30
Segment Liabilities		
Shipbuilding	1029.01	741.68
Ship Repair	4.44	-
Others	6957.99	3951.09
Total	7991.44	4692.77
Segment Revenue		
Shipbuilding	3308.80	641.98
Ship Repair	608.65	-
Unallocated	863.51	366.08
Total	4780.96	1008.06
Segment Result		
Shipbuilding	(970.44)	27.40
Ship Repair	270.65	-
Unallocated	(449.09)	(1531.71)
Total	(1148.88)	(1504.31)

SWOT

21. The Company has high end infrastructure & facilities that has built a wide range of small and medium sized vessels from Tugs to large MPSVs and GTRVs for domestic and international clients. Further, the highly committed and dedicated work force capable of executing the assigned tasks as planned is one of the major strengths of the Company. UCSL being a wholly owned subsidiary of CSL, one of the premier shipyards in India, the expertise and experience of CSL in building and repairing various kinds of vessels will add on to the capabilities of the Company significantly. The Company considers the stagnant growth of indigenous ancillary industries and consequent non-availability of major equipment/ raw materials as a major weakness in achieving the Company's objectives as planned.
22. Government's emphasis on developing shipbuilding industry and the emerging segments viz., technologically advanced fishing vessels, Tugs, Port crafts, small dredgers, cargo vessels, compact specialised crafts, green vessels, etc., is expected to provide abundant opportunity and the Company looks forward to tap such opportunities, wherever found feasible.

23. The major threats foreseen by the Company in achieving its objectives are rapidly changing technology, rising cost of labour, stringent government regulations on procurement, distress pricing policies of competitors etc.

Risks and concerns

24. The risks for the Company stem from the inherent cyclical nature of the shipbuilding industry, which is also sensitive to the cyclical nature of the industries it serves such as the oil, natural gas, shipping, transportation and other trade-related industries. Building an orderbook is critical for the Company's growth and survival in an order-driven business like shipbuilding, where each vessel is custom-built. The availability of orders, its prompt bagging and timely execution is one of the major challenges in the shipbuilding industry. The Company relies on its suppliers for the timely delivery of raw materials such as steel, as well as other equipment and components such as pumps, propellers, engines etc. Shortages/ delay in the supply of raw materials may adversely affect the Company's business, financial condition and results of operations. The Company is also exposed to various operational risks viz., the breakdown, failure or sub-standard performance of

machinery, which may or may not result in fire/ explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, UCSL do not have insurance for business interruption. Any material operational disruptions may adversely affect the Company's ability to meet construction schedules and cause delays in the delivery of vessels to customers.

25. The facilities of the Company at Malpe Harbour Complex and Hangarkatta is set up in the land leased by the Government and in December 2022 the lease has been extended till March 03, 2050.

Internal Control

26. The Company has adopted robust policies and procedures to ensure the orderly and efficient conduct of the Company's business by safeguarding its assets, preventing and detecting errors and frauds, ensuring the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation and submission of reliable financial disclosures.

Human Resource Development and Industrial Relations

27. As on March 31, 2023, the Company has 93 employees consisting of 39 executives, 14 supervisors and 40 workmen. The Company has also engaged 6 trainees under its apprenticeship programme. Apart from the above, employees of the holding company, Cochin Shipyard Limited (CSL), are also engaged on secondment basis. Further, the Company provides training to its work force in various fields as per the job requirements. During the reporting period the Company maintained cordial industrial relations.

Environmental Protection and Conservation, Technological conservation, Renewable energy developments, Foreign Exchange conservation

28. The Company believes in sustainable development and gives utmost priority to environment friendly and energy efficient measures in conducting the business. The Company also strives to adopt latest available technology in its business processes and operations, wherever found feasible. In view of the fact that the Company had been focusing on reviving and operationalising the facilities, the Company has not made serious efforts in the areas of energy conservation/ technology absorption. Nevertheless, the Company would be taking all earnest efforts towards this once the operations are streamlined. It is also worth mentioning that, while considering the proposals for reviving and operationalising the facilities, the Company has given preference, wherever possible, to environment

protection and conservation, adopting new technologies and energy efficient measures.

29. Further, one of the major orders of the Company is the construction of Bollard Pull Tugs of various capacities and towards this the Company has procured Tug designs from Robert Allan Limited, Canada, the world's leading company for designing Tugs, Inland Vessels, Harbour Crafts and other Specialized Vessels. The Tug designs procured from one of the world's top companies in business is expected to largely aid the Company in developing a specialized product of its own to cater to the international as well as domestic Tug vessel market. This will also lead to increase in exports and decrease in imports as the buyers will have the option to buy high quality Made in India Tugs which would otherwise be bought from foreign shipyards. Further, the Company has opted for Made in India products, wherever possible, for the projects that are being undertaken at the Yard so as to reduce the import of stores/ spares/ equipments etc. These actions will help to conserve the country's forex reserves.
30. During the reporting period, the Company has incurred an amount of ₹1426.71 lakhs towards expenses in foreign currency. Further, no income in foreign currency have been earned during the reporting period.

Corporate Social Responsibility

31. The Company does not fall within the purview of Section 135 of the Companies Act, 2013 which relates to CSR. However, Cochin Shipyard Limited (CSL), the holding company, has identified certain projects under its CSR initiatives to be carried out in and around the Company's facilities at Udupi and is expected to be executed soon.

Cautionary statement

32. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair

Chairman

DIN: 07376798

Kochi

July 27, 2023

Independent Auditors' Report

To
The members of **UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED**
(Formerly TEBMA SHIPYARDS LIMITED)

Revised Report on the Audit of Ind AS Financial Statements

Consequent upon Audit & observations of the Comptroller and Auditor General of India, the revised Audit report is placed below. It supersedes our earlier report dated April 28, 2023. The following changes effected in our report:

- a) Para 3. of the Emphasis of Matter has been deleted.
- b) Clause (vii)(b) of Annexure A (Referred to in Paragraph 1 of "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of Independent Auditor's Report) has been replaced to include information on statutory dues that have not been deposited on account of any dispute.

This revised Audit Report has no impact on the reported figures in the Ind AS financial statements of the Company. This audit report supersedes the original audit report dated April 28, 2023. Our audit procedure subsequent to the date of original report is restricted solely to the amendments made in the Emphasis of Matter and in Clause (vii)(b) of Annexure A (Referred to in Paragraph 1 of "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of Independent Auditor's Report).

AUDITOR'S OPINION

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Udupi Cochin Shipyards Limited ("the Company"), which comprises the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and Notes to the Ind AS Financial Statements, including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "financial statements")

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("The Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended ("Ind AS"), and other accounting principles generally accepted in India, of the

state of affairs of the Company as at 31st March 2023 and its loss (including Other Comprehensive Loss), changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matter

We draw attention to the following matters in the notes to the Ind AS financial statements

1. Note 4 - The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) which has not been recognized in accounts due to pending verification & valuation of the same.
2. Note 15 and Note 25 – Amount receivable and payable to Committee of Creditors for which Balance confirmation is not available.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key audit matter	How our audit addressed the key audit matter
<p>As described in Note No. 3.14(a) of the financial statements, the Company recognises revenue from contracts with customers when it satisfies its performance obligations.</p> <p>There are significant accounting judgements in estimating revenue to be recognised on contracts with customers, including estimation of transaction price and financial assistance allocation to the completed performance obligations and determining the timing of revenue recognition.</p> <p>The Company recognises revenue based on transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable including financial assistance to be received. Revenue is recognised on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation (i.e., resources consumed, labour hours expended, costs incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that performance obligation.</p>	<p>Our key audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assessing the Company's process to identify the impact of revenue accounting standard. • Testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evaluating the design of internal controls relating to implementation of the revenue accounting standard. ➤ Selecting a sample of continuing contracts, and testing the operating effectiveness of the internal control, relating to identification of the distinct performance obligations and determination of transaction price and carrying out a combination of procedures involving enquiry and observation and inspection of evidence in respect of operation of these controls. ➤ Testing the relevant information technology systems' access and change management controls relating to contracts and related information used in recording and disclosing revenue in accordance with the revenue accounting standard. ➤ Selecting a sample of continuing and contracts and performing the following procedures: <ul style="list-style-type: none"> • Reading, analysing and identifying the distinct performance obligations in these contracts. • Comparing these performance obligations with that identified and recorded by the Company. • Considering the terms of the contracts to determine the transaction price including any variable consideration to verify the transaction price used to compute revenue and to test the basis of estimation of the variable consideration.
<p>Refer to the accounting policies in "Note 3.18 to the Financial Statements: Significant Accounting Policies –Taxes on Income" and "Note 9 to the Financial Statements: Deferred Tax Assets(net)"</p> <p>Significant estimate and judgement involved in the recognition of deferred tax assets require a determination of future taxable income based on the Company's expectations. The assessment of realizability of deferred tax assets is based on a reasonable and supportable evidences and certainty test, depending on the composition of the deferred tax assets.</p>	<p>Our key audit procedures included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assessing the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal financial controls over the recognition of deferred tax assets. • Obtaining details of different components of deferred tax assets and details of estimates of taxable incomes for future periods as approved by the Board of Directors. • Obtaining confirmation where the future forecasts were approved in the meetings of the Board of Directors. • Evaluating the management assessment relating to the amendment in Income Tax Act and its consequential impact on items that qualify for recognition of deferred tax assets.

Key audit matter	How our audit addressed the key audit matter
<p>Given the Company's recent financial performance, we identified recognition of deferred tax assets as a key audit matter because of the significant management judgement and assumptions involved in estimating the future taxable income based on the income forecasts approved by the Company's Board of Directors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluating the management assessment for estimating availability of future taxable profits for determination of recognition of deferred tax assets. • Assessing the period over which the deferred tax assets would be recovered against future taxable income. • Evaluating the Company's actual performance vis-à-vis the budgets for the current and past years and discussed with management their basis and assumptions in respect of evidence to support that there will be sufficient taxable income to absorb the deferred tax asset.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual report, but does not include the Ind AS financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we are not expressing any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors responsible for the matters stated in Section 134(5) the Act with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, profit or loss (financial performance including other comprehensive income), changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Act read with relevant rules issued there under.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act

for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters relating to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal financial control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Ind AS financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we have given in the Annexure A, a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. Based on the verification of Records of the Company and based on the information and explanations given to us, we give in Annexure B a report on the Directions and Sub-Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sec 143(5) of the Companies Act, 2013.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flows dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d. In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act.
 - e. In view of the exemption given vide notification no. G.S.R 463(E) dated June 5, 2015, issued by Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors, are not applicable to the Company.
 - f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and

the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting.

- g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of Section 197(16) of the Act, we offer no comments as the Company is exempted from the provisions of Section 197 vide notification no. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015.
- h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 (as amended), in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Notes 42.B to the Financial Statements.
 - ii. The Company has long-term contracts as at March 31, 2023 for which there were no material foreseeable losses. The Company does not have long term derivative contracts as at March 31, 2023.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note 49 (l) to the accounts, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - (b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the Note 49 (l) to the accounts, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;
 - c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) of Companies (Audit and Auditors) Rules 2014, as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.
 - v. The company has not declared any dividend during the year.
 - vi. Proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 for maintaining books of account using accounting software which has a feature of recording audit trail (edit log) facility is applicable to the Company with effect from April 1, 2023, and accordingly, reporting under Rule 11(g) of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 is not applicable for the financial year ended March 31, 2023.

For SHABBIR AND GANESH.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No. 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Place:- Udupi

Date:- 13/07/2023

Annexure A to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date on the IND AS financial statements of Udupi Cochin Shipyard Ltd (Formerly Tebma Shipyards Limited) for the year ended 31 March, 2023.

We are issuing this revised Annexure A to the Independent Auditors' Report by replacing Clause (vii) (b) herein. This report supersedes our earlier report dated April 28, 2023.

To the best of our information and according to the explanations provided to us by the Company and the books of account and records examined by us in the normal course of audit, we state that:

- i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:
 - (a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and relevant details of right-of-use assets except the value of Land at Kulpi (Kolkata-230 cents) which has not been recognized in accounts due to pending verification & valuation of the same.
 - (B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.
 - (b) The physical verification of all the Property, Plant and Equipment was conducted by the management during the year, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business and no material discrepancies were noticed on such verification.
 - (c) Based on our examination of the property tax receipts and lease agreement for land on which building is constructed, registered sale deed / transfer deed / conveyance deed provided to us, we report that, the title in respect of self-constructed buildings and title deeds of all other immovable properties (other than properties where the company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee), disclosed in the financial statements included under Property, Plant and Equipment are held in the name of the Company as at the balance sheet date, except that the title deeds of Freehold Land stand in the name of erstwhile Tebma Shipyards Limited and Tebma Engineering Private Limited.
 - (d) The Company has not revalued any of its Property, Plant and Equipment (including right-of-use assets) and intangible assets during the year.
 - (e) No proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2023 for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.
- ii. (a) The inventory has been physically verified by the management during the year in accordance with the inventory verification procedure adopted by the Management which in our opinion is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business and no discrepancies of 10% or more in the aggregate for each class of inventory were noticed on such verification.
- (b) The Company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. In our opinion, the quarterly returns or statements filed by the Company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of account of the Company.
- iii. The Company has not made investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties during the year. Accordingly, the provisions of clause (iii) (a), (b), (c), (d), (e) and (f) of the Order are not applicable to the Company.
- iv. The Company has not advanced any loan, given any guarantee or provided any security to the parties covered under Section 185. The Company has not given any loan or made any investment covered under Section 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly, reporting under clause 3 (iv) of the Order does not arise.
- v. The Company has not accepted any deposits from the public in accordance with the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under. Accordingly, the provision of Clause 3(v) of the Order is not applicable to the Company.
- vi. The maintenance of cost records as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period. Hence the question of our reporting under this clause does not arise.

vii. (a) The company has been regular in depositing undisputed statutory dues including Goods and Services Tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities.

There were no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Custom, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and other material statutory dues in arrears as at March 31, 2023 for a period of more than six months from the date they became payable.

(b) Details of statutory dues referred to in sub-clause (a) above which have not been deposited as on March 31, 2023 on account of disputes are given below:

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the Statutory Dues	Amount of dispute (In Lakhs)	Period to which the amount related	Forum where dispute is pending
1	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Penalty, Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	89.25	2006-2007	Honourable High Court of Madras
2	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Penalty, Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	106.12	2007-2008	Honourable High Court of Madras
3	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Penalty, Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	219.01	2006-2007	Honourable High Court of Madras
4	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	278.23	2006-2007	Honourable High Court of Madras
5	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	45.42	2006-2007	Honourable High Court of Madras
6	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	151.18	2006-2007	Honourable High Court of Madras
7	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	8.90	2006-2007	Honourable High Court of Madras
8	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	210.28	2006-2007	Honourable High Court of Madras
9	Foreign Trade (Development & regulation) Act, 1992	Amount of Customs duty on which exemption availed, Interest	314.07	2006-2007	Honourable High Court of Madras
10	Kerala Tax on Entry of Goods into Local Areas act	Entry tax	0.45	2006-07	Supreme Court
11	Karnataka tax on Entry of Goods Act, 1979	Entry tax	48.48	2012-13	Karnataka Appellate Tribunal
12	Karnataka tax on Entry of Goods Act, 1979	Entry tax	4.92	2010-11	Karnataka Appellate Tribunal
13	Karnataka tax on Entry of Goods Act, 1979	Entry tax	23.05	2009-10	Karnataka Appellate Tribunal

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of the Statutory Dues	Amount of dispute (In Lakhs)	Period to which the amount related	Forum where dispute is pending
14	Central excise Act	Central excise	72.57	2008-09	CESTAT , Bangalore
15	Finance Act 1994	Service Tax	99.54	2008-09	CESTAT , Bangalore
16	Central excise Act	Central excise tax matters under dispute	454.00	2009-10	CESTAT , Bangalore
17	West Bengal VAT ACT	VAT	72.72	2008-09	Commissioner of Commercial Tax West Bengal
18	Finance Act 1994	Service Tax	94.10	2008-09	CESTAT , Bangalore
19	Finance Act 1994	Service Tax	441.72	2008-09	CESTAT , Bangalore
20	Karnataka VAT	Karnataka VAT	11.91	Sep 2017- Dec 2017	Assistant Commissioner of Commercial taxes, LGSTO-280

Sl.No- 1 to 9 - Amount of Dispute includes interest computed from 01/04/2016 to 31/03/2023.

Note : With respect to amounts mentioned in Sl.No. 10 to 19, details are not available with the company. All these cases mentioned in the above table, pertains to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.

viii. There were no transactions relating to previously unrecorded income that have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

ix. (a) The Company has not defaulted on any loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender.

(b) The Company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority.

(c) The Company has not borrowed any term loans during the year and the outstanding term loans at the

beginning of the year were applied for the purpose for which the loans were obtained.

(d) On an overall examination of the financial statements of the Company, funds raised on short-term basis have, prima facie, not been used during the year for long-term purposes by the Company.

(e) On an overall examination of the financial statements of the Company, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.

(f) The Company has not raised any loans during the year and hence reporting on clause 3(ix)(f) of the Order is not applicable.

x. (a) The Company has not raised moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year and hence reporting under clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

(b) During the year, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partly or optionally) and hence reporting under clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

xi. (a) No fraud by the Company and no fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in Form ADT-4 as

prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government, during the year and up to the date of this report.

- (c) As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the Company during the year.
- xii. The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.
- xiii. In our opinion, the Company is in compliance with Section 177 and 188 of the Companies Act, 2013 with respect to applicable transactions with the related parties and the details of related party transactions have been disclosed in the financial statements as required by the applicable accounting standards.
- xiv. (a) In our opinion the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.
- (b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- xv. In our opinion during the year the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with its directors. and hence provisions of section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company.
- xvi. (a) In our opinion, the Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause 3(xvi) (a), (b) and (c) of the Order is not applicable.
- (b) In our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- xvii. The Company has incurred cash losses of ₹66.24 lakhs during the financial year covered by our audit and ₹163.39 lakhs during the immediately preceding financial year.
- xviii. There has been no resignation of the statutory auditors of the Company during the year.
- xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the Board of Directors and Management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. Further, the Company does not have any borrowings whose repayment fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xx. The provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 is not applicable for the reporting period. Hence the question of our reporting under this clause does not arise.
- xxi. As there are no subsidiary companies and the Audit Report is solely based on the standalone financial statement of the company, the question of our reporting under para 3 (xxi) clause does not arise.

For SHABBIR AND GANESH.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No. 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Place:- Udupi

Date:- 13/07/2023

Annexure B to the Independent Auditors' Report

Annexure referred to in paragraph 2 under the heading "Report on Other Legal and Regulatory Requirements of our Independent Auditors report of even date on the IND AS financial statements of Udupi Cochin Shipyard Ltd (Formerly Tebma Shipyards Limited) for the year ended 31 March, 2023

Directions under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 for the year ended 31 March, 2023

We give below our report on the matters referred therein:

A. General Directions

- a) **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.** In our opinion, the company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Based on the information and explanations given to us, and based on procedures performed by us, we are of the opinion that the company has an adequate internal control system to prevent and detect processing of accounting transactions outside the IT system. As per information provided to us, there has been no such instance reported during the year.
- b) **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts / loans / interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).**

The Company was subject to Corporate Insolvency Resolution Process under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Resolution Plan was

approved by NCLT-Division Bench-I, Chennai on March 04, 2020 as per which out of the total admitted debt of the lender banks aggregating to ₹602.39 Crores, 9.74% pay amounting to ₹58.65 Crores was approved and paid to lenders during September 2020. The financial effect for write back of liabilities was given in FY 2019-20. As per the Resolution plan the financial creditors are also eligible for the proceeds of Excluded Ships and Excluded Financial Assets. Apart from this, there has not been any restructuring of any existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company during the year.

- c) **Whether funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from central/ state Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

In our opinion, and based on the information and explanations given to us, the funds (grants/subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per their terms and conditions.

B. Sub Directions

No Sub Directions were issued for the period under audit.

For SHABBIR AND GANESH.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner

Membership No. 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Place:- Udupi

Date:- 13/07/2023

Annexure C to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to in our Independent Auditors' Report to the members of Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Limited) on the audit of Ind AS financial statements for the year ended 31st March 2023

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting under clause (i) of sub-section 3 of section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Udupi Cochin Shipyard Limited ("the Company") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (The "Guidance Note"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements

and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of Management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper Management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting with reference to these Ind AS

financial statements and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For SHABBIR AND GANESH.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 009033S

CA GANESH YERMAL

Partner
Membership No. 207231
UDIN: 23207231BGRDCC3845

Place:- Udupi
Date:- 13/07/2023

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 13.07.2023 which supersedes their earlier Audit Report dated 28.04.2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision made in the financial statements by management, as indicated in Note No. 42.B of the financial statements, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under Section 143(6)(b) of the Act.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

(S. Velliangiri)

Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai

Date: 27 July 2023

Balance Sheet

as at March 31, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	8,464.05	8,700.50
(b) Capital work-in-progress	5	1,280.39	470.45
(c) Other Intangible assets	6	7.82	14.35
(d) Financial assets			
Other Financial assets	7	16.27	8.89
(e) Income tax assets (net)	8	61.26	30.40
(f) Deferred tax assets (net)	9	4,757.57	4,474.85
Total Non-Current assets		14,587.36	13,699.44
Current assets			
(a) Inventories	10	2,095.86	992.21
(b) Financial Assets			
(i) Trade receivables	11	331.57	97.51
(ii) Cash and cash equivalents	12	932.85	1,580.51
(iii) Bank balances other than (ii) above	13	1,388.48	100.88
(iv) Other Financial assets	14	20.79	4.53
(c) Other current assets	15	2,700.14	635.63
Total Current assets		7,469.69	3,411.27
Assets held for Sale	16	-	13.59
Total Assets		22,057.05	17,124.30
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share capital	17	9,000.00	6,500.00
(b) Other equity	18	5,065.61	5,931.53
Total Equity		14,065.61	12,431.53
Liabilities :			
Non-current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings	19	1,500.00	1,500.00
(ia) Lease liabilities	20	584.13	61.90
(b) Provisions	21	23.97	8.03
Total Non-Current Liabilities		2,108.10	1,569.93
Current liabilities			
(a) Financial liabilities			
(i) Borrowings			
(ia) Lease liabilities	22	56.57	14.96
(ib) From Banks	23	705.00	-
(ii) Trade payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	24	725.19	373.22
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		307.45	64.19
(iii) Other financial liabilities	25	1,776.46	1,449.64
(b) Other current liabilities	26	1,493.23	209.76
(c) Provisions	27	819.44	1,011.07
Total Current Liabilities		5,883.34	3,122.84
Total Equity and Liabilities		22,057.05	17,124.30

Corporate overview and Significant Accounting Policies

1-3

Notes to the Financial Statements

4-52

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary

M. No. A41969

Udupi. Date: July 13, 2023

SHANKAR NATARAJ

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director

DIN-08444440

MADHU S NAIR

Chairman

DIN-07376798

For M/s. Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 009033S

CA. GANESH Y

Partner

Membership No.: 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Udupi. Date: July 13, 2023

Statement of Profit and Loss

For the Year ended March 31, 2023

(₹ in Lakhs)

Sl No	Particulars	Note No.	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
	Income			
I	Revenue from Operations	28	3917.45	641.98
II	Other Income	29	863.51	366.08
III	Total Income (I+II)		4780.96	1008.06
	Expenses			
	Cost of materials consumed	30	1739.01	389.73
	Changes in Inventories of Work-in-Progress	31	(143.74)	(352.31)
	Sub contract and other direct expenses	32	1639.78	332.83
	Employee Benefits Expense	33	679.48	451.72
	Finance costs	34	95.49	53.45
	Depreciation and Amortisation Expense	35	1083.02	1322.03
	Other expenses	36	836.80	296.03
	Provision for anticipated losses and expenditure	37	-	18.89
	Total expenses (IV)		5929.84	2512.37
V	Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV)		(1148.88)	(1504.31)
VI	Exceptional Items	38	-	275.15
VII	Profit/(Loss) before Tax (V-VI)		(1148.88)	(1779.46)
VIII	Tax expense			
	(1) Current tax	8	0.38	-
	(2) Deferred tax		(282.72)	(485.33)
IX	Profit/(Loss) for the period/year(VII-VIII)		(866.54)	(1294.13)
X	Other comprehensive income			
	A) Items that will not be reclassified to profit or loss		-	-
	B) Items that will be reclassified to profit or loss		0.62	-
	Other comprehensive income for the year		0.62	-
XI	Total Comprehensive Income for the year (IX+X)		(865.92)	(1294.13)
XII	Paid up equity share capital (Face value - ₹10 each)		9000.00	6500.00
	Earnings per equity share of ₹10 each	39		
	(1) Basic (₹)		(1.26)	(1.99)
	(2) Diluted (₹)		(1.26)	(1.99)
			Annualised	Annualised

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1-3

Notes to the Financial Statements 4-52

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary

M. No. A41969

Udupi. Date: July 13, 2023

SHANKAR NATARAJ

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director

DIN-08444440

MADHU S NAIR

Chairman

DIN-07376798

For M/s. Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 009033S

CA. GANESH Y

Partner

Membership No.: 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Udupi. Date: July 13, 2023

Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2023

A. Share Capital

(₹ in Lakhs)

As at April 01, 2022	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2023
6,500.00	2,500.00	9,000.00

(₹ in Lakhs)

As at April 01, 2021	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2022
6,500.00	-	6,500.00

B. Other Equity

(₹ in Lakhs)

	Reserves and Surplus		Total
	General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2022	7,361.70	(1,430.17)	5,931.53
Profit for the year	-	(866.54)	(866.54)
Other comprehensive income for the year	-	0.62	0.62
Balance as at March 31, 2023	7,361.70	(2,296.09)	5,065.61

(₹ in Lakhs)

	Reserves and Surplus		Total
	General Reserve	Retained Earnings	
Balance as at April 01, 2021	7,289.25	(136.04)	7,153.21
Add : Hangarkatta land accounted at fair value	72.45	-	72.45
Profit for the year	-	(1,294.13)	(1,294.13)
Balance as at March 31, 2022	7,361.70	(1,430.17)	5,931.53

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1-3

Notes to the Financial Statements 4-52

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary

M. No. A41969

Udupi. Date: July 13, 2023

SHANKAR NATARAJ

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director

DIN-08444440

MADHU S NAIR

Chairman

DIN-07376798

For M/s. Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 009033S

CA. GANESH Y

Partner

Membership No.: 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Udupi. Date: July 13, 2023

Statement of Cash Flow

for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
A. Cash flows from operating activities		
Profit/(Loss) before tax	(1,148.88)	(1,779.46)
Adjustments:		
Depreciation and amortisation expenses	1,083.02	1,322.03
Loss on sale / Write off of property plant & equipment	4.23	454.51
Finance costs	92.32	46.93
Interest income from Bank deposits	(68.53)	(75.68)
Loss on Lease Modification	28.29	-
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	1.49	(0.36)
Operating cash flow before working capital changes	(8.06)	(32.03)
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(1,103.65)	(804.01)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(2,336.81)	(660.01)
Increase / (decrease) in trade and other payables	2,735.45	450.67
	(713.07)	(1,045.38)
Income taxes paid (Net of Refunds)	(0.38)	-
Net cash flows from operating activities (A)	(713.45)	(1,045.38)
B. Cash flows from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment	(102.28)	(466.67)
(Increase) / decrease in capital work In progress	(786.36)	(365.55)
Sale of "Asset held for sale"	9.36	-
(Increase) / decrease in Term deposits	(1,287.60)	(100.07)
Interest received on Fixed deposits	52.27	71.82
Net cash flows from investing activities (B)	(2,114.61)	(860.47)
C. Cash flows from financing activities		
Repayment of borrowings	-	-
Net gain /loss on foreign currency transactions	(1.49)	0.36
Borrowing of Debt	-	1,000.00
Proceeds for Rights issue	2,500.00	-
Finance costs	(115.91)	(27.50)
Repayment of lease liability	(202.20)	(13.49)
Net cash flows from financing activities (C)	2,180.40	959.37

Statement of Cash Flow

for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	(647.66)	(946.48)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1,580.51	2,526.99
Cash and cash equivalents at the end of the year	932.85	1,580.51
Components of cash and cash equivalents (refer note 12)		
Cash on hand	-	-
Balances with banks		
- in current accounts	932.85	1,580.51
Total cash and cash equivalents	932.85	1,580.51

Corporate overview and Significant Accounting Policies 1-3

Notes to the Financial Statements 4-52

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary

M. No. A41969

Udupi. Date: July 13, 2023

SHANKAR NATARAJ

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director

DIN-08444440

MADHU S NAIR

Chairman

DIN-07376798

For M/s. Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants

Firm Regn. No.: 009033S

CA. GANESH Y

Partner

Membership No.: 207231

UDIN: 23207231BGRDCC3845

Udupi. Date: July 13, 2023

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

1. CORPORATE OVERVIEW AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1.1. Corporate information

Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), a company engaged in manufacturing and repair of commercial ships for domestic and international clients and warships for Indian Navy, was founded on July 09, 1984. UCSL was incorporated as 'Tebma Engineering Private Limited', became public as 'Tebma Engineering Limited' and subsequently the name was changed to 'Tebma Shipyards Limited'. In September 2020, the Company was taken over by Cochin Shipyard Limited (CSL), a CPSE under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Government of India, through the statutory insolvency resolution process. Consequently, on April 22, 2022, the name of the Company was changed to 'Udupi Cochin Shipyard Limited'.

The Registered Office of the Company is situated at S.No.377, Pazhamathur Village, Pukathurai Post, Madurantakam Taluk, Kancheepuram – 603 116. UCSL has two yards; One in Malpe – Karnataka and the other one in Chengalpet – Tamil Nadu. It has a major fabrication unit in Hangarkatta (about 20 km from the Malpe yard). The Company has been known for its quality standards and commitment levels in the shipbuilding industry.

The Companies Accounts that are approved by the Board at its meeting held on 28-04-2023 have been revised in the light of observations made by the Comptroller and Auditor General of India. The financial statements are approved for issue by the Company's Board of Directors on 13-07-2023.

2. Basis of preparation and presentation of Financial Statements

2.1 Functional & Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Company's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.2 Statement of Ind AS compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards

(referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

2.3. Basis of Measurement

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments, PPE and RoU Assets which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

- i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company's normal operating cycle;
- ii. the asset is intended for sale or consumption;
- iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

- iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;
- v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;
- vi. in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

- (i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of delivery of the vessel.
- (ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.4 Use of estimates and judgements

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period or in the period of the revision and the future periods if the revision affects both current and future periods.

2.5 Critical Accounting estimates and judgements:

The application of significant accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and

subjective judgements and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

Useful lives of property, plant and equipment

The Company reviews the estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment at the end of each reporting period. Assumptions are also made as to whether an item meets the description of asset so as to warrant its capitalisation and which component of the asset may be capitalised. Reassessment of life may result in change in depreciation expense in future periods.

Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgements are involved in determining the elements of deferred tax items.

Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Company uses significant judgements in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialised nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

Recognition and measurement of provisions

The recognition and measurement of provisions are based on the assessment of the probability of an outflow of resources and on past experience and circumstance known at the balance sheet date. The actual outflow of resources at a future date may therefore vary from the figure included in provisions.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall in the provision made earlier, additional provisions are made.

Contingencies and commitments

A contingent liability is a possible obligation that arises from past events whose existence will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that is not recognised because it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or it cannot be measured with sufficient reliability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

Recoverability of advances / receivables

The Company makes provisions for expected credit loss based on an assessment of the recoverability of trade and other receivables. The identification of doubtful debts requires use of judgement and estimates. Where the expectation is different from the original estimate, such difference will impact the carrying value of the trade and other receivables and expenses on account of provision for doubtful debts in the period in which such estimate has been changed. At each balance sheet date, based on historical default rates observed over expected life, the management assesses the expected credit loss on outstanding receivables and advances.

Fair value measurements

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated

fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

Provision for inventories

Management reviews the inventory ageing on a periodic basis. This review involves comparison of the carrying value of the aged inventory items with the respective net realisable value. The purpose is to ascertain whether a provision is required to be made in the financial statements for any obsolete and slow-moving items and that adequate provision for obsolete and slow-moving inventories has been made in the financial statements.

Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Revenue Recognition

The Company exercises significant judgement in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers. Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date. Claims for liquidated damages against the Company are recognized based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

3 Significant Accounting Policies

3.1 Property, Plant and Equipment (PPE)

Property, Plant and Equipments are stated at cost less accumulated depreciation (other than free hold land which are stated at cost) and impairment losses, if any. PPE are initially recognised at cost. The initial cost of PPE comprises its purchase price, and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management including non refundable duties and taxes net of any trade discounts and rebates. The cost of PPE also includes interest on borrowings (borrowing cost directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets) upto initial recognition.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items are material and can be measured reliably. The carrying amount of any component accounted for as a separate asset is derecognised when replaced. All other repairs and maintenance are charged to Statement of profit and loss during the reporting period in which they are incurred.

3.2 Capital work in progress and intangible assets under development:

Capital work in progress and intangible assets under development are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which are not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortised on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalised as intangible asset and amortised on a straight-line basis over a period of three years.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

3.4 Leases

As a Lessee:

The Company's leased asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings. The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether: (i) the contract involves the use of an identified asset (ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and (iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognises a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognises the lease payments as an operating expense on a straightline basis or another systematic basis over the term of the lease. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Right of Use Assets

The right-of-use assets are initially recognised at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. The remeasurement normally also adjusts the leased assets.

Lease liability and RoU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the ROU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and ROU assets is also suitably adjusted.

As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease. All other leases are classified as operating leases.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease. The difference between the amount recognised as lease rental income and actual cashflows payable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

- Right Of Use assets/Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its useful life of

the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

- Depreciation on each item of an standalone asset costing less than ₹5000 is depreciated at 100% in the year of capitalization

Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and upto the date of such deletions. Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all category of assets. Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Management believes that useful life of assets are same as those prescribed in Schedule II to the Act, except for certain types of buildings and equipments wherein based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act. Useful life considered for calculation of depreciation for various assets class are as follows:

Asset Class	Useful Life
Buildings	3-60 years
Plant and equipment	5-15 years
Furniture and fixtures	8-10 years
Office equipment	3-10 years
Electrical Installation/ Fittings	10 years
Vehicles	8-10 years
Data Processing Equipments	3-6 years

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain/loss arising on derecognition of the asset is included in the Statement of profit and loss when the asset is derecognised. Fully depreciated assets still in use are retained in financial Statements at residual value.

Capital Work in Progress are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

3.6 Impairment of Assets

The Company assesses the impairment of assets with reference to each cash generating unit, at each Balance Sheet date. If events or changes in circumstances based on internal and external factors indicate that the carrying value may not be recoverable in full, the loss on account and the recoverable amount, is accounted for accordingly. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use.

3.7 Non-current assets held for sale

Company classifies a non-current asset as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through a sale transaction. This condition is regarded as met only when the asset is available for immediate sale in its present condition and its sale is highly probable. Non-current assets including discontinued operations, classified as held for sale are measured at the lower of the carrying amounts and fair value less costs to disposal and presented separately in the financial statements. Once classified as held for sale, the assets are not subject to depreciation or amortisation. Any profit or loss arising from the sale or re-measurement of discontinued operations is presented as part of a single line item in statement of profit and loss

3.8 Inventories

- (a) Raw materials, components, stores and spares, loose tools are valued at weighted average cost method or net realisable value whichever is lower. However materials and other supplies held for use in the production /services are not written down below cost if the finished products/supply of services in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. Provision for obsolescence / non- usability / deterioration is determined on the basis of technical assessment made by the management. Goods in transit are valued at lower of cost and net realisable value.
- (b) Stock of scrap is valued at net realizable value after adjusting customs duty, if any, payable on the scrap.
- (c) Work In Progress (WIP) and Finished goods, have been valued at lower of cost and net realisable value. Cost of Inventories comprises of all costs of purchase, cost of conversion, a proportion of manufacturing overheads

based on the normal operating capacity and other costs incurred in bringing them to their respective present location and condition. Cost of steel plates, profiles, equipments and other raw materials and stores and spares at Weighted Average Method. Cost of Work-inProgress and Finished Goods is determined on Absorption Costing Method.

3.9 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognised when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognised at the proceeds received net of direct issue cost.

Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

- Financial assets at amortised cost;
- Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);
- Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Financial assets at amortised cost

Financial assets are subsequently measured at amortised cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortised cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due. The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Company of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognises lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognised at the reporting date is recognised as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

Financial Liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortised cost, as appropriate. All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortised cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss

The Company's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

- Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);
- Financial liabilities at amortised cost;
- Financial Guarantee Contracts;

Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Financial Liabilities at amortised cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortised cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortised cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognised when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability or a part of financial liability is de-recognised from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

3.10 Cash and cash equivalents

The Company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible into known

amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and having original maturities of three months or less from the date of purchase, to be cash equivalents. Cash and cash equivalents consist of balances with banks which are unrestricted for withdrawal and usage.

3.11 Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

3.12 Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.13 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets

Provisions

A provision is recognised if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation. Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Provision towards guarantee claims in respect of ships/ small crafts delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

covering the guarantee period on case to case basis, wherever required.

Contingent Liabilities and Contingent assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on our financial position or profitability. The Company does not recognise a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.14 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from Ship Building / Ship repair contracts with customers is measured based on the transaction price, which is fair value of the consideration received or receivable and this includes financial assistance to be received. Revenue is recognised on the basis of the entity's efforts or inputs to the satisfaction of a performance obligation (i.e. resources consumed, labour hours expended, costs incurred, time elapsed or machine hours used) relative to the total expected inputs to the satisfaction of that performance obligation.

Other Operating Revenue is recognized at the point of time when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer.

In circumstances, where the Company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation,

the Company recognises revenue only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation. Where current estimates of total contract costs and revenue indicate a loss, provision is made for the entire loss, irrespective of the amount of work done.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same.

b) Other Income

i) Government Grants

Government grants are recognised when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognised in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognises as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognised as deferred income, and amortised over the expected useful life of the asset. Other grants are recognised in the statement of Profit & Loss

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognised in statement of profit & loss in the period in which they become receivable. Ship Building Financial Assistance is accounted as revenue from operations in the manner specified in para (a)

ii) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis

iii) Accounting for insurance claims

(a) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement intimated by the insurance Company.

(b) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on

settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

(iv) Interest Income

In case of fixed deposits, interest is accounted when it accrues to the Company by applying interest rate as applicable to each fixed deposit.

(v) **Scrap income** with respect to Ship building and Ship Repair are treated as Operating income and other than that is considered as Other income.

(vi) **Charter hire charges** income is accounted on time period basis

(vii) **Other items** are recognized on accrual basis.

3.15 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Provident fund: Contributions to provident fund (a defined contribution plan) are made to the Regional Provident Fund Commissioner and are charged to the profit and loss account. The Company has no further obligations for future provident fund benefits other than its monthly contributions.

Post-employment benefit plans

Defined benefit plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.16 Borrowing cost

General and specific borrowing costs directly attributable to acquisition/ construction or production of qualifying assets (net of income earned on temporary deployment of funds) are capitalized as part of cost of such assets upto the date when such assets are ready for the intended use. A qualifying asset is one that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use. Capitalization of borrowing costs is suspended when active development activity on the qualifying assets is interrupted other than on temporary basis and charged to the Statement of Profit

and Loss during such extended periods. All other borrowing costs are charged to the Statement of Profit and Loss in the period in which they are incurred. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs

3.17 Prior period adjustment

Prior period adjustments due to errors, having material impact on the financial affairs of the Company, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for prior periods presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest period presented, by restating the opening statement of financial position.

3.18 Taxes on Income

Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year. Current and deferred taxes are recognised in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognised in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable on the taxable income for the year as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. Current tax assets and current tax liabilities are off set when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

Deferred tax

Deferred income tax is recognised using the Balance Sheet approach. Deferred income tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred income tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled. Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.19 Earnings Per Share

Basic earnings per share is computed by dividing profit or loss attributable to equity shareholders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The Company did not have any potentially dilutive securities in any of the years presented.

3.20 Segment Reporting

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Ship repair .

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities.

3.21 Statement of cash flows

Statement of Cash Flows are reported prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and, any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

3.22 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the financial statements and also as per Guidance note on Ind AS III.

3.23 Foreign currency transactions

Transactions & Balances:

Foreign exchange transactions are recorded in functional currency adopting the exchange rate prevailing on the dates of respective transactions. Monetary items denominated in foreign currencies (such as cash, receivables, payables etc.) at the end of reporting period are re-measured at the exchange rate prevailing on that date. Non-monetary items denominated in foreign currency, (such as PPE, intangible assets, equity investments, capital/ revenue advances other than expected to be settled in cash etc.) are recorded at the

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

exchange rate prevailing on the date of the transaction. Any gains or losses in income or expense on account of exchange differences either at the time of translation or settlement are recognised in the statement of Profit and Loss.

3.24 Excluded Financial Asset

Pursuant to resolution plan and NCLT Order dated 4th March 2020, the following assets/matters of Erstwhile Tebma shipyards mentioned below are identified as excluded financial asset based on information provided by the COC or Resolution Professional

- 1) VAT refund;
- 2) Insurance claim for damages to Tug lodged with an insurance company;
- 3) Insurance claim for theft and burglary with an insurance company;
- 4) Trade receivables from Indian Navy; and
- 5) 50% (fifty percent) of the amount of subsidy claim (ie., Shipbuilding Finance Assistance/subsidy) from Government of India.

These items will be accounted on realization basis.

3.25 Recent pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to

time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023, as below.

Ind AS 1 - Presentation of Financial Statements - This amendment requires the entities to disclose their material accounting policies rather than their significant accounting policies. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The company has evaluated the amendment and the impact of this amendment is insignificant in the financial statements.

Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors:- This amendment has introduced a definition of 'accounting estimates' and included amendments to Ind AS 8 to help entities distinguish changes in accounting policies from change in accounting estimates. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The company has evaluated the amendment and there is no impact on its financial statements.

Ind AS 12 - Income Taxes :- This amendment has narrowed the scope of the initial recognition of exemptions so that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting temporary differences. The effective date for adoption of this amendment in annual periods beginning on or after April 1, 2023. The company has evaluated the amendment and there is no impact on its financial statements.

Notes to Financial Statements

For the year ended March 31, 2023

Note 4 : Property, Plant and Equipment

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount	
	As at April 01, 2022	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2023	As at April 01, 2022	For the year (withdrawal)	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Tangible assets								
Land - freehold	2,680.32	-	-	2,680.32	-	-	2,680.32	2,680.32
Building	2,153.99	15.33	-	2,169.32	370.82	88.77	1,709.73	1,783.17
Plant and machinery	4,175.38	54.36	-	4,229.74	1,320.81	487.72	2,421.21	2,854.57
Office equipments	24.41	10.97	-	35.38	4.83	4.93	25.62	19.58
Furniture and fittings	18.02	8.92	-	26.94	8.16	0.88	17.90	9.86
Computers	44.37	11.96	-	56.33	7.89	13.27	35.17	36.48
Electrical Installation	27.57	-	-	27.57	0.15	2.60	24.82	27.42
Electrical Fittings	19.58	0.43	-	20.01	1.82	1.88	16.31	17.76
Vehicles	7.33	-	-	7.33	2.08	1.37	3.88	5.25
Sub Total	9,150.97	101.97	-	9,252.94	1,716.56	601.42	6,934.96	7,434.41
Assets held on Leased Premises								
Building	1,809.64	-	-	1,809.64	1,024.69	281.54	503.41	784.95
Slipway	1,117.99	-	-	1,117.99	681.05	169.69	267.25	436.94
Right of Use Assets (IND AS 116)	95.90	766.04	95.90	766.04	51.70	25.95	758.43	44.20
Sub Total	3,023.53	766.04	95.90	3,693.67	1,757.44	477.18	1,529.09	1,266.09
Total	12,174.50	868.01	95.90	12,946.61	3,474.00	1,078.60	8,464.05	8,700.50

Particulars	Gross carrying amount			Depreciation			Net Carrying amount	
	As at April 01, 2021	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2022	As at April 01, 2021	For the year (withdrawal)	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Tangible assets								
Land - freehold	2,607.87	72.45	72.45	2,680.32	-	-	2,680.32	2,607.87
Building	2,062.96	99.13	99.13	2,153.99	188.30	190.53	1,783.17	1,874.66
Plant and machinery	4,679.23	266.54	266.54	4,175.38	1,089.78	566.45	2,854.57	3,589.45

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 4 : Property, Plant and Equipment (Contd..)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation			Net Carrying amount		
	As at April 01, 2021	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2022	As at April 01, 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	
Office equipments	40.82	3.01	3.01	24.41	8.21	6.85	10.23	4.83	19.58	32.61
Furniture and fittings	27.93	-	-	18.02	10.37	4.98	7.19	8.16	9.86	17.56
Computers	18.06	43.57	43.57	44.37	10.80	8.09	11.00	7.89	36.48	7.26
Electrical Installation	-	27.57	27.57	27.57	-	0.15	-	0.15	27.42	-
Electrical Fittings	14.21	5.37	5.37	19.58	0.08	1.74	-	1.82	17.76	14.13
Vehicles	7.33	-	-	7.33	0.69	1.39	-	2.08	5.25	6.64
Sub Total	9,458.41	517.64	517.64	9,150.97	1,308.23	780.18	371.85	1,716.56	7,434.41	8,150.18
Assets held on										
Leased Premises										
Building	1,830.40	-	-	1,809.64	749.03	281.53	5.87	1,024.69	784.95	1,081.37
Slipway	1,108.00	9.99	9.99	1,117.99	453.40	227.65	-	681.05	436.94	654.60
Right of Use Assets (IND AS 116)	95.90	-	-	95.90	25.85	25.85	-	51.70	44.20	70.05
Sub Total	3,034.30	9.99	9.99	3,023.53	1,228.28	535.03	5.87	1,757.44	1,266.09	1,806.02
Total	12,492.71	527.63	527.63	12,174.50	2,536.51	1,315.21	377.72	3,474.00	8,700.50	9,956.20

UCSL and Karnataka Maritime Board have signed the Lease Agreement for the Leasehold land at Malpe & Hangarkatta on 23.12.2022, for a period of 30 years w.e.f 04.3.2020, i.e; the date of NCLT order approving the take over of M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile M/s TEBMA Shipyards Ltd) by M/s Cochin Shipyard Ltd. Modification to lease agreement has necessitated the reassessment of ROU assets and lease liabilities as per IND AS 116 and also the extension of useful life of assets located on lease hold land. Towards this, company made a total payment of ₹325.50 lakhs to Karnataka Maritime board (KMB) during FY 2022-23 which consists of payment towards security deposit, lease dues, penalty and interests to the KMB against the dues. Resulting changes has been incorporated in FY 2022-23 figures

78.05 cents of land at Hangarkatta had been valued at ₹72.45 lakhs and same been recognized in General reserve in FY 21-22. The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have not been recognized in accounts due to pending verification of geographical area & valuation of the same

Land belonging to the company continue to be in the name of erstwhile "Tebma Shipyards Ltd" and/or "Tebma Engineering Pvt Ltd" in the land records. Company has already initiated action to change the title deed in the name of "Udupi Cochin Shipyard Limited"

Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

The Company had elected to consider the fair value of the assets as on the transition date as the deemed cost of assets at the time of transition.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 5 : Capital work -in -progress

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Plant and machinery, Buildings and Civil works	989.74	470.45
Capital yard items	290.65	-
Total	1,280.39	470.45

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	809.94	456.32	14.13	-	1,280.39
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

None of the projects under work in progress are overdue in respect of budgeted time and cost and hence overdue CWIP schedule not applicable.

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	456.32	14.13	-	-	470.45
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Note 6 : Other Intangible assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation				Net Carrying amount		
	As at April 01, 2022	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2023	As at April 01, 2022	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2023	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Software	11.49	0.31	-	11.80	1.29	2.69	-	3.98	7.82	10.20
Right to Use - land	16.68	-	16.68	-	12.53	1.73	14.26	-	-	4.15
Total	28.17	0.31	16.68	11.80	13.82	4.42	14.26	3.98	7.82	14.35

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 6 : Other Intangible assets (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross carrying amount			Amortisation			Net Carrying amount			
	As at April 01, 2021	Additions/ (Deletions)	Disposal/ adjustments during the year	As at March 31, 2022	As at April 01, 2021	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at March 31, 2022	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
Software	-	11.49	-	11.49	-	1.29	-	1.29	10.20	-
Right to Use - land	16.68	-	-	16.68	7.72	4.81	-	12.53	4.15	8.96
Total	16.68	11.49	-	28.17	7.72	6.10	-	13.82	14.35	8.96

The Right to use of land shown under Intangible Assets represents the upfront fee paid to Port Officer Kundapura towards using Malpe leasehold land, which is amortised over the lease period.

Note 7 : Other Financial Asset - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Unsecured, considered good:		
Security deposits	16.27	8.89
Total	16.27	8.89

Note 8 : Income tax assets / liability (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Non current tax assets		
Income Tax Assets	61.26	30.40
Total	61.26	30.40

The company is not accounting the TDS amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lein mark before NCLT order.

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Current tax:		
Current income tax charge	-	-
Adjustment in respect of prior years	0.38	-
Total (A)	0.38	-
Deferred tax:		
In respect of current year	(282.72)	(485.33)
Total (B)	(282.72)	(485.33)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	(282.34)	(485.33)

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 9 : Deferred tax assets (net)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Deferred tax liabilities	376.73	489.22
Deferred tax assets	(5,134.30)	(4,964.07)
Total	(4,757.57)	(4,474.85)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2022-23

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Closing Balance
Provisions	(264.97)	51.47	(213.50)
Property, plant and equipment	489.22	(143.10)	346.12
Carry forward losses	(4,690.60)	(230.20)	(4,920.80)
Others	(8.50)	39.11	30.61
Total	(4,474.85)	(282.72)	(4,757.57)

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Opening Balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Closing Balance
Provisions	(314.80)	49.83	(264.97)
Property, plant and equipment	814.56	(325.34)	489.22
Carry forward losses	(4,492.42)	(198.18)	(4,690.60)
Others	3.14	(11.64)	(8.50)
Total	(3,989.52)	(485.33)	(4,474.85)

As at March 31, 2023, the company has assessed recognition of deferred tax assets by assessing availability of sufficient future taxable profits, based on financial projections & order book position, which have been approved by the Management, to absorb the deferred tax asset.

Note 10 : Inventories

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Raw Materials	1,618.70	3,286.63
Work in Progress	496.05	352.31
Less: Provision for inventory	(18.89)	(2,646.73)
Total	2,095.86	992.21

Entire stock of inventories are hypothecated towards availing cash credit facility from the bank.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 11 : Trade Receivables-Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Trade Receivables considered good - Unsecured	331.57	97.51
Total	331.57	97.51

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle. Since the Trade receivables are due for less than one year, no expected credit loss allowance is made under Ind AS 109.

Full provision is made for all trade receivables considered doubtful of recovery when the debt is more than three years or if it is probable / certain that the debt is not recoverable. Where debts are disputed in legal proceedings, provision is made if any decision is given against the company even if the same is taken up on appeal to higher authorities/courts.

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2023

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	331.53	0.04	-	-	-	331.57
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total						331.57

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2022

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
	Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	97.51	-	-	-	-	97.51
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-
Total						97.51

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 12 : Cash and Cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Cash on hand	-	-
Balance with Banks		
In current account	27.90	27.90
Fixed deposits		
Term deposits with original maturity of less than three months	904.95	904.95
Total	932.85	932.85

Pursuant to resolution plan submitted by the M/s Cochin Shipyard Limited for takeover of Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile Tebma shipyards), the bid amounts have been paid to the banks under the approved resolution plan and all security charges, encumbrances, created or suffered to exist in relation to credit facilities extended to erstwhile M/s Tebma Shipyards Limited, stands released, discharged in terms of the resolution plan. Consequently the Bank guarantees stands discharged and margin money shall be released to M/s Udupi Cochin Shipyard Limited. However, the margin monies (aggregating approx. ₹351.12 lakhs) have not yet been actually released by the banks to the Company as they hold the same as lien for the Bank Guarantees issued by them earlier which has been disputed by the UCSSL. Therefore, on a prudent basis, the company will recognize the Fixed deposits, Interest income and TDS portion of interest income only in the period in which the banks actually release the margin money deposits.

Note 13 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Lien Marked Term deposits with original maturity of more than three months*	511.84	-
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	-	100.00
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	876.64	0.88
Total	1,388.48	100.88

*Out of ₹511.84 lakhs disclosed as Deposits with banks with maturity more than three months, ₹500 lakhs represents lien marked deposits in favour of Union Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company. Balance ₹11.84 lakhs represents lien marked deposit in favour of Executive Engineer(M) Maritime Board, Gujarat towards submission of quotation for fabrication of patrolling boats

Previous year deposits with banks with maturity less than three months, ₹100 lakhs represents lien marked deposits in favour of State Bank of India for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company

Term Deposit with original maturity more than 3 months and less than 12 months includes term deposit of ₹0.89 lakhs with ICICI Bank for which deposit receipt is not available as it was placed by erstwhile M/s Tebma Shipyards Ltd.

Note 14 : Other Financial Assets - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Interest accrued on fixed deposits	20.79	4.53
Total	20.79	4.53

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 15 : Other Current Assets

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31, 2023	March 31, 2022
Advance paid to suppliers and others	1,322.09	2.08
Contract Assets	196.69	260.85
Miscellaneous deposits	0.03	-
Prepaid expenditure	65.04	3.46
Other Receivables	31.95	54.32
Input Tax Credit on GST	1,084.34	314.92
Total	2,700.14	635.63

Other receivables represents the amount to be recovered from Committee of Creditors (CoC) for the costs incurred for maintenance of excluded ships. Said sum consisted of funds utilized from the CIRP account kept by the resolution professional as well as funds used from the company's account. Amounts spent from the CIRP account of ₹22.37 lakhs were transferred to Provisions for Expenses/Contingencies during the year. The company raised has debit note for recovery of balance amount to CoC but has not yet received the payment. No Balance confirmation is available from Committee of Creditors.

Note 16 : Assets held for Sale

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	
	March 31, 2023	March 31, 2022
Asset held for Sale	-	13.59
Total	-	13.59

On physical verification of the assets of the company undertaken by management during Q4 2021-22, it was found that various assets of the company aggregating to ₹468.10 lakhs were in a dilapidated condition or has become obsolete due to shutdown of the operations of the yard and passage of time. As these assets are beyond economic repairs and occupying considerable space, it was proposed to dispose off these assets at the earliest, which was considered appropriate for optimum utilization of the available Yard space to ensure smooth business operations. These class of assets subject to disposal has been regrouped as Assets held for sale and has been retained in books at its net realizable value less cost to disposal. The difference between the WDV and the NRV of the assets has been charged to P&L as exceptional items. During the FY 22-23, these assets held for sale has been disposed for the sale consideration of ₹9.36 lakhs and loss on sale of assets amounting to ₹4.23 lakhs recognised in the profit and loss account

Note 17 : Equity Share Capital

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹10/- each	9,00,00,000	9,000.00	9,00,00,000	9,000.00
Preference shares of ₹10/- each	12,50,00,000	12,500.00	12,50,00,000	12,500.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹10 each fully paid up	9,00,00,000	9,000.00	6,50,00,000	6,500.00
Total	9,00,00,000	9,000.00	6,50,00,000	6,500.00

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 17 : Equity Share Capital (Contd..)

17.1 Reconciliation of number of shares and amounts

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	6,50,00,000	6,500.00	6,50,00,000	6,500.00
Add : Shares issued during the year (Right issue of shares)	2,50,00,000	2,500.00	-	-
Less : Shares cancelled during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	9,00,00,000	9,000.00	6,50,00,000	6,500.00

Shares issued to M/s Cochin Shipyard Limited by way of Rights issue

17.2 Details of shares held by Holding company

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	100%
Total	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	100%

17.3 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
Cochin Shipyard Limited	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	100%

17.4 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of shares held at the end of the year	% of total shares	No. of shares held at the beginning of the Year	Change during the year	% Change during the year
Cochin Shipyard Limited	9,00,00,000	100%	6,50,00,000	2,50,00,000	38.46%

Note 18 : Other Equity

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
General Reserve	7,361.70	7,361.70
Retained Earnings	(2,296.09)	(1,430.17)
Total	5,065.61	5,931.53

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc.

Retained earnings represent the amount of accumulated earnings of the Company

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 19 : Borrowings - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Unsecured		
Redeemable Non Convertible debentures issued to Holding company @ 6%	1,000.00	1,000.00
Loan from Holding Company @5.5% p.a	500.00	500.00
Total	1,500.00	1,500.00

- a) Redeemable Non Convertible debentures issued for ₹1000 lakhs:- In order to meet the revival and general corporate requirements of company, 1 lakh NCDs of face value ₹1000 each have been issued by UCSL to CSL, through private placement. The coupon rate is 6% and the interest needs to be paid on yearly basis. NCDs are redeemable at par at the end of 84 months i.e; on 26th November 2028.
- b) Loan of ₹500 lakhs:- In order to meet the expenses arising during operational phase of company, Holding company Cochin Shipyard Limited infused ₹500 lakhs as unsecured loan carrying an interest rate of 5.5% p.a on 18.09.2020. The principal amount to be repaid at the end of 5 years from the date of disbursement i.e; on 17th September 2025. Interest repayments to be made on yearly basis from the date of disbursement.

Note 20 : Lease liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Lease Liabilities under Ind AS 116	584.13	61.90
Total	584.13	61.90

Note 21 : Provisions - Non Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Provision for employee benefits - Gratuity	19.38	8.03
Provision for employee benefits - Compensated Absence	4.59	-
Total	23.97	8.03

Note 22 : Lease liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Lease Liabilities under Ind AS 116	56.57	14.96
Total	56.57	14.96

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 23 : Borrowings- From Banks

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Secured		
Loans repayable on demand from banks	705.00	-
Total	705.00	-

Company has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹3500 lakhs) from Union Bank of India at the interest rate of 9.4% / annum. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of the Company. Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.

Note 24 : Trade Payables

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Trade payables (Unsecured)		
Total outstanding dues of Micro enterprises and Small Enterprises	725.19	373.22
Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.	307.45	64.19
Total	1,032.64	437.41

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	725.19	373.22
Interest on above Principal	Nil	Nil
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;	Nil	Nil
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	Nil	Nil
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act, 2006;	Nil	Nil

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 24 : Trade Payables (Contd..)

Trade Payables ageing schedule FY 2022-23

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	725.19	-	-	-	725.19
(ii) Others	306.91	0.54	-	-	307.45
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-
Total					1032.64

Trade Payables ageing schedule FY 2021-22

(₹ in Lakhs)

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) MSME	373.22	-	-	-	373.22
(ii) Others	64.19	-	-	-	64.19
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-
Total					437.41

Note 25 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Interest accrued but not due on borrowings	31.86	31.86
Security and other deposits	203.17	74.04
Others Payables	1,541.43	1,343.74
Total	1,776.46	1,449.64

Other payables includes ₹1253.84 lakhs payable to Committee of Creditors i.e; Subsidy received from Ministry under Ship Building Subsidy Scheme. No Balance confirmation is available from Committee of Creditors.

Note 26 : Other Current Liabilities

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Advance received from customers - Ship Building/Ship Repair / Engineering works	81.60	58.55
Statutory dues	283.28	68.45
Contract Liability for Ship Building/Ship Repair / Engineering works	1,128.35	82.76
Total	1,493.23	209.76

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 27 : Provisions - Current

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Provision for Employee benefits		
Gratuity	0.41	0.03
Compensated Absence	0.11	-
Total	0.52	0.03
Other Provisions		
Expenditure/ Contingencies	818.92	1,011.04
Total	819.44	1,011.07

In order to meet the contingent expenditure to operationalise the facility as per the resolution plan, a provision for contingency of ₹1250 lakhs has been provided in books as on 31/3/2020. During the year, we have adjusted an amount of ₹212.59 lakhs and the balance has been reviewed and retained.

27.1 Details of movement of provisions

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at April 01, 2022	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at March 31, 2023
Provision for employee benefits- Gratuity	0.03	0.03	-	-	0.41
Compensated absences	-	-	-	-	0.11
Provision for expenditure / contingencies	1,011.04	1,011.04	212.59	-	818.92

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at April 01, 2021	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at March 31, 2022
Provision for employee benefits- Gratuity	-	0.03	-	-	0.03
Provision for expenditure / contingencies	1,210.78	1.80	201.54	-	1,011.04

Note 28 : Revenue from operations

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Sale of products		
Ship building:		
Vessels	2,550.73	67.34
Engineering works	758.07	574.64
	3,308.80	641.98
Sale of services		
Ship repairs	608.65	-
	608.65	-
Total	3,917.45	641.98

Refer Note No 40 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

Notes to Financial Statements

For the year ended March 31, 2023

Note 29 : Other Income

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Income from sale of scrap and stores	574.65	161.34
Interest Income from Bank Deposits	68.53	75.68
Interest from others	2.17	-
Miscellaneous Income	36.34	1.76
Provision no longer required / Liabilities written back	181.82	51.40
Income from Charter Hire	-	75.90
Total	863.51	366.08

The company is not accounting the Interest amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lein marked before NCLT order.

Pursuant to the order of Madras High Court dismissing appeal filed by VOC Port Trust against the arbitral award, an amount of ₹181.82 lakhs has been received by the company and same has been accounted as other income under the head "Proviison no longer required / Liabilities written back" during the FY 2022-23.

Note 30 : Cost of materials consumed

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Raw Materials		
Steel	852.89	294.33
Pipe	46.33	0.14
Paint	103.34	3.90
Bought out components	736.45	91.36
Total	1,739.01	389.73

Note 31 : Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	(352.31)	-
Less: at the end of the year	(496.05)	(352.31)
Total	(143.74)	(352.31)

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 32 : Sub Contract and Other Direct Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Sub contract and off loaded jobs	1,239.68	313.47
Hull insurance	3.09	-
Direct expenses	397.01	19.36
Total	1,639.78	332.83

Note 33 : Employee Benefits Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	593.89	402.82
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	24.08	12.56
Gratuity	12.35	8.06
Staff welfare expenses	49.16	28.28
Total	679.48	451.72

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of earned leave and half pay compensated absences for employees amounting to ₹4.70 lakhs (previous year Nil)

Employee benefit expenses includes ₹73.96 lakhs being secondment services availed from holding company (previous year ₹61.45 lakhs)

Defined Benefit Plan-Compensated Absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2023
Discount Rate (p.a)	7.30%
Rate of increase in compensation levels	3.00%
Withdrawal rate	1.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023
Service Cost:	
Current Service Cost	3.67
Past Service Cost	1.03
Net Interest expense	-
Acturil (Gain) / Loss recognised during the period	-
Expenses recognised in the statement of profit or loss	4.70

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Employee Benefits Expense (Contd..)

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	4.70
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	4.70

Type of Employee Benefit

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023
Current component of PVO	0.11
Non Current component of PVO	4.59
Total PVO	4.70

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	-
Current Service Cost	3.67
Past Service Cost	1.03
Current Interest Cost	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-
Benefits paid	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	4.70

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-
Expected Return on Plan Assets	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-
Contributions from the employer	-
Benefits paid	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	-

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the Year ended March 31, 2023
Year 1	NA
Year 2	NA
Year 3	NA
Year 4	NA
Year 5	NA
6 Years and Above	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in Lakhs)

Year	For the Year ended March 31, 2023
Year 1	-
Year 2	1.69
Year 3	-
Year 4	0.77
Year 5	-
6 Years and Above	2.24

Sensitivity Analysis

(₹ in Lakhs)

Year	For the Year ended March 31, 2023
A. Discount Rate + 100 BP	8.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4.31
Variation	-8.25%
B. Discount Rate - 100 BP	6.30%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5.16
Variation	9.92%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5.16
Variation	9.74%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4.32
Variation	-8.19%

BP denotes "Basis Points"

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Discount Rate (p.a)	7.30%	6.20%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Expected Rate of Return on Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
		(₹ in Lakhs)
Service Cost:		
Current Service Cost	11.85	8.06
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	0.50	-
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	12.35	8.06
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(0.62)	-
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	(0.62)	-

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
		(₹ in Lakhs)
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	19.79	8.06
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	19.79	8.06

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
		(₹ in Lakhs)
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	8.06	-
Current Service Cost	11.85	8.06
Current Interest Cost	0.50	-
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(0.62)	-
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	19.79	8.06

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Employee Benefits Expense (Contd..)

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:-

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	-	-
Benefits paid	-	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	-	-

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
6 years and Above	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

Year	(₹ in Lakhs)	
	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Year 1	0.30	-
Year 2	2.82	-
Year 3	13.57	-
Year 4	1.49	1.11
Year 5	-	6.95
6 years and Above	1.61	-

Sensitivity Analysis

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
A. Discount Rate + 100 BP	8.30%	7.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	19.70	7.73
Variation	-3.60%	-4.09%
B. Discount Rate - 100 BP	6.30%	5.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	20.58	8.40
Variation	4.05%	4.30%

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 33 : Employee Benefits Expense (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	20.51	8.37
Variation	3.68%	3.89%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	19.13	7.75
Variation	-3.31%	-3.78%

BP denotes "Basis Points"

Note 34 : Finance Costs

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Interest on Cash credit	28.40	-
Interest on Lease liability	3.18	6.52
Interest on Loan from CSL	27.50	27.50
Interest on Non convertible debentures	36.41	19.43
Total	95.49	53.45

Note 35 : Depreciation and Amortisation Expense

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Depreciation on property, plant and equipments	1,052.65	1,315.20
Depreciation on Right to use asset	25.95	4.81
Amortisation of other intangible asset	4.42	1.29
Total	1,083.02	1,321.31
Add : Loss on revaluation of tools	-	0.72
Total	1,083.02	1,322.03

Note 36 : Other Expenses

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Yard Maintenance and other expenses	176.96	0.22
Consumption of spares	0.26	0.03
Rates and taxes	9.68	9.25
Power and fuel	184.26	117.51
Water Charges	5.34	2.74

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 36 : Other Expenses (Contd..)

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Repairs and maintenance:		
Yard Maintenance		
- Plant and machinery	21.96	10.99
- Others	80.81	51.50
Maintenance dredging	1.97	0.20
Transport and stores handling	9.92	-
Travelling and conveyance expenses	16.38	8.78
Printing and stationery	9.50	6.68
Postage, telephone and telex	0.53	0.50
Advertisement	13.36	0.25
Lease rent	-	1.67
Legal and professional charges	43.43	2.06
Hire charges	5.71	5.49
Insurance	22.99	13.80
Security expenses	90.83	38.64
Auditors remuneration	3.00	3.00
Auditors remuneration for other services	1.55	2.40
Fee for statutory compliances	1.32	1.02
Business Development expenses	14.54	4.84
Bank charges	19.93	0.84
Net loss /(gain) on foreign currency transactions	1.49	(0.36)
Penalty Payment	38.89	-
Loss on Lease Modification	32.08	-
Provision created for contingency liability		-
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	4.23	-
Miscellaneous Expenses	25.88	13.98
Total	836.80	296.03

Persuant to extension of lease agreement, ROU and lease liabilities in the books of accounts stood as at 23.12.2022 (the date of Lease Modification) were remeasured and loss on lease modification amounting to ₹32.08 lakhs charged off to Profit and Loss account.

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and include:

Particulars	(₹ in Lakhs)	
	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
For Audit Fees	3.00	3.00
For Limited Review/other services	1.55	2.40
Total	4.55	5.40

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 37 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Provision for:		
Non moving / perpetual inventory verification	-	18.89
Total	-	18.89

Note 38 : Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Sale of Excluded ship Y 123 held on behalf of CoC	3,850.00	-
Less: Sale proceeds directly collected by/ passed on to CoC as per NCLT order	(3,850.00)	-
Provision for Inventory written back /(Provision for inventory)		
Write off of property, plant and equipments	-	454.51
Provision for Subsidy Receivable written back / (Provision for subsidy receivable)	-	(179.36)
Total	-	275.15

Persuant to NCLT Order, Tripartite agreement was entered into among UCSSL, Committee of Creditors & HAL Offshore limited, for effecting transfer of title of excluded ship bearing Hull No. Y 123. In accordance with the agreement, Tax invoice was raised by company for the consideration of ₹3850 lakhs which was collected directly by CoC. GST portion amounting to ₹192.50 lakhs (5% on sale consideration) collected by company from the transferee to facilitate GST remittance has been remitted to Govt treasury.

Note 39 : Earnings per Equity Share

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	(866.54)	(1,294.13)
Number of Equity Shares	90000000	65000000
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	(1.26)	(1.99)
Face value per equity (in ₹)	10.00	10.00

Note 40 : Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

Disclosures of Disaggregated revenue as per INDAS 115

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Revenue from Contracts with customers		
A. Revenue from goods or services transferred over time		
(i) Sale of products		
Ship building:		
Vessels	2,550.73	67.34
(ii) Sale of services		
Engineering works	758.07	574.64
Ship Repairs	608.65	-
Total	3,917.45	641.98

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 40 : Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers" (Contd..)

Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹19184.01 lakhs and will be recognised as revenue in subsequent years.

Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Opening contracted price of orders	1,264.13	-
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	19,529.75	1,371.96
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	2,771.34	70.39
Increase due to exchange rate movements (net)	-	-
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	-	-
Orders completed during the year	2,049.14	178.22
Closing contracted price of orders	21,516.08	1,264.13
Total Revenue recognised during the year:	3,917.45	641.98
Less: Revenue out of orders completed during the year	1,585.38	178.22
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	2,332.07	463.76
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	-	-
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	-	-
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	19,184.01	800.37
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	21,516.08	1,264.13

Note 41 : Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31, 2023 including outflow for short term and low value leases is ₹202.20 lakhs (PY:- ₹15.16 lakhs)

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2023 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the Year ended March 31, 2023	For the Year ended March 31, 2022
Less than one year	56.57	61.02
One to Five years	237.81	21.98
More than Five years	1,610.33	-
Total	1,904.71	83.00

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 42 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022	Brief Description of the nature and obligation
A CONTINGENT LIABILITY AFTER TAKE OVER (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	4,040.30	-	Represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its overseas suppliers.
ii Bank Guarantees	3,898.81	56.00	Bank guarantees represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers
The company has been sanctioned Fund based and Non Fund based limits of ₹9100 lakhs as against the security of hypothication of current assets including inventory and trade receivables of the company.			
B CONTINGENT LIABILITIES RELATED TO ERSTWHILE TEBMA PERIOD			
i. Tax Matters			
Director General of Foreign Trade (DGFT)			
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras)	414.38	-	- Company has filed Writ petition against impugned orders by DGFT imposing penalty, customs duty and Interest under Foreign Trade Act issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras)	694.00	-	- Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 42 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022	Brief Description of the nature and obligation
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Karnataka)	-	-	- Show cause notices issued alleging that there was failure to achieve positive net foreign exchange(NFE) of ₹918.90 lakhs in respect of the years 2011-12 to 2015-16 and also a failure to file the Annual Progress Report (APR) in respect of the Malpe EOU for the years 2016-17 onwards resulting in non-fulfilment amounted to a contravention of the FTP and thereby rendered the Petitioner liable to imposition of penalty under Sec. 11(2) of the FT (D&R) Act. The Hon'ble High court has granted an interim stay of all proceedings pursuant to the show cause notice vide order date 15 Dec 2021. The Respondents have filed their counter affidavit in the matter and the matter is posted for filing of rejoinder by the Petitioners.
- Where the Department has served Show cause notices	314.07	-	- Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/ authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. UCSL representative has attended personal hearing and submitted reply. Order awaited
Others			
Pursuant to supplementary audit by the office of the C&AG under section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013, the financial statements approved by Board of Directors on 28 Apr 2023 were revised. Certain corrections as pointed out by the office of the C&AG were incorporated in these financial statements. The impact of the revision as incorporated in these financial statements, are given below:-			
Entry Tax	76.90	76.90	All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

Note 42 : CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022	Brief Description of the nature and obligation
Central / State Excise / Service Tax / Customs / Goods and service tax	1,234.65	1,234.65	
Karnataka VAT	11.91	11.91	Order no ZD2900223010218S dtd 20/2/23 for Wrong claim of ITC for the period Sep to Dec 2017. All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities. Company replied to the authorities accordingly.
There is no impact on the profit of the Company due to the above changes.			
ii) Money Suits			
Plaintiff: Lokenath Enterprises	31.96	28.03	For recovery of ₹21,83,714 together with interest @ 18% per annum from September 2020 till the date of realization, for the services performed by him from 2016 till CIRP Period for which payments were not made by Resolution professional Interlocutory Applications filed to set aside Exparte Order. At present adjourned to 14 July 2023 for hearing on IA's. Case open before Hon'ble Additional District and Sessions Court Chengalpettu (Tamil Nadu)"
Plaintiff: Cochin Port trust	246.97	231.22	Port had filed a civil suit on 28/03/2014 before the Honourable Sub Court at kochi to recover an amount of ₹105 lakhs with interest @ 15% p.a, which was incurred by CopT to rectify the manufacturing defects noticed on the tugs supplied by company. Matter pending before court for arbitration.
C CONTINGENT ASSETS			
Pursuant to Order dated 13.07.2021 passed by Honourable High court of Madras in OP365/14 for the award dated 12.12.2013 and 04.02.2014 in the arbitration proceedings between M/s Tebma Shipyards Ltd and M/s Tuticorin Port trust Ltd (Present V.O. Chidambaranar Port Authority), ₹181.94 crores were settled by the VOCPT in Dec 2022 and Company is yet to receive the interest portion for the period from 04.02.2014 to 15.12.2022 which amounts to ₹432.13 lakhs			

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

43. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	Nature of Relationship
	2022-23	2021-22
Shri Madhu S Nair Chairman	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Suresh Babu N V Director (Upto April 30, 2021)	-	Key Managerial Personnel (Till April 30, 2021)
Shri Bejoy Bhasker Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan Director	Key Managerial Personnel (w.e.f May 03, 2022)	-
Shri Neelakandhan A N Director	Key Managerial Personnel (w.e.f May 03, 2022)	-
Shri Rajesh Gopalakrishnan Director	Key Managerial Personnel (w.e.f May 03, 2022)	-
Shri Harikumar A Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shibu John Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel (Till November 24, 2022)	Key Managerial Personnel
Shri Shankar Nataraj Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel (w.e.f. November 25, 2022)	-
Shri Aswin Sarma M Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Cochin)	Holding Company	Holding Company
Hoogly Cochin Shipyard Limited (Principal place of Business: Kolkata)	Fellow Subsidiary Company	Fellow Subsidiary Company

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person*

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	March 31, 2023	March 31, 2022
Short term benefit	43.85	32.56
Post employment Benefit -Gratuity	1.09	0.58
Total	44.94	33.14

Outstanding Balance with Holding Company

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	March 31, 2023	March 31, 2022
Receivables	331.54	35.56
Payables	17.94	35.18
NCD	1,000.00	1,000.00
Loan	500.00	500.00

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

43. Related Party disclosure as per Ind AS 24 (Contd..)

Nature of transaction - Transaction with Related parties

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at	As at
	March 31, 2023	March 31, 2022
Secondment to subsidiary by Cochin Shipyard Ltd (incl. GST)	87.28	72.51
Redeemable non convertible debentures issued to Cochin Shipyard Ltd	-	1,000.00
Interest on Loan	27.50	27.50
Interest on NCD	60.00	20.71
Revenue on Engineering works	758.07	574.64
Revenue from Ship Repair	584.02	-
Allotment of Equity shares to holding Company	2,500.00	-
Liaisoning Charges charged to Holding Company	4.96	-

CSL's ERP system, 'SAP S/4HANA' has been extended to the Company with the entire SAP implementation cost and licenses charges for the financial year 2022-23, aggregating to ₹44.14 lakhs, borne by the holding company on behalf of UCSL. Further license fees and other charges from FY 2023-24 will be reimbursed to CSL by UCSL.

All the Transaction with holding company were made on terms equivalent to those that prevailed in arm's length transactions

Shares held by Nominees in UCSL on behalf of CSL	As at	As at
	March 31, 2023	March 31, 2022
MADHU S NAIR, Chairman	10	10
BEJOY BHASKER, Director	10	10
JOSE V J, Director	10	10
HARIKUMAR A, Chief Executive Officer	10	10
SHIBU JOHN, Ex-Chief Finance Officer	10	10
ASWIN SARMA M, Company Secretary	10	10

44. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis (but fair value disclosures are required)

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

44. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022	
Financial Assets			
Non Current			
Others	16.27	8.89	Level II
Current			
(i) Trade Receivables	331.57	97.51	Level II
(ii) Cash & Cash equivalents	932.85	1,580.51	Level II
(iii) Bank Balances other than (ii)	1,388.48	100.88	Level II
(iv) Loans	-	-	Level II
(v) Others	20.79	4.53	Level II
Total Financial Assets	2,689.96	1,792.32	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	1,500.00	1,500.00	Level II
(ii) Other financial liabilities	584.13	61.90	Level II
Current			
(i) Borrowings	705.00	-	Level II
(ii) Trade Payables	1,032.64	437.41	Level II
(iii) Lease Liabilities	56.57	14.96	Level II
(iii) Other financial liabilities	1,776.46	1,449.64	Level II
Total Financial Liabilities	5,654.81	3,463.91	

Note:

- Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.
- The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets, other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented

Financial Instruments by category

(₹ in Lakhs)

Particulars	March 31, 2023			March 31, 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial Assets						
Trade receivables	-	-	331.57	-	-	97.51
Cash & Cash equivalents	-	-	932.85	-	-	1,580.51
Bank Balances	-	-	1,388.48	-	-	100.88
Other Financial Assets	-	-	37.06	-	-	13.42
Total Financial Assets	-	-	2,689.96	-	-	1,792.32

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

44. FINANCIAL INSTRUMENTS (Contd..)

(₹ in Lakhs)

Particulars	March 31, 2023			March 31, 2022		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost
Financial liabilities						
Borrowings	-	-	2,205.00	-	-	1,500.00
Trade payables	-	-	1,032.64	-	-	437.41
Other financial liabilities	-	-	2,417.17	-	-	1,526.50
Total Financial Liabilities	-	-	5,654.81	-	-	3,463.91

45. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk, such as equity price risk and commodity risk. Financial Assets affected by market risk include loans and borrowings, deposits and derivative financial instruments.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's long-term debt obligations of Non Convertible Debenture(NCD) and loan from holding company with fixed rate as disclosed in Note 19. With the current profile of long term fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations

Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency). As on 31.03.2023, company does not have any financial assets / liabilities denominated in foreign currency.

Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

45. Financial Risk Management Policy (Contd..)

Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value. The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, and infusion of equity fund whenever necessary which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long-term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below:

(₹ in Lakhs)

Particulars	As on March 31, 2023		
	<1 Year	1-3 years	>3 years
Financial Asset			
Trade receivables	331.57		
Cash & Cash equivalents	932.85		
Bank Balances	1,388.48		
Other Financial Assets	37.06		
Total Financial Asset	2,689.96	-	-
Financial Liability			
Borrowings		500.00	1000.00
Lease Liability			584.13
Other Financial Liabilities			
Borrowings	705.00		
Lease Liability	56.57		
Trade payables	1032.10	0.54	
Other financial liabilities	1776.46		
Total Financial Liability	3,570.13	500.54	1,584.13

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its financing activities, including deposits with banks and financial institutions, foreign exchange transactions and other financial instruments. The company's maximum exposure to the credit risk for the components of balance sheet as on 31.03.2023 is carrying amount mentioned in Note no 11.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

46. Segment Reporting

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Segment Assets		
Ship building	11,726.98	7,742.24
Ship repair	17.37	-
Others	10,312.70	9,382.06
Total	22,057.05	17,124.30
Segment Liability		
Ship building	1,029.01	741.68
Ship repair	4.44	-
Others	6,957.99	3,951.09
Total	7,991.44	4,692.77
Segment Revenue		
Ship building	3,308.80	641.98
Ship repair	608.65	-
Unallocated	863.51	366.08
Total	4,780.96	1,008.06
Segment Result		
Ship building	(970.44)	27.40
Ship repair	270.65	-
Unallocated	(449.09)	(1,531.71)
Total	(1,148.88)	(1,504.31)

47. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
Non current borrowings	1500.00	1500.00
Net Debt	1500.00	1500.00
Equity Share Capital	9000.00	6500.00
Other equity	5065.61	5931.53
Total Equity	14065.61	12431.53
Gearing Ratio	10.66%	12.07%

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

48. Ratios

Ratio	Numerator	Denominator	2022-23	2021-22	% Variance	Remark if changes more than 25%
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	1.27	1.10	15%	-
Debt – Equity Ratio	Total Debt	Shareholder's Equity	0.11	0.12	-12%	-
Debt Service Coverage Ratio	Profit before exceptional items+ Depreciation+ Finance cost+Borrowing cost capitalised-Interest on Lease Liability	Debt Service	0.52	(2.51)	121%	Company's PBT has improved as compared to last year
Return on Equity (ROE)	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	NA	NA	NA	Negative profit for the period
Inventory Turnover Ratio	Cost of goods sold OR sales	Average Inventory	2.54	1.09	133%	Company made fully operational during the period
Trade receivables turnover ratio	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	0.08	0.15	-44%	Increase in credit sale during the period
Trade payables turnover ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	7.26	4.65	56%	Company made fully operational during the period
Net capital turnover ratio	Net Sales	Working Capital	2.47	2.23	11%	-
Net profit ratio	Net Profit	Net Sales	(0.22)	(2.02)	89%	Company's PAT has improved as compared to last year
Return on capital employed (ROCE)	Earning before interest and taxes	Capital Employed	NA	NA	NA	Negative profit for the period
Return on investment	PAT	Sum invested	NA	NA	NA	Negative profit for the period

49. Other Statutory Information

- The title deeds, comprising all the immovable properties of land and buildings which are freehold, are held in the name of the Company as at the balance sheet date. In respect of immovable properties of land and building that have been taken on lease and disclosed as Right to use assets in the financial statements, the lease agreements are in the name of the Company.
- The Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right-of-Use Asset) since the Company has adopted cost model as its accounting policy to an entire class of Property, Plant and Equipment in accordance with Ind AS 16.
- The Company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promoters, directors, KMPs and other related parties that are repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment.

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

49. Other Statutory Information (Contd..)

- d) The Company has used the borrowings from banks and financial institutions for the specific purpose for which it was taken as at the reporting date.
- e) Registration, Modification and Satisfaction of charges, where ever applicable, relating to the year under review, had been filed with the Registrar of Companies, within the prescribed time.
- f) There are no proceedings initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.
- g) The Company has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements filed by the Company with the banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts
- h) The Company is not declared as willful defaulter by any bank or financial Institution or other lenders.
- i) The Company did not have any transactions with Companies struck off under Section 248 of Companies Act, 2013 or Section 560 of Companies Act, 1956 considering the information available with the Company.
- j) There are no Scheme of Arrangements approved by the Competent Authority in terms of sections 230 to 237 of the Companies Act, 2013 during the year.
- k) No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Company (Ultimate Beneficiaries). The Company has not received any fund from any party(s) (Funding Party) with the understanding that the Company shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- l) The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.
- m) The Company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence, disclosures relating to it are not applicable

Notes to Financial Statements

for the year ended March 31, 2023

50. Excluded ship bearing Hull No. Y 159, held by the Company on behalf of Financial creditors (Committee of Creditors) of Erstwhile Tebma Shipyards Ltd, remains unsold as on reporting date. However, discussions/negotiations with prospective buyer are in final stage.

51. Previous years figures have been regrouped and classified wherever necessary to conform to the current year presentation.

52. Figures in brackets denote negative figures.

For and on behalf of Board of Directors

ASWIN SARMA M

Company Secretary
M. No. A41969
Udupi. Date: July 13, 2023

SHANKAR NATARAJ

Chief Financial Officer

HARIKUMAR A

Chief Executive Officer

JOSE V J

Director
DIN-08444440

MADHU S NAIR

Chairman
DIN-07376798

For M/s. Shabbir and Ganesh

Chartered Accountants
Firm Regn. No.: 009033S

CA. GANESH Y

Partner
Membership No.: 207231
UDIN: 23207231BGRDCC3845
Udupi. Date: July 13, 2023

Notice

Notice is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of Udupi Cochin Shipyard Limited will be held at 11.15 hrs. on Tuesday, September 19, 2023 at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682015, to transact the following businesses:

Ordinary Business

1. To consider and adopt the audited financial statements as on March 31, 2023, and the Reports of the Board of Directors and Auditors' thereon.
2. To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
3. To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation at this Annual General Meeting and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2023-24.

By the Order of the Board of Directors
For Udupi Cochin Shipyard Limited

Kochi
September 08, 2023

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969

Notes:

1. A member who is entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the Meeting) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing the proxy should be duly stamped, completed, signed and deposited at the Registered Office of the Company not less than forty-eight (48) hours before the commencement of the Meeting. A Proxy Form (MGT-11) is annexed to this Notice.
2. A person can act as a proxy on behalf of the members not exceeding fifty (50) and holding in aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights. In case, a proxy is proposed to be appointed by a member holding more than ten percent of the total share capital of the Company carrying voting rights, then such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder.
3. Members, Proxies and Authorized Representatives are requested to bring the duly filled attendance slip enclosed herewith along with their copy of Annual Report, to attend the Meeting. Corporate members intending to send their Authorized Representatives to attend the Meeting pursuant to Section 113 of the Companies Act, 2013 are requested to send to the Company, a certified copy of the Board Resolution or Power of Attorney or any other instrument authorizing their representative(s) to attend and vote on its behalf at the Meeting.
4. The registers maintained under the Companies Act, 2013 and all documents referred to in the Notice are available for inspection by members at the Meeting.
5. The route map to the venue of the Meeting is enclosed with this Notice.
6. This Meeting is proposed to be held outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, at a shorter notice. The request, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, for consenting to conduct the Meeting outside the local limits of the Registered Office at a shorter notice is enclosed along with this Notice and the Meeting will be held only if the consent is received from all the Members entitled to vote at the Meeting.
7. The brief details of the Directors, who are seeking re-appointment, are annexed to this Notice as per the requirements of the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICS).

By the Order of the Board of Directors
For Udupi Cochin Shipyard Limited

Aswin Sarma M

Company Secretary

M. No. A41969

Kochi
September 08, 2023

Registered Office

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116
CIN: U27209TN1984GOI010994
e-mail: secretary.tsl@cochinshipyard.in

FORM NO. MGT-11

Proxy form

[Pursuant to Section 105(6) of the Companies Act, 2013 and Rule 19(3) of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014]

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Day, Date and Time : Tuesday, September 19, 2023 at 11.15 hrs.

Name of Member(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	

I/ We, being the member(s) of Udupi Cochin Shipyard Limited holding _____ shares, hereby appoint:

1.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/ her

2.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

or failing him/ her

3.

Name:	
Address:	
E-mail Id:	
Signature:	

as my/ our proxy to attend and vote (on a poll) for me/ us and on my/ our behalf at the 39TH ANNUAL GENERAL MEETING of members of the Company, to be held on Tuesday, the 19th day of September, 2023 at 11.15 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015, and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

Sl. No.	Resolution	For	Against
Ordinary Business			
1.	To consider and adopt the audited financial statements as on March 31, 2023, and the Reports of the Board of Directors and Auditors’ thereon.		
2.	To appoint a Director in place of Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
3.	To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.		
4.	To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2023-24.		

Signed this day of..... 2023

Signature of Shareholder

Signature of Proxy holder(s)

Affix
Revenue
Stamp

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

ATTENDANCE SLIP

Venue of the Meeting : CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Day, Date and Time : Tuesday, September 19, 2023 at 11.15 hrs.

PLEASE FILL ATTENDANCE SLIP AND HAND IT OVER AT THE ENTRANCE OF THE MEETING VENUE


Name of the Shareholder(s)	
Registered Address	
E-mail Id	
Ledger Folio No.	
No. of shares held	

I certify that I am the registered shareholder(s)/ proxy for the registered shareholder of the Company.

I hereby record my presence at the 39TH ANNUAL GENERAL MEETING of the Company on Tuesday, the 19th day of September, 2023 at 11.15 hrs. at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015.

Signature of the shareholder or proxy

ROUTE MAP TO THE VENUE OF THE MEETING



CONSENT OF SHAREHOLDER

[Pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013]

To
The Board of Directors
Udupi Cochin Shipyard Limited
S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram – 603 116

I, _____, son of _____, resident of _____, holding _____ equity shares of ₹10 each in the Company, hereby give consent, pursuant to Section 96 and 101 of the Companies Act, 2013, to hold the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company on September 19, 2023 outside the local limits of the Registered Office at CSL Board Room, Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi, Kerala – 682 015 at a shorter notice.

Place:
Date:

Signature:
Name:

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING RE-APPOINTMENT AT THIS MEETING

[Pursuant to the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)]

Name of the Director	Shri Bejoy Bhasker
DIN	08103825
Age & Date of Birth	58 & May 07, 1965
Qualifications	Shri Bejoy Bhasker holds a degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University.
Experience	Shri Bejoy Bhasker is the Director (Technical) of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has more than 35 years of work experience across areas such as ship design, ship building, outfit and ship repair.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Bejoy Bhasker was appointed as one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Bejoy Bhasker till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2022-23)	Nil
Date of first appointment on the Board	September 15, 2020
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	6/6
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Hooghly Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Member in the Stakeholders Relationship Committee of Cochin Shipyard Limited. Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

Name of the Director	Shri Jose V J
DIN	08444440
Age & Date of Birth	56 & February 04, 1967
Qualifications	Shri Jose V J is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam.
Experience	Shri Jose V J is the Director (Finance) and Chief Financial Officer of Cochin Shipyard Limited (CSL), the Holding Company. He has approximately 32 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control.
Terms and conditions of re-appointment	Shri Jose V J was appointed as one of the directors nominated by CSL pursuant to the takeover of the Company in September 2020 through the statutory insolvency resolution process. Approval of the members is sought for continuation of office of directorship of Shri Jose V J till such time his nomination is withdrawn. As per the terms of re-appointment, he is liable to retire by rotation as per the provisions of the Companies Act, 2013.
Details of remuneration sought to be paid on re-appointment and last drawn (FY 2022-23)	Nil
Date of first appointment on the Board	September 15, 2020
No. of shares held in the Company	10 (Shares are held on behalf of CSL)
Relationship with other Directors and Key Managerial Personnel	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2022-23	6/6
Directorships in other Public Limited Companies (excluding foreign companies, private companies & Section 8 companies)	(1) Cochin Shipyard Limited (2) Hooghly Cochin Shipyard Limited
Membership/ Chairmanship of Committees in other Public Limited Companies	Member in the Stakeholders Relationship Committee of Cochin Shipyard Limited. Membership/ Chairmanship of only the Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee have been considered.

ADDENDUM TO THE NOTICE FOR 39TH ANNUAL GENERAL MEETING

Reference is invited to the Notice issued on September 08, 2023, for the 39th Annual General Meeting of the Members of Udupi Cochin Shipyard Limited scheduled at 11.15 hrs. on Tuesday, September 19, 2023.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In view of these MCA Circulars, the Company is providing the facility of attending the 39th AGM through VC/ OAVM. Members and other invitees may attend the said AGM through electronic mode by clicking the link given below:

[Link for attending the 39th AGM of Udupi Cochin Shipyard Limited](#)

The attendance of the Members in the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The designated e-mail id for casting the votes in case of a poll is secretary.tsl@cochinshipyard.in.

Kindly make it convenient to attend the Meeting.

For Udupi Cochin Shipyard Limited

Kochi
September 18, 2023

Aswin Sarma M
Company Secretary
M. No. A41969



UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
(Formerly Tebma Shipyards Limited)

Registered Office

S.No.377, Pazhamathur Village
Pukathurai Post, Madurantakam Taluk
Kancheepuram, Tamil Nadu – 603 116

CIN: U27209TN1984GOI010994

